

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-428/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला—टीकमगढ़,  
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान—वित्तीय वर्ष 2008—2009

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये—2,00,000/—(रूपये दो लाख) मात्र स्वीकृत किये है:—

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम -6242/08 दिनांक -12.08.08 आर-1016 माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा दिनांक 23.7.08	कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ (मान. मुख्यमंत्रीजी के दि. 23.7.08 को टीकमगढ़ भ्रमण के दौरान 5-6 जून, 2008 को टोंगा के पास स्थित बीड़ी मजदूर कालोनी के नीचे दर्शाये अनुसार बच्चों की मृत्यु पानी से भरी खदान में डूबने से होने के कारण बच्चों के परिजनों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता) 1. श्री गोलू 2. श्री कलीम खां 3. श्री शारुक 4. श्री वसीम खां	रूपये 2,00,000/— (रूपये दो लाख)
2		कुल राशि—	रूपये 2,00,000/

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,00,000/—(रूपये दो लाख) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-2009** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 428/2008/एक (1)

18/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला - टीकमगढ़  
(मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी ,मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावे।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-429/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 19/08/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-सीहोर,  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-2009

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-50,000/- (रूपये पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम -4155/08 दिनांक -10.06.08 आर-1017	संचालक, चिरायु अस्पताल 6 मालीपुरा, भोपाल श्री धर्मसिंह पुत्र श्री धीसीलाल निवासी ग्राम मुल्लानी, तहसील आष्टा जिला-सीहोर (स्वयं के इलाज हेतु)	रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार)
2		कुल राशि-	रूपये-50,000/

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 50,000/- (रूपये-पचास हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-2009** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल,दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-429/2008/एक (1)

19/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला सीहोर, (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी ,मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की** ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7- 431 / 2008 / एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 / 08 / 2008

कलेक्टर,  
जिला-पन्ना  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 75,000 /- (रूपये पचहत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-6293./08 दिनांक 13.08.2008 आर-1020.	संचालक, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, करोंद, भोपाल श्रीमती सरोज पत्नि श्री नरेन्द्र सिंह निवासी पवैया तह. गुनौर, जिला पन्ना ( स्वयं के उपचार हेतु)	रूपये 75000 /- (पचहत्तर हजार रूपये)
योग:-			रूपये 75000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 75000 /- (रूपये पचहत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7- 431/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 21/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- पन्ना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे । सर्वर में फीड करावे ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
-:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7- 431 / 2008 / एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06 / 09 / 2008

कलेक्टर,  
जिला-रायसेन / भिण्ड / होशंगाबाद / सीहोर / खण्डवा / सतना / भोपाल  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 3,87,000/- (रूपये तीन लाख सत्यासी हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-6299 / 08 दिनांक 14.08.2008 आर-1025	संचालक, आदर्श अस्पताल पुलिस थाने के सामने, मेनरोड, शाहजहांनाबाद, भोपाल. श्री चैनसिंह आ. श्री काबरा ठाकुर नि. ग्राम विसैर, तह. बरेली, जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 15000 / - (पंद्रह हजार रूपये)
2	एचसीएम-6301 / 08 दिनांक 14.08.2008 आर-1025	संचालक, चिरायु अस्पताल 6 मालीपुरा, भोपाल श्री रघुवीरदास, पलिया आ. श्री रामस्वरूप नि. हनुमान मंदिर, सोंधा, तह. मेहगांव, जिला भिण्ड (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार रूपये)
3	एचसीएम-6302 / 08 दिनांक 14.08.2008 आर-1025	संचालक, वात्सल्य हॉस्पिटल, कस्तूरबा नगर, भोपाल श्रीमती सुधाबाई पत्नि श्री रघुवीरसिंह चौहान नि. ग्राम सगोनिया, तह. बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 7,000 / - (सात हजार रूपये)

4	एचसीएम-6303/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1025	संचालक, पालीवाल हास्पिटल प्रा. लि. बैरसिया रोड भोपाल श्री मदनलाल नामदेव आ.श्री बट्टूलाल नि.ग्राम बीकोर, तह. बाबई जिला होशंगाबाद (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये)
5	एचसीएम-6305/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1025	संचालक, एल.बी.एस. हॉस्पिटल, 73, ताजुल मस्जिद रोड मोतिया तालाब के सामने भोपाल श्रीमती आयशा बी पत्नि श्री कालेखान निवासी ग्राम शाहगंज तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये)
6	एचसीएम-6308/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1025	संचालक, चिरायु अस्पताल 6 मालीपुरा, भोपाल श्री दयालाल निवासी ग्राम सरदार नगर, तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये)
7	एचसीएम-6310/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1025	संचालक, जवाहरलाल नेहरू केंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर ईदगाह हिल्स भोपाल. श्री मुकुन्द गंगाराम दलाल निवासी ग्राम बोरगांव बुर्जुग जिला खण्डवा (उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (एक लाख मात्र)
8	एचसीएम-6312/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1025	संचालक, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर रायसेन बायपास रोड भोपाल. श्री प्रधुमन सिंह सलूजा निवासी कृष्ण नगर सतना, जिला सतना (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (एक लाख मात्र)
9	एचसीएम-6315/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1025	संचालक, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर रायसेन बायपास रोड भोपाल. श्रीमती शिवकांता माहेश्वरी पत्नी श्री प्रेमनारायण माहेश्वरी निवासी ग्राम बांया तहसील बुधनी जिला सीहोर ( हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र)



10	एचसीएम-6318/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1025	संचालक, मेयो हॉस्पिटल, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सामने सुल्तानिया रोड भोपाल.  श्री पुरुषोत्तम अहिरवार आ. श्री रामदयाल अहिरवार नि. ग्राम शाहगंज तहसील बुधनी जिला सीहोर (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र)
11	एचसीएम-6320/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1025	श्री रंजन सक्सेना आ. श्री शांतिचरण सक्सेना निवासी ई.डब्लू.एस. 762, कोटरा सुल्तानाबाद, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
योग:-			रूपये 3,87,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,87,000/- (रूपये तीन लाख सत्यासी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

4/712

4/712

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 431/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 06/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन/ भिण्ड/ होशंगाबाद/ सीहोर/ खण्डवा/ सतना/भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रैजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-434/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-भोपाल/रायसेन/सीहोर/छिंदवाड़ा  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,30,000/- (रूपये एक लाख तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-6300/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	श्री बने सिंह सिसोदिया निवासी पं. दीनदयाल परिसर, ई-2, अरेरा कालोनी भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
2	एचसीएम-6307/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	श्रीमती सुधा वर्मा पत्नी श्री नवनीत वर्मा निवासी वार्ड क्र. 15 तहसील के सामने ग्राम उदयपुरा तहसील उदयपुरा जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
3	एचसीएम-6309/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	कु. रजनी चौहान आ. स्व. श्री बहादुर सिंह नि. ग्राम सत्रामउ तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
4	एचसीएम-6311/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	श्री ओमप्रकाश चौहान नि. ग्राम कुटनासिर तहसील बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
5	एचसीएम-6314/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	श्री शेर सिंह चौहान आ. श्री दौलतराम निवासी ग्राम खोहा तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)

6	एचसीएम-6317/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	श्री माखन सिंह आ. श्री नन्हे आदिवासी निवासी ग्राम डुंगरिया तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
7	एचसीएम-6319/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	श्री महेन्द्र चौहान आ. श्री मिश्रीलाल निवासी ग्राम डुंगरिया तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
8	एचसीएम-6322/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	श्रीमती गुलाब तिवारी पत्नी स्व. श्री रामकिशोर नि. ग्राम शाहगंज तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
9	एचसीएम-6325/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	संचालक, नेशनल अस्पताल अरेरा कालोनी भोपाल श्री रामचरण राव आ. श्री छोटेलाल राव नि. म.न. 1004 भीमनगर अरेरा हिल्स भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/ (दस हजार मात्र)
10	एचसीएम-6327/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	श्रीमती चन्दाबाई पत्नि श्री दुर्गाप्रसाद सेन नि. वार्ड नं. 29, एच.एस. 384, नयाबसेरा, भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/ (दस हजार मात्र)
11	एचसीएम-6328/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	श्री संतोष बिरलावन नि. पं. दीनदयाल परिसर, भाजपा कार्यालय, ई-2, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
12	एचसीएम-6331/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	श्री रविन्द्र कुमार आ. श्री निरेन्द्र गाढ़ेश्वर, निवासी पं. दीनदयाल परिसर, भाजपा कार्यालय, ई-2, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
13	एचसीएम-6334/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	श्री विनोद कुमार निवासी कक्ष क्रमांक 101, पं. दीनदयाल परिसर, भाजपा कार्यालय, ई-2, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
14	एचसीएम-6336/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	कु. वन्दना पाल पुत्री श्री गोकल प्रसाद पाल नि. वार्ड नं. 03 जुन्नारदेवगढ़ जिला छिंदवाड़ा (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
15	एचसीएम-6340/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	श्रीमती निम्मा बाई पत्नि श्री लखनगिरी गोस्वामी नि. ग्राम गोपालपुर, तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

16	एचसीएम-6343/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	श्री संतराम नायक आ. श्री नत्थूनायक नि. बसंतपुर, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
17	एचसीएम-6344/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1027	श्री अमृतसिंह आ. श्री रामप्रसाद नि. नसरुल्लागंज, जिला सीहोर (पुत्र उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
<b>योग:-</b>			<b>रूपये 1,30,000/-</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,30,000/- (रूपये एक लाख तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-434/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 06/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-भोपाल/रायसेन/सीहोर/छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**आदेश-714**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 435/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06/08/2008

कलेक्टर,  
जिला-सीहोर/रायसेन/विदिशा  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 76,000/- (रूपये छियहत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-6304/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्री लखनलाल आ. श्री रामकरण नि. ग्राम डोभा जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम-6306/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्री चम्पालाल मीना नि.ग्राम खत्याखेड़ी तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
3	एचसीएम-6313/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्री राज पंवार आ. श्री जगदीश पंवार नि. ग्राम खनपुरा तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम-6316/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्री लखनलाल पंवारी आ. श्री रामरतन पंवार, नि.ग्राम राला तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
5	एचसीएम-6321/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्री रामौतार बीगोत नि. ग्राम हमीदगंज तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
6	एचसीएम-6324/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्री रामेश्वर चौहान आ. श्री एच.आर. चौहान, नि.ग्राम मांगरौल जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

7	एचसीएम-6326/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्री प्यारेलाल शर्मा आ. श्री पन्नालाल नि. ग्राम सरदार नगर तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
8	एचसीएम-6330/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्री संतोष कुमार मालवीय आ. स्व. श्री फतेहचंद मालवीय, नि. रेहटी तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
9	एचसीएम-6332/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्री सूरज आ. श्री अमरसिंह नि. ग्राम सरदार नगर तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
10	एचसीएम-6335/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्री रामभरोस पंवार आ. श्री रामकरण पंवार नि.ग्राम सोयत तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
11	एचसीएम-6337/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्री मती काशीबाई पत्नि श्री मुन्ना नि. ग्राम बन्जरिया, गुन्डई जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
12	एचसीएम-6339/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्री श्याम सिंह आ. श्री मारूलाल नि. ग्राम जोनतला तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
13	एचसीएम-6341/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्री मेघराज आ. श्री घासीराम नि. ग्राम जोनतला तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
14	एचसीएम-6345/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्री लालसिंह आ. श्री बालाराम नि. ग्राम जोनतला तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
15	एचसीएम-6347/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्री शेरसिंह आ. श्री गम्मूलाल नि. ग्राम डोबी, तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
16	एचसीएम-6349/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्रीमती छोटीबाई चौहान पत्नि श्री शिवपाल सिंह चौहान नि. ग्राम जैत तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
17	एचसीएम-6351/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्रीमती गायत्रीबाई पत्नि श्री रामविलास नि.नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
18	एचसीएम-6352/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्रीमती ममता बाई पत्नि श्री तुलसीराम निवासी ग्राम चिचलाकलां जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
19	एचसीएम-6354/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1028	श्रीमती सुमंगाबाई पत्नि श्री शिवराम निवासी ग्राम राला, जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
		योग:-	रूपये 76,000/-



2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 76,000/- (रूपये छियहत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 06/09/2008

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7- 435/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर/रायसेन/विदिशा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,

4/714

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-436/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-सीहोर/भोपाल/रायसेन/रतलाम/सागर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,72,000/- (रूपये एक लाख बहत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-6323/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	श्री सुमित चौहान, अध्यक्ष, रामायण मण्डल ग्राम सागपुर ज.प. बुधनी जिला सीहोर (रामायण मण्डल हेतु संगीत सामग्री क्रय करने हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
2	एचसीएम-6329/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	श्रीमती रूबीना बी पत्नी सै. आरिफ अली निवासी आर/20/ए वार्ड न. 16 रंभा नगर बैरसिया रोड जिला भोपाल (माईग्रेन के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार मात्र)
3	एचसीएम-6333/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	संचालक, आदर्श अस्पताल पुलिस थाने के सामने, मेनरोड शाहजहानाबाद भोपाल श्री अजय कुमार जैन निवासी गैरतगंज जिला रायसेन (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र)

4	एचसीएम-6338/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	श्री संजय लाड़ निवासी म.न. 24, अजंता टाकीज रोड (सजनप्रभा के सामने) जिला रतलाम  (पत्नी ममता के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
5	एचसीएम-6342/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	संचालक, केशव हास्पिटल इतवारा बाजार होशंगाबाद  श्री हरिसिंह आ. श्री रामदयाल जाटव नि. ग्राम खटपुरा तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
6	एचसीएम-6346/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	संचालक, चिरायु अस्पताल 6 मालीपुरा भोपाल  श्रीमती सुगनाबाई पत्नी श्री लखनलाल नि. ग्राम सीलकण्ठ तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर.  (उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार मात्र)
7	एचसीएम-6348/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	श्री विजय सिंह नि. ग्राम ठीकरी तहसील बुधनी जिला सीहोर  (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
8	एचसीएम-6350/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	संचालक, चिरायु अस्पताल 6 मालीपुरा भोपाल  श्रीमती सावित्री खरे पत्नी श्री राज बहादुर खरे नि. भगत सिंह वार्ड खुरई जिला सागर  (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 30,000/- (तीस हजार मात्र)
9	एचसीएम-6353/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	श्री सुरेश आ. श्री प्रहलाद निवासी ग्राम ककरदा तहसील बुधनी जिला सीहोर  (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
10	एचसीएम-6355/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	श्री रामगोपाल आ. श्री फूलचन्द निवासी ग्राम ककरदा तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
11	एचसीएम-6356/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	श्री तखत आ. श्री रामगोपाल निवासी ग्राम ककरदा तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
12	एचसीएम-6358/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	श्री रमेश पुरी आ. श्री मूरत पुरी निवासी ग्राम ककरदा तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)

13	एचसीएम-6359/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	श्री रशीद खां आ. श्री बशीर खां निवासी ग्राम ककरदा तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
14	एचसीएम-6361/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	श्री रामलाल आ. श्री प्रहलाद निवासी ग्राम ककरदा तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
15	एचसीएम-6362/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	श्री कुंअर सिंह नि. ग्राम नयागांव तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
16	एचसीएम-6363/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	श्री घनश्याम सिंह आ. श्री हीरालाल निवासी ग्राम ककरदा तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
17	एचसीएम-6364/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	श्री कैलाश आ. श्री रामगोपाल निवासी ग्राम ककरदा तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
18	एचसीएम-6365/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	श्री मधुसुदन पारीख आ. श्री ब्रजमोहन नि. ग्राम पानगुराड़िया तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
19	एचसीएम-6366/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1029	श्री जितेन्द्र आ. श्री भंवर जी नि. ग्राम सतपिपलिया तहसील व जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
<b>योग:-</b>			<b>रूपये 1,72,000/-</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,72,000/- (रूपये एक लाख बहत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय

भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7- 436/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 06/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला - सीहोर/ भोपाल/ रायसेन/ रतलाम/सागर  
(मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7- 443/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/08/2008

कलेक्टर,  
जिला-गुना  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 80,000/- (रूपये अस्सी हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-5890./08 दिनांक 06.08.2008 आर-1030.	संचालक, एस.एन.जी. हॉस्पिटल, इंदौर 1. श्री विवेक पुत्र रामस्वरूप ढीमर निवासी खजूरी तह. आरोन जिला गुना (स्वयं के उपचार हेतु) 2. श्रीमती भूरिया बाई पुत्री श्री नौनीतराम धाकड़ निवासी रसूलपुर जिला गुना (स्वयं के उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार रूपये) रूपये 40,000/- (चालीस हजार रूपये)
		योग:-	रूपये 80,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 80,000/- (रूपये अस्सी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 443/2008/एक (1)

27/08/2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- गुना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग



मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 442/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल,दिनांक 25/08/2008

कलेक्टर,  
जिला-रायसेन  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,30,000/- (रूपये एक लाख तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-6289/08 दिनांक 13.08.2008 आर-1031	कलेक्टर रायसेन (श्री पप्पू आ. श्री शिवप्रसाद गौड नि. ग्राम साईखेड़ा की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार को आर्थिक सहायता)	रूपये 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार)
		योग:-	रूपये 1,30,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,30,000/- (रूपये एक लाख तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव 2/717 हिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 442/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 25/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-441/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-छतरपुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-6407/08 दिनांक 19.08.2008 आर-718	कलेक्टर/अध्यक्ष भारतीय रेडक्रास सोसायटी, छतरपुर (नौगांव गर्रोली रोड पर मुरम खदान के निकट पानी में डूबने से मृत निम्नांकित बच्चों के वारिस को आर्थिक सहायता) 1. कु. रीता राय आयु 12 वर्ष 2. श्री विश्वजीत राय आयु 08 वर्ष 3. श्री श्रीकांत राय आयु 06 वर्ष	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
		योग:-	रूपये 50,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.

प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-441/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक

06/09/2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- छतरपुर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 440/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/08/2008

कलेक्टर,  
जिला-भोपाल  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,25,000/- (रूपये एक लाख पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-6370/08 दिनांक 18.08.2008 आर-719	संचालक , भोपाल मेमोरियल एण्ड रिसर्च सेंटर, भोपाल श्री गोपाल दास गर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 14/2 बी, साकेत नगर, जिला-भोपाल (बायपास सर्जरी हेतु)	रूपये 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) (अतिरिक्त रूप से)
		योग:-	रूपये 1,25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,25,000/- (रूपये लाख पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव 2/719 हिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-440/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 25/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-439/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-छतरपुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-6367/08 दिनांक 18.08.2008 आर-720  घोषणा क्रमांक 4569 दिनांक 23.07.08	कलेक्टर, छतरपुर दिनांक 12/7/08 को छतरपुर पन्ना मार्ग पर सड़क दुर्घटना में निम्नलिखित मृत व्यक्तियों के वारिशों को सहायता 1. स्व.श्री पंकज द्विवेदी पिता श्री शिवचरण द्विवेदी ग्राम लौड़ी, जिला छतरपुर 2. स्व. श्री अजय पचौरी पति श्रीमती मनोरमा पचौरी ग्राम लौड़ी, जिला छतरपुर 3. स्व. श्री चंद्र शेखर अवस्थी पिता श्री शिवनारायण अवस्थी ग्राम लौड़ी, जिला छतरपुर	रूपये 1,00,000/- (एक लाख मात्र)  रूपये 1,00,000/- (एक लाख मात्र)  रूपये 1,00,000/- (एक लाख मात्र)
		योग:-	रूपये 3,00,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान

का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-439/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 06/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- छतरपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग



मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-433/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/08/2008

कलेक्टर,  
जिला-सतना/भोपाल/विदिशा/सीहोर/होशंगाबाद  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 6,77,000/- (रूपये छः लाख सतत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-6298/08 दिनांक 14.08.2008 आर-1018	मानस संघ, रामवन, सतना जिला सतना (रामवन विकास हेतु)	रूपये 5,00,000/- (पांच लाख मात्र) (नियमों को शिथिल कर)
2	एचसीएम-6290/08 दिनांक 13.08.2008 आर-1019	संचालक, चिरायु अस्पताल, 6, मालीपुरा, भोपाल मा. तेयब आ.श्री ताहीर खान नि. तिलक नगर, लालघाटी, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
3	एचसीएम-6291/08 दिनांक 13.08.2008 आर-1019	श्री नंदराम आ. श्री गंगाराम नि. 131, कांग्रेस नगर, पुराने नाके के पास, तह. हुजूर, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
4.	एचसीएम-6292/08 दिनांक 13.08.2008 आर-1019	श्रीमती अनीता ओसवाल पत्नि श्री नरेश ओसवाल नि. झुग्गी नं. 242, बाबा नगर, सी, सेक्टर, जैन किराना स्टोर के पास, शाहपुरा जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)

5.	एचसीएम-6294 / 08 दिनांक 13.08.2008 आर-1021	संचालक, टाटा मेमोरियल चिकित्सालय, मुम्बई (महाराष्ट्र) श्री कुष्ण कुमार सोनी, गांधी चौक सदर बाजार, गंजबासौदा जिला-विदिशा (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 40,000 /- (चालीस हजार मात्र)
6	एचसीएम-6295 / 08 दिनांक 13.08.2008 आर-1022	श्री अमित विश्वास, निवासी द्वारा श्री व्ही.के.अरख, एफ-120 / 11, शिवाजी नगर, जिला भोपाल (Undergraduates in Main Space Stream-Building a UV Spectrograph) ( शोध हेतु )	रूपये 40,000 /- (चालीस हजार मात्र) (नियमों को शिथिल कर)
7	एचसीएम-6357 / 08 दिनांक 14.08.2008 आर-1023	संचालक, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, रायसेन बायपास रोड़, भोपाल श्री गनपत सिंह आ. श्री मंगलसिंह नि. ग्राम खितवाई पो.आमोन तह.बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 20,000 /- (बीस हजार मात्र)
8	एचसीएम-6360 / 08 दिनांक 14.08.2008 आर-1024	श्री खिलावन चंद्राकर निवासी जूनियर एम.आई.जी-4, न्यास कॉलोनी, इटारसी जिला होशंगाबाद (उपचार हेतु)	रूपये 50,000 /- (पचास हजार मात्र)
		योग:-	रूपये 6,77,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 6,77,000/- (रूपये छः लाख सतत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-433/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 25/08/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-सतना/भोपाल/विदिशा/सीहोर/होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रैजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-438/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-जबलपुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-6418/08 दिनांक 20.08.2008 आर-1035	संचालक, कैंसर केयर क्लीनिक एण्ड हॉस्पिटल, नागपुर (महाराष्ट्र) श्री सतीश नायक निवासी मकान नं. -120 प्रायमरी लाल स्कूल के पीछे, गढाफाटक, जिला-जबलपुर (हड्डी का कैंसर उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (एक लाख मात्र)
		योग:-	रूपये 1,00,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव 2/722 हिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-438/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक

06/09/2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- जबलपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

कलेक्टर,  
जिला- भोपाल  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 5,49,000/- (रूपये - पांच लाख उन्नचास हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6439/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	कु. चन्दा पुत्र स्व. श्री मंगल सिंह झुग्गी नं. 257 शिव नगर आनन्द नगर के पास रायसेन रोड जिला भोपाल (गले के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
2	एचसीएम. 6441/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री नन्नूलाल कहार म.न. 7 गली नं. 2 द्वारका नगर,जिला भोपाल (दमा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
3	एचसीएम. 6444/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. विधायक श्री उमाशंकर गुप्ता	श्रीमती माया सोनी पत्नी श्री कमल सोनी एम. पी. नगर जोन-1 चेतक ब्रिज के नीचे कारगिल नगर म.नं. 20 वार्ड क्र. 47 जिला भोपाल (जीवन यापन हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
4	एचसीएम. 6446/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री गिरधारी लाल म. नं. 103 ए पुष्पा नगर जिला भोपाल (पत्नी श्रीमती रुकमणी यादव की बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 6451/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. विधायक श्री उमाशंकर गुप्ता	श्री नन्दराम आ. श्री हल्के सिंह वार्ड क्र. 14 आशानिकेतन स्कूल के पास बैरसिया जिला भोपाल (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)

6	एचसीएम. 6454/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री मांगीलाल मालवीय आ.श्री जगन्नाथ जी मालवीय म. नं. 262, ग्राम शाहपुरा सेन्द्रल के पास श्रीजी मेडीकल स्टोर के पीछे शाहपुरा, जिला भोपाल (पुत्र के पेट रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
7	एचसीएम. 6456/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री सुरेश चन्द प्लाट नं. 106/6, भीम नगर जिला भोपाल (पिताजी के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
8	एचसीएम. 6461/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री अनिल कुमार पटेल आ. श्री आर. एस. पटेल वार्ड क. 48 झुग्गी नं. 88 अर्जुन नगर जिला भोपाल (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
9	एचसीएम. 6464/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री नारायण सिंह म. नं. 8 गली नं. 2 द्वारका नगर जिला भोपाल (लकवा एवं हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
10	एचसीएम. 6467/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री लालाराम श्रीवास पुत्र श्रीबालकिशन श्रीवास आनन्द नगर जिला भोपाल (आंख के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
11	एचसीएम. 6469/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री मोहम्मद साजिद उर्फ राजा म.नं.32 हाजीमुस्तफा की चाल स्टेशन बजरिया जिला भोपाल (कान, नाक एवं गले के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
12	एचसीएम. 6471/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती नाहीद कुरैशी गली नं. 1 म. नं. ए/14, "इन्द्रा कालोनी" बाग उमराव दूल्हा जिला भोपाल (हृदय रोग एवं उच्चरक्तचाप के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार) नियमों को शिथिल कर
13	एचसीएम. 6474/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. मंत्री श्री राघवजी	श्री ओमप्रकाश शर्मा 157, शंकर नगर सेमरा गेट जिला भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
14	एचसीएम. 6482/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती शोभा शर्मा सर्वेन्ट क्वार्टर, ई-104/5 शिवाजी नगर जिला भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
15	एचसीएम. 6477/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा.विधायक श्री उमाशंकर गुप्ता	श्रीमती वसुन्धरा म.नं. बी-19, बी.डी.ए. कालोनी, सर्वेन्ट क्वार्टर, शिवाजी नगर जिला भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
16	एचसीएम. 6485/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री शीरीन खान आ. श्री अ. वहीद खान मकान नं.-7, हवा महल रोड़ वार्ड क्रमांक-7 जिला भोपाल (दोनों पैरो के आपरेशन के उपरान्त उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)

17	एचसीएम. 6490/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती रेखा द्विवेदी पत्नी श्री रतिराम द्विवेदी संतोषी नगर सेमराकला <b>जिला भोपाल</b> (स्त्री रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
18	एचसीएम. 6493/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री गयादीन बसोर आ. स्व.श्री नत्थू बसोर झुग्गी नम्बर 529 विश्वकर्मा नगर हबीबगंज <b>जिला भोपाल</b> (बवासीर एवं पथरी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
19	एचसीएम. 6500/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री जसवन्त कुमार तनवानी एच-23 पुराना क्वा. नं. 20-30, बैरागढ़ <b>जिला भोपाल</b> (पुत्र संजय तनवानी के दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
20	एचसीएम. 6503/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री यदुसिंह द्वारा श्री मेहताब सिंह आवास क्रं. 31/60 पुलिस लाईन डबल स्टोरी जहांगीराबाद <b>जिला भोपाल</b> (पत्नी श्रीमती सुन्दर बाई के आंख के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
21	एचसीएम. 6506/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री मनोज गुप्ता आ.श्री जुगलकिशोर गुप्ता ए-136, एशबाग कालोनी <b>जिला भोपाल</b> (पत्नी श्रीमती पूनम गुप्ता के मस्तिष्क रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
22	एचसीएम. 6507/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री मोहम्मद अमीन खान आ.श्री एम. वाय. खान म. नं. 31 अमान शादी हाल के पीछे मुकद्दस नगर <b>जिला भोपाल</b> (लकवा ब्लड प्रेशर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार) <b>नियमों को शिथिल कर</b>
23	एचसीएम. 6510/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती गीता बाई पत्नी स्व. श्री मोतीलाल घोसिया मस्जिद के सामने संजय नगर झुग्गी बस्ती <b>जिला भोपाल</b> (झुग्गी क्षतिग्रस्त होने से सहायता)	रूपये 10,000/- (दस हजार) <b>नियमों को शिथिल कर</b>
24	एचसीएम. 6540/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. विधायक श्री आरिफ अकील	श्रीमती हसीना बी पत्नी स्व. श्री मोहम्मद रफीक म. नं. 18, कबीटपुरा रोड <b>जिला भोपाल</b> (पेट में गठान के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
25	एचसीएम. 6544/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. मंत्री श्री जयंत कुमार मलैया	श्री उमेश कुमार द्विवेदी म. नं. 12, चूना भट्टी कोलार रोड <b>जिला भोपाल</b> (जोड़ो के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)



26	एचसीएम. 6549/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती फूलवती शाक्य पत्नी श्री आनंद सिंह 16/3, राधा कृष्ण मंदिर के सामने <b>जिला भोपाल</b> (श्वंस रोग के उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार)
27	एचसीएम. 6553/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती अम्बूबाई पत्नी स्व. श्री लक्ष्मण झुग्गी नं. 1063 रोशनपुरा नाका <b>जिला भोपाल</b> (स्त्री रोग के उपचार हेतु)	रुपये 8,000/- (आठ हजार)
28	एचसीएम. 6559/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री शाहिद खान पुत्र स्व. श्री रशीद 27, करबला रोड साजिदा नगर <b>जिला भोपाल</b> (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
29	एचसीएम. 6564/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. मंत्री श्री जगदीश देवड़ा	श्री संतोष मुदगल आ. श्री डी. पी. मुदगल ग्राम बीनापुर पो. खामखेड़ा तह. हुजूर <b>जिला भोपाल</b> (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रुपये 10,000/- (दस हजार)
30	एचसीएम. 6567/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती द्रोपती नीलकंठ पत्नी स्व. श्री सीमाराम नीलकंठ प्लॉट नं. 23 संतोषी विहार नरेला शंकरी अयोध्या बायपास <b>जिला भोपाल</b> (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रुपये 3,000/- (तीन हजार)
31	एचसीएम. 6571/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री दिवाकर लालजी डिगर्स आ. श्री लालाजी म. नं. 87 राहुल नगर <b>जिला भोपाल</b> (पिताजी के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रुपये 4,000/- (चार हजार)
32	एचसीएम. 6575/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती चिरोंजी बाई पत्नी स्व.श्री बाबूलाल गली नं. 2 संतोषी माता मंदिर फूटी बावड़ी पुष्पा नगर <b>जिला भोपाल</b> (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार)
33	एचसीएम. 6577/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. विधायक श्रीमती शशिप्रभा रामपालसिंह	श्रीमती फूलकुंवारी लोधी झुग्गी नं. 16 नियर अंजलि काम्पलेक्स ब्लॉक नं. 14 के सामने तुलसी नगर <b>जिला भोपाल</b> (अस्थि रोग के उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार)
34	एचसीएम. 6579/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री गणेश वाग आ. श्री नागोराव वाग बाग सेवनिया पुरानी बस्ती <b>जिला भोपाल</b> (पिताजी के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
35	एचसीएम. 6580/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री पप्पू शाक्या आ.श्री मोतीलाल शाक्य म. नं. 539 एन-1 हबीबगंज कस्तूरबा अस्पताल के पास <b>जिला भोपाल</b> (उपचार हेतु)	रुपये 2,000/- (दो हजार)

36	एचसीएम. 6581/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री नागेन्द्र तिवारी आ. श्री हीरालाल तिवारी म. नं. 66/46, के बाजू में झुग्गी टी. टी. नगर जिला भोपाल (विकलांगिता के कारण सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
37	एचसीएम. 6582/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती ऊषा देवी पत्नी श्री बी.एल. प्रजापति म. नं.24 गली नं. 2, हनुमान मंदिर के पीछे टीलाजमालपुरा जिला भोपाल (मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
38	एचसीएम. 6583/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. विधायक श्री कल सिंह भाबर	श्री शौकीलाल सेन ईश्वर नगर झुग्गी नं. 11 एकसीलेंस कालेज रोड कलियासोत डेम के नीचे जिला भोपाल (पुत्री पिकी सेन के आंखो के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
39	एचसीएम. 6584/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री सुमेर सिंह म. नं.18 शिवनगर 74 बंगला न्यूमार्केट टी टी. नगर जिला भोपाल (पत्नी के लीवर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
40	एचसीएम. 6550/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. मंत्री श्री रमाकांत तिवारी	श्री उमेश कुमार सोनी शंकराचार्य नगर जैन मंदिर के सामने स्टेशन एरिया जिला भोपाल (माताजी के हृदय एवं शुगर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
41	एचसीएम. 6554/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. विधायक श्री उमाशंकर गुप्ता	श्री देवी सिंह झुग्गी नं. 13 प्रेमपुरा भदभदा रोड जिला भोपाल (पत्नी के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
42	एचसीएम. 6558/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री अजय सातनकर म. नं. 11 बारह दफ्तर शेड नं. 9 के पीछे टी. टी. नगर जिला भोपाल (पत्नी श्रीमती संध्या सातनकर के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
43	एचसीएम. 6560/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती ऊषा चन्द्रवंशी ई-1/19, अरेरा कालोनी सर्वेंट क्वाटर जिला भोपाल (स्वयं के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
44	एचसीएम. 6563/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री रामबाबू शर्मा आ. श्री यादराय शर्मा जे-72, जनता क्वाटर अम्बेडकर जिला भोपाल (पुत्र सतीश शर्मा के आंख के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
45	एचसीएम. 6565/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती शुगरा बी पत्नी स्व. श्री अब्दुल रशीद झुग्गी नं. 1183 रोशनपुरा नाका जिला भोपाल (ब्लड प्रेशर के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)

46	एचसीएम. 6568/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री मदनलाल आ. स्व. श्री रामप्रसाद म. नं. 10/74, रोशनपुरा नाका बस्ती मण्डल न्यू मार्केट जिला भोपाल (सीने एवं पेट के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
47	एचसीएम. 6570/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती नमीता वाहने पति स्व. श्री प्रदीप वाहने वार्ड नं. 49 ज्योतिबा फुले नगर जिला भोपाल (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
48	एचसीएम. 6440/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	कु. वर्षा द्वारा श्री संजय शर्मा प्लाट नं. 36 नियर राम मंदिर चूना भट्टी कोलार रोड जिला भोपाल (माताजी श्रीमती सुनीता बाई के बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
49	एचसीएम. 6442/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	श्री रामगोपाल विश्वकर्मा म. नं. 1252 नई बस्ती भैंसाखेड़ी तह. हुजूर जिला भोपाल (विकलांगिता के कारण उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
50	एचसीएम. 6445/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. विधायक श्री मारोतराव खवसे	श्रीमती पिकी पति श्री अजय सिंह ई-36/45, बंगला स्टाफ क्वाटर जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
51	एचसीएम. 6447/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. संसद सदस्य श्री रामपाल सिंह	श्री मोहम्मद जावेद आ. श्री मोहम्मद हनीफ म. नं. 426 अशोक विहार मकबूल भाई की डेरी के पास नगर निगम कालोनी जिला भोपाल (पुत्र के खून की कमी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
52	एचसीएम. 6449/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती मंजू पत्नी श्री जगनराम सर्वेंट क्वाटर ई-100/50 के पास शिवाजी नगर जिला भोपाल (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
53	एचसीएम. 6455/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. मंत्री श्री बाबूलाल गौर	श्रीमती मीरा बाई पत्नी श्री रघुवर दयाल ग्राम दामखेड़ा वार्ड नं. 65 अयोध्या बायपास रोड जिला भोपाल (पति के पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
54	एचसीएम. 6458/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती रीना साहू पत्नी श्री महेन्द्र साहू झुग्गी नं. 2 वार्ड नं. 48 दुर्गा नगर शिवाजी नगर जिला भोपाल (पेट में गठान के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

55	एचसीएम. 6459/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. विधायक श्री भक्तपाल सिंह	श्री नीरज साहू पुत्र श्री ओमी साहू महुआखेड़ा वार्ड नं. 14 बैरसिया जिला भोपाल (दादी के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
56	एचसीएम. 6465/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती गीता बाई पत्नी श्री भागमल धाकड़ म. नं. 24 गली नं. 2 माता मोहल्ला बरखेड़ी जिला भोपाल (गले के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
57	एचसीएम. 6468/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री बद्रीप्रसाद मीणा आ.श्री छोटेराम मीणा ग्राम दौलतपुर ठीकरिया ग्राम पंचायत झिरनिया तह. हुजूर जिला भोपाल (स्वयं के उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
58	एचसीएम. 6472/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. राज्यमंत्री श्री तुकोजीराव पवार	श्री भास्कर ठाकरे, भृत्य शासकीय आवास क्रमांक आई 55/37 साऊथ टी. टी. नगर जिला भोपाल (पत्नी के सीने में दर्द के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार) (नियमों को शिथिल कर)
59	एचसीएम. 6475/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती पुष्पा शाक्य पत्नी श्री बब्लू शाक्य म. नं. 4 गली नं. 2 द्वारका नगर जिला भोपाल (सीने में दर्द के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
60	एचसीएम. 6478/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री राहिणी प्रसाद आ.श्री त्रिवेणी प्रसाद द्विवेदी झुग्गी नम्बर 2 रत्नागिरी रायसेन रोड जिला भोपाल (लीवर के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
61	एचसीएम. 6480/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री द्रोप सिंह पुत्र स्व. श्री दयाल सिंह झुग्गी अजय नगर शाहपुरा वार्ड क्रमांक 52 जिला भोपाल (कूहे की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
62	एचसीएम. 6481/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती विद्या पत्नी श्री बसंत कुमार म.नं.-62 गली नं.-1 कोच फेक्ट्री रोड द्वारका नगर जिला भोपाल (पुत्री कु.प्रीति के ब्लड कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
63	एचसीएम. 6484/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती साधना सोनी द्वारा जी-1/113, 1100 क्वाटर राजाभोज स्कूल के पास जिला भोपाल (दुर्घटना में घायल होने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
64	एचसीएम. 6487/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती कमलाबाई पत्नी श्री पडुलाल झुग्गी नं.-109 अशोक सम्राट नगर 6 नम्बर स्टाप जिला भोपाल (पति के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

65	एचसीएम. 6489/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री धारूसिंह पिता स्व. श्री किशन ग्राम दौलतपुर ठिकरिया पंचायत झिरनिया पों. मुगालिया हाट तह.हुजूर जिला <b>भोपाल</b> (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
66	एचसीएम. 6492/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती सुषमा यादव पत्नी श्री सतीश यादव संतोषी नगर झुग्गी एरिया कोलुआ कला जिला <b>भोपाल</b> (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
67	एचसीएम. 6495/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री कैलाश मेहरा म.नं.-25 बिजली कालोनी आनन्द नगर जिला <b>भोपाल</b> (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
68	एचसीएम. 6496/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती सीतादेवी पत्नी श्री अनिल तिवारी झुग्गी नम्बर-1 रत्नागिरि रायसेन रोड़ जिला <b>भोपाल</b> (प्रदर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
69	एचसीएम. 6497/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री राम रहीश पटेल आ. श्री जग्यसेन पटेल जनता क्वाटर 20 हर्ष वर्धन नगर जिला <b>भोपाल</b> (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
70	एचसीएम. 6499/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती जया पाटिल पत्नी श्री दीपक पाटिल म.न. 215 वार्ड नं-30 सुदामा नगर जिला <b>भोपाल</b> (स्त्री रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
71	एचसीएम. 6501/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती बुटान द्विवेदी पति श्री आर. पी. द्विवेदी झुग्गी नं.1 रत्नागिरि पानी की टकी के पास बायपास रायसेन रोड़ जिला <b>भोपाल</b> (प्रदर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
72	एचसीएम. 6504/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री अनंतलाल द्विवेदी आ. स्व. श्री मुन्नीलाल द्विवेदी म.नं.-100, एल.आई. जी.-बी-सेक्टर अयोध्या नगर जिला <b>भोपाल</b> (पेट में गठान के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
73	एचसीएम. 6508/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती तुलसाबाई पत्नी श्री मोतीलाल म.नं.-6 बरखेड़ी <b>भोपाल</b> (क्षय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
74	एचसीएम. 6509/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. मंत्री श्री बाबूलाल गौर	श्रीमती सुषमा तिवारी पत्नी श्री के.पी. तिवारी म.नं. 44 सूरज नगर भदभदा रोड़ <b>भोपाल</b> (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
75	एचसीएम. 6511/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती पार्वती अहिरवार पत्नी श्री कोमल प्रसाद अहिरवार झुग्गी नं. 75 कृष्णा नगर वार्ड का-52 <b>भोपाल</b> (पुत्री कु. प्रीति के कुष्ठ रोग के उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)

76	एचसीएम. 6512/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्रीमती आशा बाई पत्नी स्व. श्री लखनलाल झुग्गी नं. 371 कृष्णा नगर वार्ड क्र. 52 <b>भोपाल</b> (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
77	एचसीएम. 6514/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. मंत्री श्री बाबूलाल गौर	श्री विनोद उइके आ.श्री मन्साराम उइके नई बस्ती बागमुगालिया कंजर मोहल्ला वार्ड क्र. 54 <b>भोपाल</b> (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
78	एचसीएम. 6515/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री दीना प्रसाद ग्राम छावनी पठार पंचायत आदमपुर जनपद फंदा <b>जिला भोपाल</b> (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
79	एचसीएम. 6516/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036 मा. संसद सदस्य श्री लक्ष्मीनारायणशर्मा	श्री नवल सिंह आ. श्री नंदराम भुजपुराकला बैरसिया <b>जिला भोपाल</b> (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
80	एचसीएम. 6518/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री मिट्टूलाल आ. स्व.श्री खुशीलाल झुग्गी नं. 232/2, सी सेक्टर पिपलानी दूध डेयरी एरिया पिपलानी पोस्ट आफिस भेल <b>जिला भोपाल</b> (सीने में दर्द के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
81	एचसीएम. 6520/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री मांगीलाल मेवाड़ा आ.श्री पन्नालाल मेवाड़ा म. नं. सी-16 न्यू जनता कालोनी गैस राहत गौतम नगर <b>जिला भोपाल</b> (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
82	एचसीएम. 6524/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1036	श्री नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव प्लाट नं. 83, एम. पी. नगर जोन-2 अमेरिका इंग्लिश कोचिंग <b>जिला भोपाल</b> (पत्नी श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव की बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
<b>योग:-</b>			<b>रूपये 5,49,000/-</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,49,000/- (रूपये पांच लाख उन्नचास हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-ग्वालियर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6525/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1037 मा. राज्यमंत्री श्री नारायनसिंह कुशवाह	श्री राजेन्द्र खरे जवाहर कालोनी हरिजन बस्ती कम्पू जिला ग्वालियर (शरीर में गठान के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि



संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- ग्वालियर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-437 / 2008 / एक (1)

भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-दतिया  
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 30,000 /- (रूपये तीस हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6526 / 08 दिनांक 01.08.08 आर. 1038	संचालक सहारा अस्पताल वसंत विहार ग्वालियर श्री मनोज कुमार मिश्रा ग्राम सलैया पमार जिला दतिया (कैन्सर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 30,000 /- (तीस हजार)
		योग:-	रूपये 30,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 30,000 /- (रूपये तीस हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437 / 2008 / एक (1)

08 / 09 / 2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- दतिया (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला- रायसेन  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 3,000/- (रूपये तीन हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6527/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1039	श्री सीताराम आ. स्व. श्री सेवाराम मैना ग्राम पंचायत शरार पो.दीवानगंज विदिशा रोड जिला रायसेन (चर्म रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
योग:-			रूपये 3,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,000/- (रूपये तीन हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-रायसेन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रैजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-437 / 2008 / एक (1)

भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-सीहोर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 30,000 /— (रूपये तीस हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:—

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6528 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1040	श्रीमती बतूल बी पत्नी स्व.श्री शिबू खां ग्राम नांदनेर तह. बुधनी जिला सीहोर (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000 /— (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6529 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1040	श्रीमती लक्ष्मीबाई पिता श्री सुखराम अहिरवार ग्राम जोनतला तह.बुदनी जिला सीहोर (हाथ के फेक्चर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /— (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6531 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1040	श्रीमती कल्पना सुलोदिया पत्नी श्री श्यामसुन्दर सुलोदिया जनता कालोनी सीहोर (पुत्री स्वाती के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /— (दस हजार)
4	एचसीएम. 6533 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1040 मा. मंत्री श्री बाबूलाल गौर	श्री रामगोपाल शर्मा सरदार नगर तह. बुदनी जिला सीहोर (संत फक्कड़ बाबा के आंख के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /— (दस हजार)
		योग:—	रूपये 30,000 /—

2 / उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 30,000 /— (रूपये तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का

आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
-:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-437 / 2008 / एक (1)

भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-विदिशा  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,55,000 /- (रूपये एक लाख पचपन हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6534 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1041	श्री परसराम पुत्र श्री शिवलाल विश्वकर्मा ग्राम टीलाखेंडी जिला विदिशा (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 /- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 6536 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1041 मा. मंत्री श्री राघवजी	श्री संतोष रघुवंशी ग्राम दीपनखेड़ा तह. सिरोंज जिला विदिशा (माताजी श्रीमती मुन्नी बाई रघुवंशी के ब्रेनहेमरेज के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
3	एचसीएम. 6537 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1041 मा. मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	श्री भूरे सिंह उर्फ युवराज सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह ग्राम गोपी बलाई लटेरी जिला विदिशा (कटी एड़ी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 6539 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1041	श्री मिथलेश नामदेव पुत्र श्री द्वारका प्रसाद नामदेव लुहांगीपुरा जिला विदिशा (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
5	एचसीएम. 6542 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1041 मा. मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी श्री हरनाम दास ग्राम ललचिया तह.लटेरी जिला विदिशा (आंख के कायैयाबिन्द रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार)



6	एचसीएम. 6545/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1041 मा. मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	श्री पप्पूसिंह उर्फ रणवीरसिंह दांगी पुत्र श्री बाबूलाल ग्राम धानोदा तह.सिरौंज जिला विदिशा (रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
7	एचसीएम. 6450/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1041	श्रीमती हरिबाई पत्नी स्व. श्री लच्छु जाटव तह. बासोदा विद्याश्री लाज के पीछे थाने के सामने सिंधी कालोनी बासोदा जिला विदिशा (पुत्र लोकेश के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार) नियमों को शिथिल करते हुए
8	एचसीएम. 6453/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1041	श्री भैयालाल आ. श्री नब्बूलाल अहिरवार ग्राम झूकर होज तह. सिरौंज जिला विदिशा (स्वयं के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
9	एचसीएम. 6457/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1041	श्री कारेलाल वंशकार पुत्र श्री चिरोंजीलाल ग्राम कुल्हन पो विशनपुर तह. कुरवाई जिला विदिशा (पीलिया एवं पान्दुल रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
10	एचसीएम. 6460/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1041 मा. मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	श्री जमनालाल पुत्र श्री हरबक्श गुर्जर ग्राम जमोनिया खुर्द तह. लटेरी जिला विदिशा (पिताजी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
11	एचसीएम. 6462/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1041	श्रीमती विमला वंशकार पत्नी श्री पप्पू ग्राम सकरौली पो. अम्मानगर तह. बासोदा जिला विदिशा (बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
12	एचसीएम. 6463/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1041	डॉ. संजय वसंत राज पाटिल संचालक हार्ट संजीवनी सेंटर मल्ली मेडीकल एण्ड रिसर्च ग्रुप नाशिक महाराष्ट्र श्री विश्वनाथ ताम्रकार मालगोदाम रोड गंजबासोदा जिला विदिशा (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
13	एचसीएम. 6466/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1041	श्री रामकली बाई पत्नी स्व. श्री महेश ग्राम पगरानी तह. सिरौंज जिला विदिशा (रीढ़ की हड्डी एवं पैर के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
14	एचसीएम. 6470/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1041	श्रीमती केशरबाई पत्नी श्री नाथूराम धानक लोहांगीपुरा जिला विदिशा (पुत्री कु.भारती के मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)

15	एचसीएम. 6473/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1041 मा. मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	श्री अजीत जैन आ.श्री गुलाबचन्द जैन ग्राम ललचिया तह.लटेरी जिला विदिशा (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 1,55,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 1,55,000/- (रूपये एक लाख पचपन हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....

7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-437 / 2008 / एक (1)

भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-इन्दौर.  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 50,000 /- (रूपये पचास हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6476 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1042	श्रीमती कृष्णा बाई पति स्व. श्री रामेश्वर गुप्ता द्वारा छोगालाल चौहान 19/3, मोती तवेला जिला-इन्दौर (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 /- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 6479 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1042 मा. मंत्री श्री कमल पटेल	श्री भगवान लाल पिता श्री हजारी लाल ग्राम पुवाडादाई तह. सांवेर जिला इन्दौर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
3	एचसीएम. 6483 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1042 मा. मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य	श्री मनोज शर्मा 30/17 मल्हारगंज गली नम्बर-1 जिला इन्दौर (पत्नी श्रीमती वर्षा शर्मा के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
4	एचसीएम. 6486 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1042 मा. मंत्री श्रीकैलाशविजयवर्गीय	श्री अशोक पिता श्री बालकृष्ण जोशी 6/1, चन्द्रभागा जूनी जिला इन्दौर (पुत्री के गंभीर बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)

5	एचसीएम. 6488 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1042 मा. मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय	श्री ठाकुरदास आ. श्री गोकुलदास बांगर 371, रूपेश यादव नगर नेहरू नगर रोड नं. 6 के पीछे जिला इन्दौर (कूल्हे के जोड़ के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 50,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 50,000 / - (रूपये पचास हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-437 / 2008 / एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल

3. कोषालय अधिकारी, जिला- इन्दौर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-खरगोन  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 39,000/- (रूपये उन्चालीस हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6491/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1043	श्री गजानंद पिता श्री बाबू बलाई बैजापुरा जिला खरगौन (पैरों के फेक्चर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 6494/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1043	श्री बालकृष्ण पिता श्री शिवनारायण ब्राह्मण ढकलगांव तह. बड़वाहा जिला खरगौन (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
3	एचसीएम. 6498/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1043	श्रीमती मीराबाई पत्नी श्री मोहन कहार सनावद तह. बड़वाह जिला खरगौन (पेट में गठान के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 6502/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1043	श्रीमती मधुबाई पत्नी श्री गोकुल कुमावत बाड़ी खुर्द तह. बड़वाहा जिला खरगौन (पति के मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
		योग:-	रूपये 39,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 39,000/- (रूपये उन्चालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा

जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- खरगौन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग



मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-शाजापुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6513/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1044	श्रीमती कसूबाई पति श्री माखन सिंह ग्राम पोलायकलां जिला शाजापुर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 6517/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1044	श्री संतोष पुत्र श्री रामगोपाल मनसाया तह. कालापपीपल जिला शाजापुर (जल जाने से उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6519/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1044	श्री प्रफुल्ल नाहटा अकोदिया मण्डी जिला शाजापुर (उंगली के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 20,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.

प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- शाजापुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रिजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-437 / 2008 / एक (1)

भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-होशंगाबाद  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 60,000 /- (रूपये साठ हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6521 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1045	श्री तुकाराम पुत्र श्री बालाराम विश्वकर्मा रमपुरा तह. सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (पैर के फेक्चर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
2	एचसीएम. 6522 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1045	श्रीमती मालती कुशवाह पत्नी स्व. श्री मनोहर कुशवाह ग्राम बहारपुर तह. बाबई जिला होशंगाबाद (पुत्र मनीष के दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
3	एचसीएम. 6523 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1045	श्री रामसेवक शर्मा पुत्र श्री धन्नुलाल शर्मा बुधनी तह. बाबई जिला होशंगाबाद (डिम्टोनिया रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
4	एचसीएम. 6530 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1045	श्री महेश कुमार आ.श्री चुन्नीलाल दुबे ग्राम समौन तह.बाबई जिला होशंगाबाद (दुर्घटनाग्रस्त परिवार के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 /- (पन्द्रह हजार)
5	एचसीएम. 6532 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1045	श्री वासुदेव तिवारी ग्राम आरी तह. बाबई जिला होशंगाबाद (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 /- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 60,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 60,000/- (रूपये साठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहे हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-रीवा  
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 71,000/- (रूपये इकहत्तर हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6535/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1046	श्री राजेश गुप्ता पिता श्री लालमणि गुप्ता ग्राम बैकुण्ठपुर तह. सिरमौर जिला रीवा (पुत्र की कुए में गिरने से मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6538/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1046	श्री नारेन्द्र पटेल पिता श्री मक्सूदन पटेल ग्राम संसापुर तह. सिरमौर जिला रीवा (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6541/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1046	श्री गोपाल सिंह पिता श्री छोटा सिंह ग्राम पनगड़ी पों.अंतरैला तह. सिरमौर जिला रीवा (टी.बी. रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
4	एचसीएम. 6546/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1046	श्री गंगादीन ताम्रकार पिता श्री जगन्नाथ प्रसाद ताम्रकार नगर पंचायत मनगवां बस्ती वार्ड क्र. 7 तह. सिरमौर जिला रीवा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 6551/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1046	श्री मकरध्वज सिंह पिता श्री ओंकार सिंह ग्राम फूल पुस्ट आ. संसापुर तह. सिरमौर जिला रीवा (फेफड़ों के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)

6	एचसीएम. 6556 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1046	श्री राममिलन साकेत पिता श्री भुअर साकेत ग्राम पो. लालगांव अटरिया वि.ख. गंगेव तह. सिरमौर जिला रीवा (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार)
7	एचसीएम. 6543 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1046	श्रीमती राजवन्ती पटेल पति श्री मोतीलाल पटेल ग्राम माला पंचायत खरहरी वि. गंगेव तह. सिरमौर जिला रीवा (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
8	एचसीएम. 6547 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1046	श्री हेमन्त रानीतालाब कालोनी वार्ड क. 38 जिला रीवा (पुत्र हर्ष के हृदय में छिद्र के उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार)
9	एचसीएम. 6548 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1046	श्री रामाधार पिता श्री रामसजीवन ग्राम कोलहा पो. दुलहरा तह. सिरमौर जिला रीवा (गंभीर बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार)
10	एचसीएम. 6559 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1046	श्रीमती गुलाबकली पत्नी श्री बृजलाल मिश्रा ग्राम परसिया पो. शिवराजपुर वि.ख. नई गढ़ी जिला रीवा (उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार)
11	एचसीएम. 6555 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1046	श्री भगवानदीन साकेत पिता श्री संपति साकेत ग्राम परसिया मुड़हान पो. रामपुर थाना नई गढ़ी जिला रीवा (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
12	एचसीएम. 6557 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1046	श्री संतोष कुमार जायसवाल पिता श्री लक्ष्मण जायसवाल मनगंवा बस्ती वार्ड क-5 जिला रीवा (पांव के उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार)
13	एचसीएम. 6561 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1046	श्री अनिल कुमार गुप्ता आ.श्री बिहारीलाल गुप्ता ग्राम तमरादेश थाना गुढ जिला रीवा (हेपीटाइटिस रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 / - (पन्द्रह हजार)
14	एचसीएम. 6566 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1046	श्री धनपत चौरसिया ग्राम सेमरिया जिला रीवा (पुत्र के ब्रेन ट्यूमर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
		योग:-	रूपये 71,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 71,000 / - (रूपये इकहत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा

जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रीवा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-437 / 2008 / एक (1)

भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-सीधी  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 4,000 /- (रूपये चार हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6569 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1047	श्रीमती हिरुआ पत्नी श्री बुद्धसेन चर्मकार ग्राम नौढिया तह.सिहावल जिला सीधी (पेट में गोले के उपचार हेतु)	रूपये 4,000 /- (चार हजार)
		योग:-	रूपये 4,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 4,000 /- (रूपये चार हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।



5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सीधी (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला- धार  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 23,000/- (रूपये तेइस हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6572/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1048 ए मा. राज्यमंत्री श्रीमती रंजना बघेल	श्री शंकर मुकाती ग्राम गुलाटी तह. मनावर जिला धार (पुत्री बेबी तितिक्षा के हृदय वाल्व के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 6573/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1048 ए	श्री अब्दुल शवाब पुत्र श्री छीतू शाह मकान नं.-172 वार्ड क्रं. 13 जिला धार (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
		योग:-	रूपये 23,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 23,000/- (रूपये तेइस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- धार (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। **सर्वर में फीड करावे।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-437 / 2008 / एक (1)

भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला- सागर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6574 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1048-बी मा. संसद सदस्य श्री रामपाल सिंह	श्री नारायण सिंह आ. श्री नृपत सिंह रामपुरा वार्ड मजार के पास लक्ष्मीचंद जैन का मकान में जिला सागर (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सागर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रिजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-खण्डवा  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6576/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1048-सी	श्री ओमप्रकाश पिता श्री घीसाजी ग्राम बलखड़घाटी तह. पंधाना जिला खण्डवा (पैर में गैंगरीन की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- खण्डवा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-437 / 2008 / एक (1)

भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-बुरहानपुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 53,000 / - (रूपये तिरपन हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6578 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1048-डी	श्रीमती मेहमूदा बी पत्नी श्री रशीद हसन मु. पो. सारोला तह. नेपालगर जिला बुरहानपुर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
2	एचसीएम. 6578 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1048-डी	श्री अमरा चारण असीरगढ़ जिला बुरहानपुर (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
3	एचसीएम. 6590 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1048-डी	श्रीमती पुष्पाबाई प्रकाश टिपरे आदर्श कालोनी मनोज टाकीज के पास तह. नेपालगर जिला बुरहानपुर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
4	एचसीएम. 6592 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1048-डी मा.संसद सदस्य श्री नंदकुमारसिंह चौहान	श्री विलास पिता श्री देवराम वार्ड क्रमांक-3 श्री कृष्ण मंदिर शाहपुर जिला बुरहानपुर  (पुत्र तुषार के पेट रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000 / - (आठ हजार)



5	एचसीएम. 6593/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1048—डी मा. संसद सदस्य श्री नंदकुमारसिंह चौहान	श्री किशोर बाबूराव चौधरी ग्राम बादरली जिला बुरहानपुर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 /— (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 53,000 /—

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 53,000 /— (रूपये तिरेपन हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण—पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश कमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008—09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या—1— सामान्य प्रशासन—शीर्ष—2013—105—मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान—(42) —सहायक अनुदान—007—अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7— 437 /2008 /एक (1)

प्रतिलिपि—

1

महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश

2

सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 08 /09 /2008

3. कोषालय अधिकारी, जिला- बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-437 / 2008 / एक (1)

भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-टीकमगढ़  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,27,000 / - (रूपये एक लाख सत्ताईस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6595 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1049  एचसीएम. 6597 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1049	1. श्री संतोष लोधी धजरई जिला टीकमगढ़ (पुत्र रवीन्द्र लोधी की डूबकर मृत्यु हो जाने से सहायता) 2. श्री राजकुमार लोधी धजरई जिला टीकमगढ़ (पुत्र महेन्द्र लोधी की डूबकर मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)  रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6598 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1049	श्री पंकज तनय श्री रूप नारायण विदुआ सुनवाहा जिला टीकमगढ़ (विकलांगिता के कारण सहायता)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार)
3	एचसीएम. 6600 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1049	श्री पन्नालाल तनय श्री मचल कुम्हार अस्तारी निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)

	एचसीएम. 6602/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1049	1. मृतक पुष्पेन्द्र आ. श्री रमेश तिवारी ग्राम बराना तह. पलेरा <b>जिला टीकमगढ़</b> (दिनांक 09 अगस्त, 2008 को दुर्घटना में मृतक के परिवार को सहायता)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
	एचसीएम. 6603/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1049	2. मृतक बृजेन्द्र आ. श्री रमेश तिवारी ग्राम बराना तह. पलेरा <b>जिला टीकमगढ़</b> (दिनांक 09 अगस्त, 2008 को दुर्घटना में मृतक के परिवार को सहायता)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
	एचसीएम. 6605/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1049	3. मृतका कु. संध्या पुत्री श्री हरिशंकर तिवारी ग्राम बराना तह. पलेरा <b>जिला टीकमगढ़</b> (दिनांक 09 अगस्त, 2008 को दुर्घटना में मृतक के परिवार को सहायता)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
	एचसीएम. 6606/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1049	4. घायल श्री रमेश तिवारी आ. श्री अच्छेलाल तिवारी ग्राम बराना तह. पलेरा <b>जिला टीकमगढ़</b> (दिनांक 09 अगस्त, 2008 को दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 6608/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1049	5. घायल श्रीमती उमा तिवारी पत्नी श्री रमेश तिवारी ग्राम बराना तह. पलेरा <b>जिला टीकमगढ़</b>	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 6609/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1049	6. घायल श्रीमती मन्नू तिवारी पत्नी श्री पुष्पेन्द्र तिवारी <b>जिला टीकमगढ़</b> (दिनांक 09 अगस्त, 2008 को दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 6610/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1049	7. घायल मास्टर मंथन पुत्र श्री पुष्पेन्द्र तिवारी ग्राम बराना तह. पलेरा <b>जिला टीकमगढ़</b> (दिनांक 09 अगस्त, 2008 को दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 6612/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1049	श्री खुमना अहिरवार तनय श्री खरगा अहिरवार इमलाना बल्देवगढ़ <b>जिला टीकमगढ़</b> (मकान में आग लग जाने के कारण सहायता)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
6	एचसीएम. 6614/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1049	श्री गनेश तनय श्री लटोरा रैकवार जतारा <b>जिला टीकमगढ़</b> (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		<b>योग:-</b>	<b>रूपये 1,27,000/-</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये रूपये 1,27,000/- (रूपये एक लाख सत्ताईस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-437 / 2008 / एक (1)

भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-नरसिंहपुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,25,000 /- (रूपये लाख पच्चीस हजार ) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6615 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1050	श्री शोभाराम आ. श्री रंजोर सिंह चौधरी 138 निरंजन वार्ड नरसिंहपुर (शवास एवं शुगर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6617 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1050	श्री बाबूलाल सिलावट आ. श्री लालजी सिलावट ग्राम तिंदनी जिला नरसिंहपुर (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6618 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1050	श्री लेखराम उर्फ लखन लोधी आ. श्री तेजीलाल लोधी हरदौल वार्ड गोटेगांव जिला नरसिंहपुर (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
4	एचसीएम. 6622 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1050	संचालक अरनेजा हार्ट इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर लि. नागपुर (महाराष्ट्र) श्री बसंत कुमार तिवारी आ.श्री महेश कुमार तिवारी ग्राम बम्हौरी कला तह.गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1.00 लाख (एक लाख)
5	एचसीएम. 6620 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1050	श्रीमती रामवती अहिरवार पति श्री छोटेला लाल अहिरवार ग्राम पीपरपानी तह. गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 /- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 1,25,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,25,000/- (रूपये एक लाख पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला- नीमच  
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 56,000/- (रूपये छप्पन हजार) मात्र स्वीकृत किये है:—

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6625/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1051	श्री प्रह्लाद माली ग्राम कल्याणपुरा जीरन जिला नीमच (विद्युत करेंट लग जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 6626/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1051	संचालक भंडारी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर इन्दौर श्रीमती चन्दा बाई पत्नी श्री सुन्दरलाल जैन जीरन जिला नीमच (मस्तिष्क के कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
3	एचसीएम. 6628/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1051	श्रीमती रामनारायण बाई पत्नी स्व. श्री कैलाशचन्द ग्राम सावन जिला नीमच (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 6630/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1051	श्री शंभूलाल पुत्र श्री मोतीलाल भील ग्राम लखमी जिला नीमच (पत्नी के बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
5	एचसीएम. 6631/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1051	श्री सत्यनारायण तम्बोली ग्राम कुकडेश्वर जिला नीमच (लकवा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
		योग:-	रूपये 56,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 56,000/- (रूपये छप्पन हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का



आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- नीमच (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-सिवनी  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 8,000/- (रूपये आठ हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6633/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1052	श्रीमती प्रेमिला बाई पत्नी स्व. श्री डोमालाल गढ़वाल मु. पो. पांडिया छापारा जिला सिवनी (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
2	एचसीएम. 6635/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1052	श्रीमती बबीता बाई पत्नी स्व.श्री रविशंकर घन्सौर जिला सिवनी (पति की ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 8,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 8,000/- (रूपये आठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सिवनी (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे । सर्वर में फीड करावे ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-श्यापुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 8,000/- (रूपये आठ हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6636/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1053	श्री रवि कुमार पुत्र श्री गिराज प्रसाद बहरावदा जिला श्यापुर (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
		योग:-	रूपये 8,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 8,000/- (रूपये आठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-श्यापुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-राजगढ़  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 34,000/- (रूपये चौतीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6585/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1054	श्री कन्हैयालाल पिता श्री मोतीलाल दांगी ग्राम चौसला जिला राजगढ़ (भाई श्री शिवनारायण दांगी के फेफड़ों के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2.	एचसीएम. 6586/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1054 मा.मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	श्री विष्णुप्रसाद कालीपीठ ब्यावरा जिला राजगढ़ (पुत्री कु. गुडडी बाई के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3.	एचसीएम. 6587/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1054 मा.मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	श्री सुखराम बंजारा ग्राम झागरिया तह. नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (पुत्री आरती के जल जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 6589/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1054	श्री रमेश चन्द्र ग्राम पीपल्या रसोड़ा ब्यावरा जिला राजगढ़ (पुत्र रामबाबू के कूल्हे की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
5	एचसीएम. 6591/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1054 मा.मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	श्रीमती गंगाबाई पत्नी स्व. श्री भैरोसिंह खटीक वार्ड क्रं.-18 पुनीत टाकीज के पास सुठालिया रोड ब्यावरा जिला राजगढ़ (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 34,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 34,000/- (रूपये चौतीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-437 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- राजगढ़ (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-437 / 2008 / एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2008

कलेक्टर,  
जिला-अशोकनगर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6594 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1055	संचालक गोकुलदास हार्ट हास्पिटल इन्दौर श्री बाबूलाल जैन पुत्र श्री बिहारी लाल जैन पधाड़ी खेड़ा रोड सोनी कालोनी जिला अशोकनगर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 50,000 /- (पचास हजार मात्र)
		योग:-	रूपये 50,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।



5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-अशोकनगर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
-:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-437 / 2008 / एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2008

कलेक्टर,  
जिला- पन्ना  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6596 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1056	श्री मूलचन्द दीक्षित ग्राम व पोस्ट सुडौर तह. शाहनगर जिला पन्ना (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2.	एचसीएम. 6599 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1056 मा.मंत्री श्री मोती कश्यप	श्रीमती साधना खरे पति श्री कमल किशोर खरे हरदौल चौक तह.शाहनगर जिला पन्ना (पति के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 20,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- पन्ना (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रिजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें ।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की** ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें । सर्वर में फीड करावें ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित** .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

कलेक्टर,  
जिला- मण्डला  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 5,000/- (रूपये पाच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6601/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1057	श्रीमती कौशल्या बाई पति स्व.श्री महगू कुचबंदिया नारायणगंज ज्वालाजी वार्ड महाराजपुर जिला मण्डला (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र )
		योग:-	रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पाच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- मण्डला (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित** .....
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला- जबलपुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,50,000/- (रूपये एक लाख पचास हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6604/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1058	श्री आकाश अरोरा पंचशील नगर नर्मदारोड़ जिला जबलपुर (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 6607/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1058	सुश्री ऊषा नावलेकर पिता स्व. श्री जी. व्ही.नावलेकर 507 इन्द्राणी एन्चलेव, लखन डेयरी के सामने यादव कालोनी जबलपुर (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 6611/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1058	संचालक सिटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर जबलपुर श्री राजकुमार तिवारी नारायण टाकीज के सामने वार्ड नं. 5 सिहोरा जिला जबलपुर (कूल्हे के प्रत्यारोपण हेतु)	रूपये 1.00 लाख (रूपये एक लाख)
4	एचसीएम. 6613/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1058 मा.राज्यमंत्री श्री मोती कश्यप	श्री असलम अली एडवोकेट आनन्द नगर पनागर जिला जबलपुर (माताजी श्रीमती जहूरबी के कानों के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम. 6616/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1058	श्री मोहम्मद शफीक गाजीनगर चित्तरंजन वार्ड मस्जिद के पास जिला जबलपुर (शिक्षा दीक्षा हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) (नियमों को शिथिल कर)
		योग:-	रूपये 1,50,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,50,000/—(रूपये एक लाख पचास हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- जबलपुर. (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-437 / 2008 / एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

कलेक्टर,  
जिला- मंदसौर  
मध्यप्रदेश

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 28,000/- (रूपये अठाईस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6619/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1059	श्री सुनील पिता श्री भागीरथ ग्वाला बालागंज जिला मंदसौर (भाई मनीष के सिर में चोट लग जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2.	एचसीएम. 6621/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1059	श्री जसवंत सिंह नायक पिता श्री भूरसिंह नायक भैसादा मण्डी जिला मंदसौर (विभिन्न शारीरिक बीमारियों के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3.	एचसीएम. 6623/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1059	श्री महेन्द्र पिता श्री बाबूलाल ग्राम बेखेड़ा जिला मंदसौर (टी. बी. रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
4	एचसीएम. 6624/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1059	श्री संजय जैन पिता श्री कोमलचन्द्र जैन, प्रतापगढ़ रोड खानपुरा जिला मंदसौर (पुत्री स्वपनिल के पेट के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 28,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 28,000/- (रूपये अठाईस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।



3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-मंदसौर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

कलेक्टर,  
जिला- दमोह  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6627/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1060 मा. राज्य मंत्री श्री गंगाराम पटेल	श्रीमती राधा रानी पति श्री प्रतापसिंह लोधी ग्राम मोहरई तह. हटा जिला दमोह (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- दमोह (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-उज्जैन  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 70,000/- (रूपये सतर हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6629/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1061	श्री विष्णुदास बैरागी, भृत्य तहसील कार्यालय जिला उज्जैन (वेरोकोष वेन की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2.	एचसीएम. 6632/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1061	श्री मोहम्मद कयूम पिता श्री अजीजुल्ला अब्बासभाई के टाल के पीछे वार्ड नं-7 तराना जिला उज्जैन (घर का सामान जल जाने से)	रूपये 5,000/- (पांच हजार) नियमों को शिथिल कर
3.	एचसीएम. 6634/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1061	श्री नन्दकिशोर पिता श्री जगन्नाथ जी ग्राम माकड़ोन तह.तराना जिला उज्जैन (पोती के शारीरिक एवं मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 6637/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1061 मा. राज्यमंत्री श्री पारसचन्द्र जैन	संचालक धर्मसिंह देसाई मेमोरियल मेथोडिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एण्ड कार्डियोवसक्यूलर सर्जरी सी. जे. पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियाक रिसर्च नाडियाड गुजरात श्री गोपाल भार्गव, पत्रकार जिला उज्जैन (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
		योग:-	रूपये 70,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 70,000/- (रूपये सतर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-उज्जैन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग



मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-मुरैना  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार **रूपये 1,31,000/-** (रूपये एक लाख इकत्तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6640/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1062	श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री दामोदर शर्मा ग्राम बरेह तह.अम्बाह जिला मुरैना (सिर की चोट के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
2.	एचसीएम. 6642/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1062 मा. संसद सदस्य श्री अशोक अर्गल	संचालक मूलजीभाई पटेल यूरोलाजी हास्पिटल नाडियाड गुजरात श्री हरेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री कमल सिंह तोमर वंशीधर कालोनी, सुभाष नगर, जिला मुरैना (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
3.	एचसीएम. 6644/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1062 मा. संसद सदस्य श्री अशोक अर्गल	संचालक कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जनविकास न्यास ग्वालियर श्री रमेश चन्द मौर्य पुत्र श्री रामप्रसाद मौर्य बाबा वाली गली दत्त पुरा जिला मुरैना (पत्नी श्रीमती रामकली मौर्य के ब्लड कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)

4	एचसीएम. 6646/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1062 मा. संसद सदस्य श्री अशोक अर्गल	श्री गुटई सिंह पुत्र श्री जयसिंह तोमर नगरा थाना नगरा तह. पोरसा <b>जिला मुरैना</b> (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 6648/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1062 मा. संसद सदस्य श्री अशोक अर्गल	श्री गोदईया जाटव ग्राम टुडीला तह. जौरा <b>जिला मुरैना</b> (पत्नी की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
6	एचसीएम. 6650/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1062	श्रीमती पुष्पा जाटव पत्नी श्री मेधसिंह जाटव दत्त पुरा <b>जिला मुरैना</b> (पुत्री कुमारी ललिता के उपचार हेतु सहायता)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
7	एचसीएम. 6652/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1062 मा. संसद सदस्य श्री अशोक अर्गल	श्रीमती फूलश्री जाटव पत्नी श्री हरीराम जाटव वार्ड क्रमांक 6 तुलसीपुरा <b>जिला मुरैना</b> (रक्त संबंधी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
8	एचसीएम. 6638/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1062 मा. संसद सदस्य श्री अशोक अर्गल	1. श्री रघुराज सिंह ग्राम नाई गांगौली <b>जिला मुरैना</b> (पुत्री के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
	एचसीएम. 6639/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1062	2. श्री नव्वा जाटव ग्राम हुसैनपुर तह. जौरा <b>जिला मुरैना</b> (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
	एचसीएम. 6641/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1062	3. श्री कमल सिंह जादौन ग्राम मर्गा तह.जौरा <b>जिला मुरैना</b> (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
		<b>योग:-</b>	<b>रूपये 1,31,000/-</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,31,000/- (रूपये एक लाख इकत्तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहे हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश



क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। **यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।**

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013--105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 437 / 2008 / एक (1)

भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- **मुरैना (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....**
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-झाबुआ  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार रूपये 8,000/- (रूपये आठ हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6643/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1063	श्रीमती मधु पत्नी श्री बहादुर डोडियार दुधी जिला झाबुआ (फेफड़ों के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
		योग:-	रूपये 8,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 8,000/- (रूपये चार लाख पांच हजार आठ सौ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- झाबुआ (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रिजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला- भिण्ड  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 92,000/- (रूपये बानवे हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6645/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1064	श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री महेश सिंह केशवगढ़ मडोरी जिला भिण्ड (एड्स रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
		योग:-	रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पंद्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-भिण्ड (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन  
इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर  
को उपलब्ध करावे ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि  
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन  
संबंधित कलेक्टर को भेजे । सर्वर में फीड करावे ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-छिंदवाड़ा  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,92,000/- (रूपये एक लाख बानवे हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6647/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065 मा.मंत्री श्री चौधरी चन्द्रभान सिंह	श्री सेवकराम पारस्कर ग्राम सांख पो. उमरढ़ जिला छिंदवाड़ा (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 6649/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065 मा.मंत्री श्री चौधरी चन्द्रभान सिंह	श्री अब्दुल अनीस पिता श्री अ.रसीद वार्ड नं.-31 दीवानजी मोहल्ला जिला छिंदवाड़ा (पत्नी के आग से जल जाने से उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
3	एचसीएम. 6651/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्री वसंता चावके सौंसर जिला छिंदवाड़ा (जीभ के कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम. 6653/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्री रितेश पिता श्री सुभाष घोघरे मु. पो. पिपलानारायणवार तह. सौंसर जिला छिंदवाड़ा (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)

5	एचसीएम. 6654/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्रीमती मंजुषा गजभिये सा. मांगरली तह. सौंसर जिला छिंदवाड़ा (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
6	एचसीएम. 6655/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्रीमती संगीता पत्नी श्री शंकरराव बेंडे बानाबकोआ तह.सौंसर जिला छिंदवाड़ा (हृदय वाल्व के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
7	एचसीएम. 6656/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्री आनंदराव येमदे बानाबकोआ तह. सौंसर जिला छिंदवाड़ा (ब्रेन कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
8	एचसीएम. 6657/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्री रमेश कोठेकर ग्राम खामरा बिछुआ तह. सौंसर जिला छिंदवाड़ा (पैर की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
9	एचसीएम. 6658/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्रीमती लीलाबाई पत्नीश्री हरीराम लिखारे ग्राम लोधीखेड़ा तह. सौंसर जिला छिंदवाड़ा (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
10	एचसीएम. 6659/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	संचालक अवन्ती इंस्टीट्यूट आफ कार्डियोलॉजी प्रा.लि.नागपुर श्री रवीन्द्र पिता श्री दशरथ बावनकर महावीर वार्ड क्रमांक 24 पांडुरना जिला छिंदवाड़ा (पुत्री कु0 गीतांजली के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
11	एचसीएम. 6660/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्री मधुकर पिता श्री बालाजी सातपुते मं.पो.भंदारगोंन्दी तह.पांडुरना जिला छिंदवाड़ा (पत्नी श्रीमती अनुसयाबाई सातपुते के स्तन कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
12	एचसीएम. 6661/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्री अंकुश पिता श्री यशवंतराव राउत आजनगांव तह:पांडुरना जिला छिंदवाड़ा (पुत्र के पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
13	एचसीएम. 6662/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्री विठ्ठल पिता श्री जागो पराडकर ग्राम राजना तह. पांडुरना जिला छिंदवाड़ा (पत्नी की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
14	एचसीएम. 6663/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्री गणपती पिता श्री केशवरा दाढे पो.लेंढोरी तह. पांडुरना जिला छिंदवाड़ा (पुत्र के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
15	एचसीएम. 6664/08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्रीमती वनिता पति श्री मनोज साबारे गणेश वार्ड पांडुरना जिला छिंदवाड़ा (गर्भाशय के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

16	एचसीएम. 6665 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्री यशवंत पिता श्री जगल्या जी पठाडे ग्राम बोधिया तह. पुढुरना जिला छिंदवाड़ा (पुत्री कु. शुभम के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
17	एचसीएम. 6666 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्री बरकतुल्ला पिंजारी सिवनी तह. पांढुरना जिला छिंदवाड़ा (पुत्री के परपुरा नामक बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार)
18	एचसीएम. 6667 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्री वसंतराव पिता श्री कृष्णाजी गावडे मारुड तह.पांढुरना जिला छिंदवाड़ा (मोतियाबिंद के उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार)
19	एचसीएम. 6668 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्री गंगाराम पिता श्री ओमकार सिंह चौहान उमरीकला तह. पांढुरना जिला छिंदवाड़ा (पैर के विकलांगता के उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार)
20	एचसीएम. 6669 / 08 दिनांक 21.08.08 आर. 1065	श्रीमती संगीता दुबे पत्नी स्व. श्री दिनेश दुबे वार्ड नं.-9 मु.पो.बिछुआ जिला छिंदवाड़ा (पुत्री कु. हर्षिता दुबे के मानसिक एवं विकलांगता के उपचार हेतु )	रूपये 15,000 / - (पन्द्रह हजार)
<b>योग:-</b>			<b>रूपये 1,92,000 / -</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,92,000/- (रूपये एक लाख बानवे हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।



5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-437/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- बैतूल/भोपाल/देवास/सीहोर/रायसेन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-290/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-भोपाल  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 5,000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
2	एचसीएम-3689/07 दिनांक 13.08.2008 आर-1020 जा0क086/डीएसए जे/सीएमएस/08, दिनांक 20.05.08	श्री प्रदीप साहू पिता श्री हरप्रसाद साहू निवासी झुग्गी नं0 412, दुर्गानगर वार्ड क्र-48, शिवाजी नगर, जिला-भोपाल (स्वयं के उपचार हेतु)	रूपये 5000/- (पाँच हजार)
योग:-			रूपये 5000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-290/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन  
इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर  
को उपलब्ध करावें ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि  
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन  
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-447/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-इंदौर  
(मध्यप्रदेश)

**विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09**

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 12,00,000/- (रूपये बारह लाख) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
3	एचसीएम-6369/07 दिनांक 18.08.2008 आर-1067	<b>कलेक्टर, इन्दौर</b> दिनांक 3-4 जुलाई, 2008 को हुए साम्प्रदायिक दंगों के दौरान :- 1. आठ मृतकों को राशि रूपये एक लाख के मान से राशि रूपये 8.00 लाख, एवं 2. छः गंभीर रूप से घायलों को 25,000/-के मान से राशि रूपये 1.50 लाख, एवं 3. पच्चीस अस्थाई रूप से घायलों को 10-10 हजार के मान से राशि रूपये 2.50 लाख कुल राशि रूपये 12.00 लाख (स्वयं के उपचार हेतु)	रूपये 12,00,000/- (बारह लाख)
		<b>योग:-</b>	रूपये 12,00,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 12,00,000/- (रूपये बारह लाख) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान

का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 447/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- इन्दौर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-446/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-टीकमगढ़  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,76,000/- (रूपये एक लाख छियत्तर हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-6368/08 दिनांक 18.08.2008 आर-1068	संचालक, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली श्री सुभाष साहू निवासी खाकरौन जिला-टीकमगढ़ (पुत्री कु. मौसम के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1.61 लाख (एक लाख इकसठ हजार)
2	एचसीएम-6368/08 दिनांक 18.08.2008 आर-1068	श्री विश्वजीत तनय श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डेय नि. ग्राम पुछी करगुंवा तह. निवाडी जिला-टीकमगढ़ (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार)
		योग:-	रूपये 1,76,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,76,000/- (रूपये एक लाख छियत्तर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.

प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 446 / 2008 / एक (1)

भोपाल, दिनांक 08 / 09 / 2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 448/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-जबलपुर/सागर/सिवनी /भोपाल / विदिशा / शिवपुरी  
/शयोपुर/ सीहोर (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 25,30,000/- (रूपये पच्चीस लाख तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6371/08 दिनांक 18.08.08 आर. 1069	श्रीमती ममता बाई पति श्री नारायण कांछी निवासी वासनघाट, तह. पाटन जिला जबलपुर एवं श्रीमती उषा चौबे पति श्री महेश चौबे, ग्राम पड़रिया सहसन तह. पाटन जिला जबलपुर (बस दुर्घटना में मृत्यु होने से परिवार को कुल रु.1.00लाख की आर्थिक सहायता)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)  रूपये 50,000/- (पचास हजार)
2	एचसीएम. 6372/08 दिनांक 18.08.08 आर. 1070	संचालक, चिरायु हेल्थ एण्ड मेडिकेयर, भोपाल श्रीमती सावित्री खरे पति श्री राज बहादुर खरे, निवासी भग सिंह वार्ड खुरई जिला सागर ( किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख)
3	एचसीएम. 6373/08 दिनांक 18.08.08 आर. 1070	संचालक, आरेंज सीटी हास्पिटल नागपुर महाराष्ट्र श्री महेश जी शुक्ला पूर्व मंत्री मध्यप्रदेश शासन, एच.आई.जी-1, 12 पत्थर सिवनी जिला सिवनी (उपचार हेतु )	रूपये 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार) (नियमों को शिथिल करते हुए)



4	एचसीएम. 6374 / 08 दिनांक 18.08.08 आर. 1072	संचालक, मेडिकल कालेज, जबलपुर श्री जर्नादन प्रसाद तिवारी, निवासी मझौली विकासखण्ड, ग्राम बरगी जिला जबलपुर (टूटी हड्डियों के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000 / - (रूपये एक लाख)
5	एचसीएम. 6375 / 08 दिनांक 18.08.08 आर. 1073	संचालक, जवाहरलाल नेहरू, कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर श्री माखनलाल रजक पिता श्री खुमानलाल रजक निवासी एच-1 / 364, 1100 क्वार्टस, भोपाल जिला भोपाल (गले के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 30,000 / - (तीस हजार)
6	एचसीएम. 6405 / 08 दिनांक 19.08.08 आर. 1074	संचालक, टाटा मेमोरियल अस्पताल, परेल मुंबई श्री गौरीशंकर श्रीवास्तव आ. श्री भंवरलाल श्रीवास्तव निवासी नटेरन तह.नटेरन जिला विदिशा (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 50,000 / - (पचास हजार)
7	एचसीएम. 6406 / 08 दिनांक 19.08.08 आर. 1075	संचालक, जसलोक हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, मुम्बई श्री रामकुमार तिवारी आ. श्री रामदयाल तिवारी निवासी वार्ड नं.-7 सुभाष चौरसिया के मकान में, तह. जबलपुर विकासखण्ड बरेला नगर, जिला जबलपुर (किडनी उपचार हेतु)	रूपये 50,000 / - (पचास हजार)
8	एचसीएम. 6426 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1076	श्री किशोर लाल जाटव, सरपंच, जनपद पंचायत, करैरा, शिवपुरी (दुर्घटना में मृत्यु होने से परिवार को आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये 1,00,000 / - (एक लाख)
9	एचसीएम. 6428 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1077	श्री राम सिंह सचिव, ग्राम पंचायत लंगूरी, शिवपुरी, जिला शिवपुरी (दुर्घटना में मृत्यु होने से परिवार को आर्थिक सहायता हेतु)	रूपये 1,00,000 / - (एक लाख)
10	एचसीएम. 6673 / 08 दिनांक 22.08.08 आर. 1078	अध्यक्ष, कोली-माहोर समाज श्योपुर जिला श्योपुर (कोली समाज के छात्रावास निर्माण हेतु)	रूपये 2,00,000 / - (रूपये दो लाख) नियमों को शिथिल करते हुए
11	एचसीएम. 6674 / 08 दिनांक 22.08.08 आर. 1079	अध्यक्ष, पंवार समाज, तह. नसरुल्लागंज, जिला सीहोर (धर्मशाला भवन के निर्माण हेतु)	रूपये 5,00,000 / - (रूपये पांच लाख) नियमों को शिथिल करते हुए
12	एचसीएम. 6675 / 08 दिनांक 23.08.08 आर. 1080	अध्यक्ष, नामदेव समाज, जिला विदिशा (धर्मशाला भवन के निर्माण हेतु)	रूपये 2,00,000 / - (रूपये दो लाख) नियमों को शिथिल करते हुए

13	एचसीएम. 6676/08 दिनांक 23.08.08 आर. 1081	अध्यक्ष, दांगी समाज, गुलाब गंज, जिला विदिशा (धर्मशाला भवन के निर्माण हेतु)	रूपये 5,00,000/- (रूपये पांच लाख) नियमों को शिथिल करते हुए)
		योग:-	रूपये 25,30,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 25,30,000/- (रूपये पच्चीस लाख तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013--105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-448/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- जबलपुर/सागर/सिवनी /भोपाल/विदिशा/  
शिवपुरी /श्यापुर/ सीहोर (मध्यप्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार  
पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि  
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन  
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-449/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 17/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-भोपाल/इंदौर/सीहोर/होशंगाबाद/दमोह/जबलपुर/शिवपुरी/  
उज्जैन/राजगढ़  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 24,40,000/- (रूपये चौबीस लाख चालीस हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6714/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1082	श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव पत्नी श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव नि. हाउस न. 3 एस.ओ.एस.बालग्राम जिला भोपाल (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार मात्र)
2	एचसीएम. 6716/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1083	संचालक, चौईथराम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, मानिक बाग रोड, इंदौर श्री मुबारक खान, नि. इंदौर, जिला इंदौर (हृदय घात के उपचार हेतु)	रूपये 2,00,000/- (रूपये दो लाख)
3	एचसीएम. 6719/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1084	संचालक, बाम्बे हास्पिटल, मुंबई, (महाराष्ट्र) श्री आजाद सिंह चौहान निवासी ग्राम बकतरा, तह. बुधनी जिला सीहोर (ब्रेन हेमरेज की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख)
4	एचसीएम. 6721/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1085	अध्यक्ष, भोपाल किरार धाकड़ क्षत्रिय समाज, जिला भोपाल (सामुदायिक भवन निर्माण हेतु)	रूपये 5,00,000/- (रूपये पांच लाख) (नियमों को शिथिल करते हुए)

5	एचसीएम. 6725/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1086	अध्यक्ष, नर्मदान्चल धाकड़ समाज विकास समिति, सलकनपुर, जिला सीहोर (समाज की धर्मशाला भवन निर्माण हेतु)	रूपये 5,00,000/- (रूपये पांच लाख) (नियमों को शिथिल करते हुए)
6	एचसीएम. 6729/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1087	अध्यक्ष, रामजानकी मंदिर, रेहटी, जिला सीहोर (मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार) (नियमों को शिथिल करते हुए)
7	एचसीएम. 6732/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1088	अध्यक्ष, पुर्विया क्षत्रिय समाज सेवा मण्डल समिति, शोभापुर रोड़, पिपरिया जिला होशंगाबाद. (सामाजिक भवन निर्माण हेतु)	रूपये 5,00,000/- (रूपये पांच लाख) (नियमों को शिथिल करते हुए)
8	एचसीएम. 6737/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1089	संचालक, ग्रोवर मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल एंड ट्राउमा यूनिट जबलपुर श्री गजराज सिंह लोधी, निवासी ग्राम हरदुआ, ग्राम पंचायत हरदुआ हाथीघाट जनपद पंचायत तेंदूखेड़ा, जिला दमोह (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख)
9	एचसीएम. 6741/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1090	संचालक, टी. चौईथराम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, मानिक बाग रोड, इंदौर श्रीमती प्रीति गुप्ता पत्नी श्री शीतल कुमार गुप्ता, नि. सदर बाजार, खुजनेर, (ब्यावरा) जिला-राजगढ़ (मल्टीपल स्क्लेरोसिस के उपचार हेतु)	रूपये 75,000/- (पिचहतर हजार)
10	एचसीएम. 6743/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1091	संचालक, सी.एम.एस.हास्पिटल, वैल्लूर श्री नवीन कुमार रतन, निवासी 540, गोरखपुर, गुरुद्वारे के पीछे जौहर गैस गोदाम, जिला जबलपुर (आस्टोमालाईटिस के उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख)
11	एचसीएम. 6744/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1092	ग्राम खितवाई जिला-सीहोर में हरिजन मोहल्ले, जिला सीहोर (मोहल्ले में चबूतरे के निर्माण हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार) (नियमों को शिथिल करते हुए)
12	एचसीएम. 6747/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1093	ग्राम डोबी जिला-सीहोर में रामरसिया मंदिर जिला सीहोर (रामरसिया मंदिर के चबूतरे, निर्माण हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार) (नियमों को शिथिल करते हुए)

13	एचसीएम. 6776/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1094	संचालक, टी. चौईथराम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इंदौर श्री सुनील खटीक आ.श्री लच्छीराम खटीक निवासी ग्राम ढकरोरा तहसील व जिला शिवपुरी (उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
14	एचसीएम. 6802/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1095	श्रीमती शशिकला शिन्दे पत्नी स्व. श्री भारत राव शिन्दे निवासी डी-3/2 महेश गार्ड लाईन जिला इंदौर (सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
15	एचसीएम. 6753/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1096	अधीक्षक, गांधी मेंडिकल कॉलेज एण्ड हमीदिया हास्पिटल, भोपाल श्रीमती रूकमणी बाई पत्नि श्री मनोहर नि. कुमनताल, तह. नसरुल्लागंज, जिला सीहोर (आहार नली में कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
16	एचसीएम. 6749/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1097	संचालक, चौईथराम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, मानिक बाग, इंदौर कृ.ज्योति उपाध्याय पुत्री श्री मोहनलाल उपाध्याय निवासी 20, बाफना पार्क कॉलोनी, सेंटपालन स्कूल के पास, आगरा रोड, उज्जैन (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
योग:-			रूपये 24,40,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 24,40,000/- (रूपये चौबीस लाख चालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 449/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 17/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-भोपाल/इंदौर/सीहोर/होशंगाबाद/दमोह/  
जबलपुर / शिवपुरी उज्जैन/राजगढ़ (मध्य प्रदेश)कृपया आवंटन  
इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित  
कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि  
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन  
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
-:आदेश:-**

**क्रमांक एफ ए 7-450/2008/एक (1)  
17/09/2008  
प्रति,**

**भोपाल, दिनांक**

**कलेक्टर,  
जिला-जबलपुर/सीहोर/भोपाल/टीकमगढ़  
(मध्यप्रदेश)**

**विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09**

**माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-3,80,000/- (रुपये-तीन लाख अस्सी हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-**

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6408/08 दिनांक 20.08.08 <b>आर. 1098</b>	<b>संचालक, मोहनलाल हरगोविंददास हॉस्पिटल, जबलपुर</b> कु. दीपा शर्मा पुत्री श्रीमती राधा शर्मा, नि. फारेस्ट ऑफिस के पीछे, बरगी, <b>जिला जबलपुर (उपचार हेतु)</b>	रुपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 6410/08 दिनांक 25.08.08 <b>आर. 1098</b>	<b>संचालक, भोपाल फेक्चर हॉस्पिटल, अरेरा कालोनी, भोपाल</b> श्री राजेन्द्र कुमार आ. श्री बदामीलाल नि. <b>रेहटी जिला-सीहोर</b> (पैरो के उपचार हेतु)	रुपये 20,000/- (बीस हजार)
3	एचसीएम. 6766/08 दिनांक 25.08.08 <b>आर. 1099</b>	श्रीमती मन्नू तिवारी पत्नी स्व.श्री पुष्पेन्द्र तिवारी निवासी ई-3/192, अरेरा कालोनी, <b>जिला भोपाल</b> (मृतक स्व.श्री पुष्पेन्द्र तिवारी की पत्नी)	<b>रुपये 1,00,000/-</b> (रुपये एक लाख)
4	एचसीएम. 6768/08 दिनांक 25.08.08 <b>आर. 1099</b>	श्री रमेश तिवारी निवासी ए सेक्टर 771, दामखेड़ा सर्वधर्म कालोनी <b>जिला भोपाल</b> (मृतक स्व.श्री बृजेन्द्र तिवारी के पिता)	<b>रुपये 1,00,000/-</b> (रुपये एक लाख)
5	एचसीएम. 6771/08 दिनांक 25.08.08 <b>आर. 1099</b>	श्री हरिशंकर तिवारी निवासी बराना (थर) तह. पलेरा <b>जिला टीकमगढ़</b> (मृतिका कु. संध्या तिवारी के पिता)	<b>रुपये 1,00,000/-</b> (रुपये एक लाख)
6	एचसीएम. 6774/08	मो० खालिद आ. श्री सरीफ मोहम्मद नि.	रुपये 25,000/-



	दिनांक 25.08.08 आर. 1100	ग्राम कलवाना, तह0 नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	(पच्चीस हजार)
7	एचसीएम. 6775/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1100	श्री जगदीश आ. श्री भेरूलाल, निवासी मं.नं 40, सी.एम.हाउस के पीछे, कच्चा बंगला श्यामला हिल्स, भोपाल जिला भोपाल (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
		योग:-	रूपये-3,80,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,80,000/- (रूपये तीन लाख अस्सी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-450/2008/एक (1)

17/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
- 3 कोषालय अधिकारी, जिला- जबलपुर/सीहोर/भोपाल/टीकमगढ़  
भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
- 4 मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
- 5 जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
- 6 संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
- 7 स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-452/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 17/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-भोपाल/विदिशा/बैतूल/रायसेन/खण्डवा/सीहोर/रीवा.  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 3,34,000/- (रूपये तीन लाख चौतीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम-6381/08 दिनांक 19.08.2008 आर-1101	श्री दामोदर शर्मा आ. श्री आर.पी. शर्मा नि. 21/12, जेल रोड, जहांगीराबाद, भोपाल ( उपचार हेतु )	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
2	एचसीएम-6382/08 दिनांक 19.08.2008 आर-1101	श्री करतारसिंह लोधी आ. श्री हजारीलाल लोधी नि. पीतलमिल चौराहा करैयाखेड़ा रोड, विदिशा ( उपचार हेतु )	रूपये 1,000/- (एक हजार मात्र)
3	एचसीएम-6383/08 दिनांक 19.08.2008 आर-1101	संचालक, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, श्री हॉस्पिटल परिसर, शंकर भवन, न्यू मार्केट, भोपाल मा. तनिष्क आ. श्री राघवेन्द्र दुबे, निवासी वार्ड क्र. 21, सिरोंज चौराहा, बासौदा जिला विदिशा ( उपचार हेतु )	रूपये 40,000/- (चालीस हजार मात्र)
4	एचसीएम-6384/08 दिनांक 19.08.2008 आर-1101	श्री यूसुफ खान आ. श्री ईदुखान निवासी कुरवाई जिला विदिशा ( उपचार हेतु )	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
5	एचसीएम-6385/08 दिनांक 19.08.2008 आर-1101	श्री दौलत सिंह आ. श्री जयकिशन मैना नि. राजेन्द्र नगर, गंज बासौदा जिला विदिशा ( उपचार हेतु )	रूपये 4,000/- (चार हजार मात्र)

6	एचसीएम-6386/08 दिनांक 19.08.2008 आर-1101	संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल ईदगाह हिल्स, भोपाल श्रीमती मदीना बी पत्नि श्री उमराव खां निवासी ग्राम पेरवासा, तह. नटेरन जिला विदिशा ( उपचार हेतु )	रूपये 30,000/- (तीस हजार मात्र)
7	एचसीएम-6387/08 दिनांक 19.08.2008 आर-1101	श्री बालमुकुन्द तिवारी आ. श्री हीरालाल तिवारी, टीलाखेड़ी कॉलोनी रोड, विदिशा ( उपचार हेतु )	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
8	एचसीएम-6388/08 दिनांक 19.08.2008 आर-1101	भैमन कुशवाह आ. श्री रघुनाथ कुशवाह नि. वार्ड क्र. 26, लुहांगीपुरा, विदिशा ( उपचार हेतु )	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
9	एचसीएम-6389/08 दिनांक 19.08.2008 आर-1101	श्री कन्हैयालाल अहिरवार आ.श्री दयाराम अहिरवार नि. एल.बी.एस. नगर, लिंक रोड क्रमांक-3, विदिशा ( उपचार हेतु )	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
10	एचसीएम-6376/08 दिनांक 19.08.2008 आर- 1102	संचालक, आर.ए. स्टोन एण्ड सर्जिकल केयर, 48 एम.एल.ए. क्वार्टर जवाहर चौक भोपाल श्री नत्थे खां आ. श्री दम्मे खा नि. ग्राम वरुअल तह. कुरवाई जिला विदिशा ( कैंसर के उपचार हेतु )	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
11	एचसीएम-6377/08 दिनांक 19.08.2008 आर- 1102	संचालक, भोपाल फैक्चर हास्पिटल एण्ड सर्जिकल सेंटर अरेरा कालोनी भोपाल श्रीमती काशीरबाई पत्नी श्री उदयभान सिंह नि. ग्राम वरुअल तह. कुरवाई जिला विदिशा ( उपचार हेतु )	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
12	एचसीएम-6378/08 दिनांक 19.08.2008 आर- 1102	संचालक, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्री प्रनव शर्मा आ. श्री आर.एन. शर्मा निवासी किले अंदर चौपड़पुरा विदिशा ( हृदय के उपचार हेतु )	रूपये 75,000/- (पच्चत्तर हजार मात्र)
13	एचसीएम-6379/08 दिनांक 19.08.2008 आर- 1102	श्री रामदास सिंह नि. मकान न. एस/727 नेहरू नगर भोपाल ( पुत्री के उपचार हेतु )	रूपये 7,000/- (सात हजार मात्र)
14	एचसीएम-6380/08 दिनांक 19.08.2008 आर- 1102	श्री रामजी पवार आ. स्व. श्री रतन पवार नि. ग्राम पोस्ट रिधोरा (हुड़की ढाना) तहसील मुल्ताई जिला बैतूल ( पत्नि के उपचार हेतु )	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

15	एचसीएम-6398/08 दिनांक 19.08.2008 आर-1103	श्रीमती मोहरबाई पत्नी श्री मन्लूलाल रेकवार नि. ग्राम झिरनिया तह. ग्यारसपुर जिला विदिशा ( उपचार हेतु )	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
16	एचसीएम-6399/08 दिनांक 19.08.2008 आर-1103	श्री खुमान सिंह आ. श्री कन्हैयालाल नि. ग्राम इकरौद तह. सिरोंज जिला विदिशा ( पत्नि के उपचार हेतु )	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
17	एचसीएम-6400/08 दिनांक 19.08.2008 आर-1103	श्री गणेश पासी आ. श्री काशीराम पासी नि. शेरपुरा वार्ड क्र. 30 विदिशा ( उपचार हेतु )	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
18	एचसीएम-6402/08 दिनांक 19.08.2008 आर-1103	श्री मुकेश आ. श्री रतनलाल नि. ग्राम नीमताल विदिशा ( पत्नि के उपचार हेतु )	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
19	एचसीएम-6403/08 दिनांक 19.08.2008 आर-1103	श्री नर्मदा प्रसाद पटेल नि. ग्राम बूढ़ (पडरईकला) तह. उदयपुरा जिला रायसेन ( उपचार हेतु )	रूपये 8,000/- (आठ हजार मात्र)
20	एचसीएम-6404/08 दिनांक 19.08.2008 आर-1103	श्री दीपक सोनी नि. झुग्गी नं. 204, ओमनगर झुग्गी बस्ती क्रमांक 2, बिड़ला मंदिर के पास, भोपाल ( उपचार हेतु )	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
21	एचसीएम-6401/08 दिनांक 19.08.2008 आर-1103	संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल भोपाल श्री गुलाब सिंह आ. स्व. श्री हरिसिंह राजपूत नि. ग्राम कोटरा विदिशा ( कैंसर के उपचार हेतु )	रूपये 40,000/- (चालीस हजार मात्र)
22	एचसीएम-6409/08 दिनांक 20.08.2008 आर-1104	श्री सुनील आ. श्री रमेश निवासी म.नं. 20, जमालपुरा, शाहजहांनाबाद, किल्लोल स्कूल के पास, भोपाल ( उपचार हेतु )	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
23	एचसीएम-6411/08 दिनांक 20.08.2008 आर-1104	श्रीमती सुषमा चौहान पत्नि श्री राधेश्याम चौहान नि. ग्राम केनद पो. मुंटी, तह. व जिला खण्डवा ( उपचार हेतु )	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
24	एचसीएम-6412/08 दिनांक 20.08.2008 आर-1104	श्री दिनेश आ. श्री हरिराम नि. ग्राम सेमलपानी कदीम, तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर ( उपचार हेतु )	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

25	एचसीएम-6413/08 दिनांक 20.08.2008 आर-1104	श्री लालाराम आ. श्री मुरारीलाल नि. वार्ड क्रमांक 29, नयाबसेरा, <b>भोपाल</b> ( उपचार हेत )	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
26	एचसीएम-6415/08 दिनांक 20.08.2008 आर-1104	मायारामकृष्ण मेंढे निवासी क्वाटर नं. 158, पंपापुर राहुलनगर, <b>भोपाल</b> ( उपचार हेतु )	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
27	एचसीएम-6417/08 दिनांक 20.08.2008 आर-1104	श्रीमती हनीफा खातून पत्नि मो.नवाबखान निवासी मकान नं. 61, पुतली घर के पास, शाहजहांनाबाद <b>भोपाल</b> (उपचार हेतु )	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
28	एचसीएम-6419/08 दिनांक 20.08.2008 आर-1104	श्रीमती मनुमाया विश्वकर्मा नि. झुग्गी नं. 125, ओमनगर झुग्गी बस्ती क्रमांक 2, बिड़ला मंदिर के पास, <b>भोपाल</b> (उपचार हेतु )	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
29	एचसीएम-6421/08 दिनांक 20.08.2008 आर-1104	श्री महेन्द्र यादव आ. श्री छोटेलाल यादव निवासी ग्राम करहिया पो. भुलगढ़, <b>जिला</b> <b>रीवा</b> ( उपचार हेतु )	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
30	एचसीएम-6424/08 दिनांक 20.08.2008 आर-1104	श्रीमती शांतिबाई वर्मा पत्नि स्व. श्री मनोहरलाल वर्मा नि. सिनेमा रोड, छोला बाजार, बरेली <b>जिला रायसेन</b> ( उपचार हेतु )	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
<b>योग:-</b>			<b>रूपये 3,34,000/-</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,34,000/- (रूपये तीन लाख चौतीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-452/2008/एक (1)  
17/09/2008 प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल / विदिशा / बैतूल / रायसेन /  
खण्डवा / सीहोर / रीवा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट  
के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध  
करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि  
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन  
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
-:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-453/2008/एक (1)  
17/09/2008  
प्रति,

भोपाल, दिनांक

कलेक्टर,  
जिला-राजगढ़ / भोपाल / रीवा / रायसेन / सागर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-1,04,000/- (रुपये-एक लाख चार हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6717/08 दिनांक 25.08.08 आर. -1105	श्री महेन्द्र कुमार श्रीमाल नि. सारंगपुर जिला राजगढ़ (हृदय के उपचार हेतु)	रुपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
2	एचसीएम. 6722/08 दिनांक 25.08.08 आर. -1105	श्री राजीव कुमार गुप्ता निवासी पी.डब्लू. डी. प्लॉट नं. 85, मेन रोड, पंचशील नगर, भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
3	एचसीएम. 6726/08 दिनांक 25.08.08 आर. -1105	श्री संतोष बिलनवान निवासी पं. दीनदयाल परिसर, ई-2, अरेरा कालोनी भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
4	एचसीएम. 6728/08 दिनांक 25.08.08 आर. -1105	संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, ईदगाह हिल्स, भोपाल  श्री धनीराम आ. श्री खुशलाल यादव निवासी सुभाष वार्ड बीना, जिला सागर (उपचार हेतु)	रुपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)



5	एचसीएम. 6730/08 दिनांक 25.08.08 आर. -1105	श्री राजेन्द्र शर्मा आ. श्री अवधेश प्रसाद शर्मा नि. ग्राम व पो. सौंसर जिला रीवा (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
6	एचसीएम. 6733/08 दिनांक 25.08.08 आर. -1105	भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर रायसेन बायपास रोड भोपाल कु. सीमा रजक पुत्री श्री धन्नू नि. जिसरटी तह. सिलवानी जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
7	एचसीएम. 6735/08 दिनांक 25.08.08 आर. -1105	श्री धीरज सिंह धाकड़ आ. श्री रामबगस धाकड़ निवासी ई.डब्लू.एस. 3/249, बी. डी.ए.कॉलोनी, अमरावतखुर्द, भेल, भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
8	एचसीएम. 6738/08 दिनांक 25.08.08 आर. -1105	श्री सोरभ साहू आ. श्री आत्मज श्री हल्केप्रसाद साहू निवासी वार्ड क्र. 33, नरयावली नाका, सागर (उपचार हेतु)	रूपये 7,000/- (सात हजार मात्र)
9	एचसीएम. 6740/08 दिनांक 25.08.08 आर. -1105	श्रीमती भगवती बाई पत्नि स्व. श्री गंगाराम नि. ग्राम पडरिया, पो. कीजुआ, तह. हुजूर, जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
		योग-	रूपये-1,04,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,04,000/- (रूपये एक लाख चार हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-453/2008/एक (1)

17/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-राजगढ़/भोपाल/रीवा/रायसेन/सागर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

एसकेन/18808

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
-:आदेश:-

कमांक एफ ए 7- 454/2008/एक (1)  
17/09/2008

भोपाल, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-भोपाल/रायसेन/सीहोर/सागर/विदिशा/शाजापुर/होशंगाबा  
द  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष  
2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये- 5,06,500/- (रूपये पांच लाख छः हजार पांच सौ ) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स कमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6779/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	संचालक, गुरुदत्त यूरो हॉस्पिटल, हमीदिया अस्पताल के पास, भोपाल श्री नारायण सिंह निवासी 61, हनुमान गंज, जुमेराती भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 8,500/ (आठ हजार पांच सौ मात्र)
2	एचसीएम. 6780/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नि श्री स्व. श्री सुरेश कुमार नि. ग्राम अलिसरिया, तह. कालापीपल, जिला शाजापुर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/ (पंद्रह हजार मात्र)
3	एचसीएम. 6781/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	श्रीमती रीता सक्सेना पत्नि श्री रंजन सक्सेना नि. ई.डब्लू.एस. 762, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/ (दस हजार मात्र)

4	एचसीएम. 6782/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	संचालक, चिरायु अस्पताल, 6, मालीपुरा, भोपाल श्री कनीराम आ. श्री रामप्रसाद नि. ग्राम सरदार नगर, तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 20,000 / (बीस हजार मात्र)
5	एचसीएम. 6783/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	संचालक, न्यू भोपाल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च फाउन्डेशन, 172, जोन 2, एम.पी. नगर, भोपाल श्री मनोहरलाल बछलिया द्वारा श्री चन्द्रशेखर बछलिया, 5/179, रविशंकर नगर कॉलोनी, भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 20,000 /- (बीस हजार मात्र)
6	एचसीएम. 6784/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	संचालक, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर रायसेन बायपास रोड भोपाल श्रीमती मालती सोनी पत्नि श्री हीरालाल सोनी, नि. पटवारी कॉलोनी, होशंगाबाद (उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000 /- (एक लाख मात्र)
7	एचसीएम. 6785/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	श्रीमती सीमा चौहान पत्नी श्री सोबरन सिंह नि. ग्राम सत्रामऊ तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000 /- (पंद्रह हजार मात्र)
8	एचसीएम. 6786/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	श्रीमती छोटीबाई पत्नी स्व. श्री बारेलाल नि. ग्राम शाहगंज तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 20,000 /- (बीस हजार मात्र)
9	एचसीएम. 6787/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	संचालक, नेशनल अस्पताल ई-3/61 अरेरा कालोनी भोपाल श्री विनय कुमार आ. श्री चन्दन सिंह निवासी ग्राम डूमर तहसील बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000 /- (एक लाख मात्र)
10	एचसीएम. 6788/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	श्री निरोत्तम सिंह नि. ग्राम सनखेड़ा तहसील बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 8,000 /- (आठ हजार मात्र)
11	एचसीएम. 6789/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	संचालक, स्वामी विवेकानंद रीजनल स्पाईन सेंटर, रिजर्व बैंक के पास, मैदामिल के सामने एन.एच.12, भोपाल मास्टर राजकुमार आ. श्री लीलाकिशन निवासी ग्राम मुस्करा जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 15,000 /- (पंद्रह हजार मात्र)

12	एचसीएम. 6790 / 08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	श्रीमती हल्की बाई पत्नी स्व. श्री रघुनन्दन सिंह निवासी ग्राम सनखेड़ा तहसील बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 25,000 / - (पच्चीस हजार मात्र)
13	एचसीएम. 6791 / 08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	संचालक, केयरवेल हॉस्पिटल, महादेव मंदिर रोड़, पीरगेट भोपाल श्री रमेश चौहान आ. श्री रामरतन नि. मु. पो. गुगलवाड़ा तहसील बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 20,000 / - (बीस हजार मात्र)
14	एचसीएम. 6792 / 08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	संचालक, पिपुल्स हास्पिटल भानपुर भोपाल श्रीमती सुशीला अवरथी पत्नी श्री जगन्नाथ अवरथी निवासी सूबेदार वार्ड भरका रोड़ लक्ष्मीपुरा सागर (उपचार हेतु)	रूपये 20,000 / - (बीस हजार मात्र)
15	एचसीएम. 6793 / 08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	संचालक, विकलांग एण्ड स्किन रिसर्च सेंटर एच.आई.जी.-1 एम.पी.हाउसिंग बोर्ड भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ श्री आशीष श्रीवास्तव निवासी जी-72/7 साउथ टी.टी.नगर भोपाल (पुत्र संभव श्रीवास्तव के उपचार हेतु)	रूपये 25,000 / - (पच्चीस हजार मात्र)
16	एचसीएम. 6794 / 08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	संचालक, चिरायु अस्पताल, 6, मालीपुरा, भोपाल श्री गयाप्रसाद आ. श्री खुशीलाल नि. ग्राम सरदारनगर तह. बुधनी जिला सीहोर (पेट की शल्य क्रिया हेतु)	रूपये 30,000 / - (तीस हजार मात्र)
17	एचसीएम. 6795 / 08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	संचालक, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, श्री हॉस्पिटल परिसर, शंकर भवन, न्यू मार्केट, भोपाल श्रीमती उषा पत्नी श्री बहादुर सिंह रघुवंशी निवासी वार्ड क्र. 9 सिंधी कालोनी गंजबासौदा जिला विदिशा (नवजात बच्चों के उपचार हेतु)	रूपये 40,000 / - (चालीस हजार मात्र)
18	एचसीएम. 6796 / 08 दिनांक 25.08.08 आर. 1106	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव आ. श्री रामस्वरूप श्रीवास्तव नि. वार्ड क्र. 21 सिरोंज चौराहा गंजबासौदा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 15,000 / - (पंद्रह हजार मात्र)
		योग:-	रूपये 5,06,500 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये— 5,06,500/— (रूपये पांच लाख छः हजार पांच सौ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण—पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008—09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष—8000—00—0000—0010—0000—V—00—000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल,दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7—454 / 2008 / एक (1)

17 / 09 / 2008 प्रतिलिपि—

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला—भोपाल/रायसेन/सीहोर/सागर/विदिशा शाजापुर/ होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन—टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-455/2008/एक (1)  
18/9/2008

भोपाल, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-विदिशा/भोपाल/सीहोर/रायसेन  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष  
2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये 2,63,000/- (रुपये दो लाख तिरसठ हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6715/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1107	श्रीमती हरबो बाई पत्नी श्री रामकिशन कुशवाह नि. टिलाखेड़ी विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
2	एचसीएम. 6718/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1107	श्रीमती हीराबाई पत्नी स्व. श्री गयाप्रसाद विश्वकर्मा नि. दुर्गा नगर पूरनपुरा टीलाखेड़ी विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
3	एचसीएम. 6720/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1107	श्री आबिद खां नि. ग्राम जाजपोन तह. कुरवाई जिला विदिशा (पुत्र के उपचार हेतु)	रुपये 4,000/- (चार हजार मात्र)
4	एचसीएम. 6723/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1107	श्रीमती राजबाई पत्नी श्री खिलान सिंह नि.ग्राम पाली तहसील शमशाबाद जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

5	एचसीएम. 6724/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1107	श्री रूप सिंह आ. श्री श्यामलाल नि. नोलखी <b>विदिशा</b> (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
6	एचसीएम. 6727/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1107	श्री शिवलाल आ. श्री कुन्दनलाल सेन नि. तोपपुर <b>विदिशा</b> (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
7	एचसीएम. 6731/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1107	श्रीमती सरजू मालवीय पत्नी श्री गोपाल मालवीय नि. म.न. 7-डी प्रतिभा होस्टल के नीचे अजंता काम्पलेक्स के पीछे नरेला शंकरी इंद्रपुरी <b>भोपाल</b> (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
8	एचसीएम. 6734/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1107	<b>संचालक, पिपुल्स डेन्टल अकादमी भानपुर भोपाल</b> श्री मान सिंह निवासी भावसार पुलिया के पास गंजबासौदा <b>जिला विदिशा</b> (पुत्री प्रियंका के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
9	एचसीएम. 6736/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1107	श्री सुरेन्द्र खटीक आ. श्री कमलेश खटीक नि. सागर पुलिया <b>विदिशा</b> (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 6739/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1107	<b>संचालक, बाम्बे हास्पिटल इंदौर</b> श्री धूमन सिंह कुर्मी नि. ग्राम हिनोता (गुदावल) तह. त्योंदा <b>जिला विदिशा</b> (मस्तिष्क के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र)
11	एचसीएम. 6758/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1108	<b>संचालक, आयुष्मान हास्पिटल सी- सेक्टर शाहपुरा भोपाल</b> श्रीमती उमादेवी तिवारी पत्नी श्री रमेश तिवारी निवासी ए सेक्टर 771 दामखेडा सर्वधर्म कालोनी <b>भोपाल</b> (उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र)
12	एचसीएम. 6755/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1108	<b>संचालक, आयुष्मान हास्पिटल सी- सेक्टर शाहपुरा भोपाल</b> श्री रमेश तिवारी निवासी ए सेक्टर 771 दामखेडा सर्वधर्म कालोनी <b>भोपाल</b> (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)



13	एचसीएम. 6797 / 08 दिनांक 25.08.08 आर. 1109	संचालक, नेशनल अस्पताल ई-3/61 अरेरा कालोनी भोपाल श्री नरेन्द्र शर्मा आ. श्री भगवान दास शर्मा निवासी ग्राम नकटीतलाई तहसील बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 40,000 /- (चालीस हजार मात्र)
14	एचसीएम. 6798 / 08 दिनांक 25.08.08 आर. 1109	संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल श्रीमती माधुरी त्रिवेदी पत्नी श्री अनूप कुमार त्रिवेदी निवासी म.न. 10 मोहनी भवन लिली टाकीज के पीछे बरखेड़ी भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 30,000 /- (तीस हजार मात्र)
15	एचसीएम. 6799 / 08 दिनांक 25.08.08 आर. 1109	श्रीमती राधाबाई निवासी ग्राम अहमदपुर पोस्ट खरगौन तहसील बरैली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार मात्र)
16	एचसीएम. 6800 / 08 दिनांक 25.08.08 आर. 1109	संचालक, मूलजीभाईपटेल यूरोलॉजिकल हास्पिटल डॉ. वीरेन्द्र देसाई रोड़ नाडियाड गुजरात श्री फूल सिंह ठाकुर नि. एच.आई.जी. 87 शंकराचार्य नगर बागसेवनिया भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 20,000 /- (बीस हजार मात्र)
<b>योग:-</b>			<b>रूपये 2,63,000 /-</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,63,000/- (रूपये दो लाख तिरसठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-455/2008/एक (1)

18/09/2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-विदिशा/भोपाल/सीहोर/रायसेन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-456/2008/एक (1)  
17/09/2008

भोपाल, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-ग्वालियर/भोपाल/सीहोर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 2,05,000/- (रूपये दो लाख पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6414/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	श्री विनय अग्रवाल, महासचिव, ग्वालियर संभाग, म.प्र. श्रमजीवी पत्रकार संघ डफरन सराय गेट, पड़ाव ग्वालियर (पुत्री एश्वर्या के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
2	एचसीएम. 6416/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	श्री सुरेश शर्मा, अध्यक्ष, म.प्र. श्रमजीवी पत्रकार संघ डफरन सराय गेट, पड़ाव ग्वालियर (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
3	एचसीएम. 6420/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	श्री अमर सिंह आ. श्री रूमाल नि. झुग्गी न. 218 गंगानगर प्रोफेसर कालोनी भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

4	एचसीएम. 6422/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	श्री रधुनाथ सिंह निवासी ग्राम करहिया तहसील भितरवार जिला ग्वालियर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
5	एचसीएम. 6423/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	कृ. लक्ष्मी पुत्री श्री रधुनाथ सिंह निवासी ग्राम करहिया तहसील भितरवार जिला ग्वालियर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
6	एचसीएम. 6425/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	कृ. हिराजू पुत्री श्री रधुनाथ सिंह निवासी ग्राम करहिया तहसील भितरवार जिला ग्वालियर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
7	एचसीएम. 6427/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	कृ. अनुराधा पुत्री श्री रधुनाथ सिंह निवासी ग्राम करहिया तहसील भितरवार जिला ग्वालियर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
8	एचसीएम. 6429/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	श्री मोनू पुत्र श्री रधुनाथ सिंह निवासी ग्राम करहिया तहसील भितरवार जिला ग्वालियर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
9	एचसीएम. 6430/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	शेख शमशुद्दीन नि. म.न. 26/21 नार्थ टी.टी.नगर, भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 6431/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	श्री नवीन अग्रवाल निवासी म.न. ए-188 ऐशबाग भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
11	एचसीएम. 6432/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	श्रीमती अरुणा किरार निवासी सिंधिया नगर, उरवाई गेट, शब्द प्रताप आश्रम, ग्वालियर (पथरी के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
12	एचसीएम. 6433/08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	संचालक, चिरायु अस्पताल 6 मालीपुरा भोपाल श्रीमती साधना चौहान पत्नी श्री मुकेश चौहान निवासी ग्राम सत्रामऊ पो. डोबी तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)

13	एचसीएम. 6434 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	संचालक, पालीवाल हास्पिटल प्रा. लि. भोपाल टाकीज चौराहे के पास बेरसिया रोड भोपाल  कुमारी सपना चौहान पुत्री श्री राजकुमार चौहान निवासी ग्राम डोबी तहसील बुधनी जिला सीहोर  (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /— (दस हजार मात्र)
14	एचसीएम. 6435 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	संचालक, चिरायु अस्पताल 6 मालीपुरा भोपाल  श्री विकास कुमार आ. श्री मुन्नालाल गोड़ निवासी ग्राम खोहा तहसील बुधनी जिला सीहोर  (उपचार हेतु)	रूपये 25,000 /— (पच्चीस हजार मात्र)
15	एचसीएम. 6436 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	संचालक, सेंट जोसेफ हास्पिटल, हाउसिंग बोर्ड रोड होशंगाबाद  श्रीमती हेमलता पत्नी श्री तेज सिंह निवासी ग्राम जैत तहसील बुधनी जिला सीहोर  (उपचार हेतु)	रूपये 15,000 /— (पंद्रह हजार मात्र)
16	एचसीएम. 6437 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	श्री सरबजीत सिंह वारिया (रा.नि.) आ. श्री महेन्द्र सिंह वारिया नि. 122 कर्मवीर नगर जे.के.रोड भोपाल  (15 वीं एशिया मास्टर्स ऐथेलेटिक्स चेम्पियनशिप थाईलेण्ड में भाग लेने हेतु)	रूपये 10,000 /— (दस हजार मात्र)
17	एचसीएम. 6438 / 08 दिनांक 20.08.08 आर. 1110	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री दर्शन सिंह नि0 द्वारा विलास हस्तक म.न. एफ-3 फारचून प्राई ई-8 त्रिलंगा, भोपाल	रूपये 20,000 /— (बीस हजार मात्र)
<b>योग:-</b>			<b>रूपये 2,05,000 /—</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,05,000 /—(रूपये दो लाख पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित

रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7- 456 / 2008 / एक (1)

17 / 09 / 2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- ग्वालियर/भोपाल/सीहोर (मध्य प्रदेश)  
कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-457/2008/एक (1)  
18/09/2008

भोपाल, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला- भोपाल/राजगढ़/गुना/बैतूल/शाजापुर/टीकमगढ़/खरगौन  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष  
2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,05,000/- (रूपये एक लाख पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का भिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6742/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1111	श्री अनंतलाल गुप्ता आ. श्री आर.के. गुप्ता निवासी 39, अंजली कॉम्प्लेक्स, वार्ड क्र. 33, भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
2	एचसीएम. 6751/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1111	श्री भरत सिंह निवासी ग्राम पातलापानी, ब्यावरा, जिला राजगढ़ (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
3	एचसीएम. 6754/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1111	संचालक, गुरुदत्त यूरो हॉस्पिटल, हमीदिया अस्पताल के पास, भोपाल श्री ज्योतिलाल सोनी नि. ई-7/768, अरेरा कॉलोनी, सर्वेट क्वाटर, शाहपुरा भोपाल (पथरी के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)

4	एचसीएम. 6757/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1111	श्रीमती गीताबाई पत्नि श्री महेश प्रसाद शर्मा नि. ग्राम जासी, पो. पनबाड़ीहाट, तह. आरोन, जिला गुना (उपचार हेतु)	रुपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
5	एचसीएम. 6759/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1111	श्रीमती प्रीति पत्नि श्री संजय शर्मा निवासी बेलदारपुरा, नेहरू रोड, भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
6	एचसीएम. 6761/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1111	श्रीमती सईदा बी पत्नि मो. हबीब म.नं. 71, वार्ड नं. 44, किचकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
7	एचसीएम. 6763/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1111	मो. रेहान खान आ. स्व. मो. उमर खान, नि. म.नं. 13, फूल महल स्ट्रीट, रेतघाट, भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
8	एचसीएम. 6765/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1111	संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, ईदगाह हिल्स, भोपाल श्री रंगलाल आ. श्री शंकरलाल मीणा निवासी ग्राम पंचायत रानीजी का खैगढा, तह. चाचौड़ा जिला गुना (कैंसर के उपचार हेतु)	रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
9	एचसीएम. 6767/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1111	श्री सुरेश आ. श्री गप्पूलाल निवासी म.नं. 95, जनता क्वाटर, गौतम नगर, भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
10	एचसीएम. 6769/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1111	श्री विजय रघुवंशी (बिज्जू) नि. ग्राम चीखलीकलां, तह. मुलताई, जिला बैतूल (उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
11	एचसीएम. 6770/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1111	श्री रामदयाल आ. श्री बंशीलाल निवासी ग्राम मनसाया, तह. कालापीपल, जिला शाजापुर (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
12	एचसीएम. 6772/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1111	श्री कृष्ण अहिरवार आ. श्री मन्टोले अहिरवार नि. ग्राम व पो. सकेरा भडारन तह. पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)



13	एचसीएम. 6773/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1111	श्रीमती कमलाबाई पत्नी श्री रतनलाल नि. ग्राम गोकुलपुर तह. नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
14	एचसीएम. 6777/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1111	संचालक, सी.एच.एल. अपोलो हास्पिटल इंदौर श्री लकडिया चौहान आ. श्री सुका नि. ग्राम सुस्तीखेड़ा तह. बड़वानी जिला खरगौन (पुत्री निक्की के उपचार हेतु)	रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
15	एचसीएम. 6778/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1111	श्री मांगीलाल आ. श्री ऊंकार जी नि. ग्राम गोपालपुरा तह. सारंगपुर जिला राजगढ़ (उपचार हेतु)	रुपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
योग:-			रुपये 1,05,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,05,000/- (रुपये एक लाख पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 457/2008/एक (1)  
18/09/2008 प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल/राजगढ़/गुना/बैतूल/शाजापुर  
टीकमगढ़/खरगौन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर  
तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन  
है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए  
आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टार्क फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-458/2008/एक (1)  
18/09/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला—  
शिवपुरी/शाजापुर/कटनी/भोपाल/राजगढ़/विदिशा/रायसेन  
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष  
2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 2,70,000/- (रूपये दो लाख सतर हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6746/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1112	श्री प्रकाश आ. श्री रघुवर लोधी निवासी ग्राम बमरोली ग्राम पंचायत खुदावली तहसील नरवर जिला शिवपुरी (उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार मात्र)
2	एचसीएम. 6748/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1112	श्रीमती धनकुंवर बाई पत्नी श्री कमल सिंह नि. ग्राम बोलाई तहसील गुलाना जिला शाजापुर (पेट में गठान के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
3	एचसीएम. 6750/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1112	श्रीमती कृष्णा बाई पत्नी श्री शिवप्रसाद वर्मा नि. ग्राम बोलाई तहसील गुलाना जिला शाजापुर (पेट में गठान के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

4	एचसीएम. 6752/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1112	श्री संतोष कुमार आ. श्री माखन सिंह निवासी वार्ड क्र. 5 नीम चौक पोलायकलां जिला शाजापुर (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
5	एचसीएम. 6756/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1112	संचालक, गोकुलदास हार्ट हास्पिटल, 11 डॉ. सरजू प्रसाद मार्ग इंदौर श्री पन्नालाल शुक्ला आ. श्री बाबूराम शुक्ला निवासी ग्राम कन्हवारा तहसील व जिला कटनी (उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000/- (एक लाख मात्र)
6	एचसीएम. 6760/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1112	श्री चन्दर सिंह राजपूत निवासी एच-865, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, बैरसिया रोड, भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
7	एचसीएम. 6762/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1112	संचालक, चरक अस्पताल जहांगीराबाद भोपाल श्री प्रकाश गोस्वामी भारती निवासी 21/3, ओल्ड सुभाष नगर पानी की टंकी के पास, भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
8	एचसीएम. 6764/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1112	श्रीमती रामकुंवर बाई पत्नि श्री देवचन्द निवासी धामंदा जिला राजगढ़ (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
9	एचसीएम. 6801/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1113	श्रीमती अनिता मैथिल पत्नी श्री जमना प्रसाद मैथिल निवासी आई 13 भरत नगर भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
10	एचसीएम. 6803/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1113	कु. सपना सेन पुत्री श्री जगदीश सेन निवासी वार्ड न. 35, आझाराम कालोनी जिला विदिशा (माताजी के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
11	एचसीएम. 6805/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1113	श्रीमती पूनम प्रजापति पत्नी श्री दामोदर प्रजापति नि. द्वारा श्री एस.के. ठाकुर साईं आशीष ब्लॉक कालोनी विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
12	एचसीएम. 6807/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1113	श्री प्यारेलाल दुबे आ. श्री कुंजीलाल दुबे नि. वार्ड न. 5 बरेठ रोड गंजबासौदा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)

13	एचसीएम. 6809/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1113	श्री किशनसिंह आ. श्री हिम्मत सिंह नि. ग्राम भाटनी तह. बासौदा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
14	एचसीएम. 6810/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1113	संचालक, पालीवाल हॉस्पिटल प्रा.लि. भोपाल टाकीज चौराहे के पास बैरसिया रोड भोपाल श्री शिवराज आ. श्री फैलीराम अहिरवार नि. ग्राम रूसल्ली तह. नटेरन जिला विदिशा (पुत्र राहुल के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
15	एचसीएम. 6808/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1113	संचालक, पीपुल्स हास्पिटल भानपुर भोपाल श्री अरविन्द चन्दोरिया निवासी बड़ा बाजार विदिशा (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र)
16	एचसीएम. 6806/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1113	श्रीमती गिंदियाबाई पत्नि स्व. श्री प्रहलादसिंह किरार नि. ग्राम सेमरी खोजरा, तह. बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
17	एचसीएम. 6804/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1113	श्री भागचन्द अहिरवार आ. श्री पूरन अहिरवार नि. सुभाष नगर, सागर पुलिया, गलीं नं. 6, विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार मात्र)
<b>योग:-</b>			<b>रूपये 2,70,000/-</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,70,000/- (रूपये दो लाख सतर हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन

प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. कमांक एफ ए 7-458 / 2008 / एक (1)

18 / 09 / 2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- शिवपुरी/शाजापुर/कटनी/भोपाल/  
राजगढ़/ विदिशा/रायसेन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के  
आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन  
है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए  
आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-460/2008/एक (1)  
18/09/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-सीहोर/बैतूल/रायसेन/भोपाल/होशंगाबाद  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष  
2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये 4,58,000/- (रुपये चार लाख अठावन हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6677/08 दिनांक 23.08.08 आर. 1114	संचालक, आनन्द आई सेंटर, गांधी आई हॉस्पिटल के पास, यूनियन बैंक के सामने, रामघाट रोड, अलीगढ़ श्री शुभम गौर आ. श्री महेन्द्र गौर निवासी ग्राम अकोला, तह. बुधनी जिला, सीहोर (आंख के उपचार हेतु)	रुपये 80,000/- (अस्सी हजार मात्र)
2	एचसीएम. 6678/08 दिनांक 23.08.08 आर. 1114	संचालक, एल.बी.एस. हॉस्पिटल, 73, ताजुल मस्जिद रोड मोतिया तालाब श्री राजेन्द्र कुमार गौर आ. श्री छोटेलाल गौर नि. ग्राम अकोला तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)

3	एचसीएम. 6679/08 दिनांक 23.08.08 आर. 1114	संचालक, आराधना मेटरनिटी एण्ड किडनी हॉस्पिटल, एच-8, बी सेक्टर सोनागिरी  श्रीमती राजकुमारी पत्नि श्री हनुमंत सिंह निवासी जौलखेड़ा, मुलताई, जिला बैतूल  (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
4	एचसीएम. 6680/08 दिनांक 23.08.08 आर. 1114	संचालक, चिरायु अस्पताल, 6, मालीपुरा, भोपाल  श्री रामेश्वर सिंह चौहान आ. श्री हुकुम सिंह चौहान नि. ग्राम सत्रामऊ, तह. बुधनी जिला सीहोर  (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
5	एचसीएम. 6682/08 दिनांक 23.08.08 आर. 1114	संचालक, नवोदय कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, 41 जोन-2, एम.पी. नगर भोपाल  श्रीमती मनोरमा पुरोहित पत्नि श्री राधाप्रताप पुरोहित नि. ग्राम गाजीखेड़ी, सिलगेना जिला रायसेन  (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार मात्र)
6	एचसीएम. 6681/08 दिनांक 23.08.08 आर. 1115	संचालक, नेशनल अस्पताल ई-3/61 अरेरा कालोनी भोपाल  श्री शिवप्रसाद आ. श्री गोकल प्रसाद नि. ग्राम सावलखेड़ा तह. बुधनी जिला सीहोर  (पुत्री कु. संगीता के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
7	एचसीएम. 6683/08 दिनांक 23.08.08 आर. 1115	संचालक, ग्लोबल हॉस्पिटल, ई-5/24 अरेरा पेट्रोल पंप के सामने भोपाल  श्री जसपाल सिंह भाटी आ. श्री गोवर्धन सिंह भाटी नि. ग्राम बीजला, तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर  (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार मात्र)
8	एचसीएम. 6686/08 दिनांक 23.08.08 आर. 1115	संचालक, नेशनल अस्पताल ई-3/61 अरेरा कालोनी भोपाल  श्री कंचनलाल आ. श्री रामदीन नि. ग्राम सावलखेड़ा तह. बुधनी जिला सीहोर  (उपचार हेतु)	रूपये 45,000/- (पैंतालीस हजार मात्र)



9	एचसीएम. 6684 / 08 दिनांक 23.08.08 आर. 1116	संचालक, पुष्कर जनरल हॉस्पिटल प्लाट न. 2 वृंदावन गार्डन के सामने श्रीराम कालोनी होशंगाबाद रोड भोपाल श्रीमती विशाखा पत्नि श्री रामकुमार ठाकुर नि. श्रीराम कॉलोनी, वाटर टैंक के पास, होशंगाबाद रोड, भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 6685 / 08 दिनांक 23.08.08 आर. 1116	संचालक, पुष्कर जनरल हॉस्पिटल प्लाट न. 2 वृंदावन गार्डन के सामने श्रीराम कालोनी होशंगाबाद रोड भोपाल श्री खूबचन्द विश्वकर्मा नि. ग्राम पनारी, तह. पिपरिया, जिला होशंगाबाद (उपचार हेतु)	रूपये 25,000 / - (पच्चीस हजार मात्र)
11	एचसीएम. 6687 / 08 दिनांक 23.08.08 आर. 1116	श्री प्रहलाद आ. श्री बटूलाल नि. ग्राम लाड़कुई तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार मात्र)
12	एचसीएम. 6688 / 08 दिनांक 23.08.08 आर. 1116	संचालक, लाईफ लाईन हॉस्पिटल, शाहपुरा, भोपाल श्रीमती ममता बाई कुशवाह पत्नि श्री घनश्याम कुशवाह नि. ग्राम जनकपुर, तह. बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 25,000 / - (पच्चीस हजार मात्र)
13	एचसीएम. 6689 / 08 दिनांक 23.08.08 आर. 1116	संचालक, चरक अस्पताल जहांगीराबाद भोपाल श्री जगदीश प्रसाद आ. श्री प्रहलाद सिंह पंवार नि. ग्राम खरसानिया, तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 45,000 / - (पैंतालीस हजार मात्र)
14	एचसीएम. 6690 / 08 दिनांक 23.08.08 आर. 1116	संचालक, चिरायु अस्पताल, 6, मालीपुरा, भोपाल श्रीमती गीता साहू पत्नि श्री धनश्याम साहू नि. ग्राम सरदार नगर, तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 8,000 / - (आठ हजार मात्र)
15	एचसीएम. 6691 / 08 दिनांक 23.08.08 आर. 1116	संचालक, पाढर हॉस्पिटल, जिला बैतूल श्री दौलतराम नागर आ. श्री अमरसिंह नि. ग्राम दाहोद, तह. गौहरगंज जिला रायसेन (कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 25,000 / - (पच्चीस हजार मात्र)

16	एचसीएम. 6692/08 दिनांक 23.08.08 आर. 1116	श्री मनोज विजयवर्गीय नि. शाहगंज तह. बुधनी जिला सीहोर (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
17	एचसीएम. 6693/08 दिनांक 23.08.08 आर. 1116	संचालक, मेयो हॉस्पिटल, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सामने सुल्तानिया रोड भोपाल श्री पुरुषोत्तम अहिरवार आ.श्री रामदयाल नि. नई बस्ती ग्राम शाहगंज तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार मात्र)
18	एचसीएम. 6694/08 दिनांक 23.08.08 आर. 1116	संचालक, बाम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट, 12, न्यू मेरिन लाईन्स, मुम्बई श्रीमती सुरेखा बाई पत्नि श्री सुदामाप्रसाद गौर नि. ग्राम मोगरा तह. बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 40,000/- (चालीस हजार मात्र)
योग:-			रूपये 4,58,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 4,58,000 रूपये /- (रूपये चार लाख अठावन हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश कमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 460/2008/एक (1)  
18/09/2008 प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर / बैतूल / रायसेन/  
भोपाल/होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर  
तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन  
है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए  
आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

कमांक एफ ए 7-462/2008/एक (1)  
18/09/2008

भोपाल, दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-विदिशा/छतरपुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 60,000/- (रूपये साठ हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स कमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6390/08 दिनांक 19.08.08 आर. 1117	श्री रघुवीर आ. श्री धन्नालाल नि.ग्राम नटेरन जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6391/08 दिनांक 19.08.08 आर. 1117	श्री सीताराम आ. कालूराम कुशवाह नि. ग्राम ग्यारसपुर जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6392/08 दिनांक 19.08.08 आर. 1117	श्री जमुना प्रसाद सेन आ. श्री राजाराम सेन नि.ग्राम पोस्ट डहरा तह. राजनगर जिला छतरपुर (पत्नी के उपचार हेतु)	रूपये 5000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 6393/08 दिनांक 19.08.08 आर. 1117	श्री जफर खा आ. श्री अब्राहिम खा नि. ग्राम बीलाढान तह. गंजबासौदा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 6394/08 दिनांक 19.08.08 आर. 1117	श्री कोक सिंह लोधी आ. श्री चंदन सिंह नि. सुभाष नगर वार्ड न. 29 यादव आरा मशीन के पीछे जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5000/- (पांच हजार)

6	एचसीएम. 6395/08 दिनांक 19.08.08 आर. 1117	सुश्री मीना मालवीय आ. श्री बाबूलाल मालवीय नि. वार्ड क. 35 रामद्वार <b>जिला विदिशा</b> (लीवर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
7	एचसीएम. 6396/08 दिनांक 19.08.08 आर. 1117	श्री सतीश शर्मा आ. श्री गनेश शर्मा नि. ग्राम खामखेड़ा तह. व <b>जिला विदिशा</b> (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
8	एचसीएम. 6397/08 दिनांक 19.08.08 आर. 1117	श्री मुकेश आदिवासी आ. स्व.श्री बदाम सिंह निवासी वार्ड क. 34 पूरनपुरा चौराहा लालधाउ <b>जिला विदिशा</b> (उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार)
<b>योग:-</b>			<b>रूपये 60,000/-</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 60,000/- (रूपये साठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 462/2008/एक (1)  
18/09/2008 प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला-विदिशा/छतरपुर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
-:आदेश:-

कमांक एफ ए 7-463/2008/एक (1)  
17/09/2008

भोपाल,

दिनांक

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-भोपाल/विदिशा/शाजापुर/टीकमगढ़/सिवनी/सागर/राजगढ़  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष  
2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,96,000/- (रूपये एक लाख छियानवे हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स कमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6811/08 दिनांक 26.08.08 आर. 1118	संचालक, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल सरिता विहार, मथुरा रोड़ नई दिल्ली श्री रशिद बेग, लेखापाल मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, श्यामलाहिल्स जिला भोपाल (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 80,000/- (अस्सी हजार)
2	एचसीएम. 6812/08 दिनांक 26.08.08 आर. 1119	संचालक, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर करोंद बायपास रोड़ भोपाल श्री जहूर खान आ. श्री ईस्माईल खान निवासी ग्राम अलीगढ़ तहसील लटेरी जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 30,000/- (तीस हजार)
3	एचसीएम. 6813/08 दिनांक 26.08.08 आर. 1120	श्री ढूंगर सिंह आ. श्री हेमराज निवासी ग्राम मायापुर तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर (उपचार हेतु)	रूपये 1,000/- (एक हजार मात्र)

4	एचसीएम. 6814/08 दिनांक 26.08.08 आर. 1120	श्री बटनलाल आ. श्री गनपत लाल निवासी शबरी नगर बंजारा बस्ती वार्ड क्र. 31 नेहरू नगर भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार मात्र)
5	एचसीएम. 6815/08 दिनांक 26.08.08 आर. 1120	श्री जगन अहिरवार आ. श्री रिल्ली अहिरवार नि. ग्राम व पोस्ट निबौरा तह. पलेरा जिला टीकमगढ़ (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)
6	एचसीएम. 6816/08 दिनांक 26.08.08 आर. 1120	कृ. फुलवती इनवाती आ. श्री पिल्लूलाल इनवाती नि. ग्राम खेरे शिलारा पो. मोहगांव जिला सिवनी (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार मात्र)
7	एचसीएम. 6817/08 दिनांक 26.08.08 आर. 1120	श्री मथुरा प्रसाद आ. श्री माधो सिंह नामदेव नि. ग्राम नीमखेड़ी तह. बैरसिया जिला भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पाच हजार मात्र)
8	एचसीएम. 6818/08 दिनांक 26.08.08 आर. 1120	संचालक, एस.एल. रहेजा हास्पिटल माहिम मुंबई महाराष्ट्र श्री फरीदा फिरदौस निवासी म.न. 21 घोड़ा नक्कास बाल विहार रोड भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
9	एचसीएम. 6819/08 दिनांक 26.08.08 आर. 1120	श्री केशव श्रीवास आ. श्री बाबूलाल श्रीवास निवासी म.न. 457 एन-2 ए. आर.बी. सेक्टर गोविन्दपुरा भोपाल (पत्नी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार मात्र)
10	एचसीएम. 6820/08 दिनांक 26.08.08 आर. 1120	संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, ईदगाह हिल्स, भोपाल श्रीमती उषाबाई पत्नी श्री रामअवतार सिंह नि० ग्राम बिनायटा पो. उजमेर तह. खुरई जिला सागर (पति के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
11	एचसीएम. 6821/08 दिनांक 26.08.08 आर. 1120	संचालक, पाढर हॉस्पिटल बैतूल श्री नारायण सिंह आ. श्री मांगीलाल नि. ग्राम लाल्याखेड़ी वि.ख. जीरापुर जिला राजगढ़ (उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)
		योग:-	रूपये 1,96,000/-



2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये 1,96,000/- (रुपये एक लाख छियानवे हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहे हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 463/2008/एक (1)

17/08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल/विदिशा/ शाजापुर/टीकमगढ़ / सिवनी सागर/राजगढ़ (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 465/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक /09/2008

कलेक्टर,  
जिला- बालाघाट  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 1,46,000/- (रूपये एक लाख छियालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6696/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्री सुरेश कुमार आ. श्री सम्पत चौधरी निवासी कंटगी जिला बालाघाट (पुत्र के हृदय के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 6697/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्री लालचंद लोहार निवासी कंटगी जिला बालाघाट (पुत्र के हृदय के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 6698/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्री दिलीप आ. दौलत आखेभारी निवासी कंटगी जिला बालाघाट (पुत्र के किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 6699/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्री राजाराम आ. श्री महांग सहारे निवासी टेकाडी कंटगी जिला बालाघाट (उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
5	एचसीएम. 6700/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्रीमती सुशीला पति श्री शिवशरण पवार निवासी कंटगी जिला बालाघाट (मानसिक उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
6	एचसीएम. 6701/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्री रमेश आ. श्री पृथ्वीराम पटेल निवासी कंटगी जिला बालाघाट (पत्नी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
7	एचसीएम. 6702/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	अंजूबाई निवासी कंटगी जिला बालाघाट (गंभीर बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

8	एचसीएम. 6703/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्रीमती जीरनबाई पत्नी श्री जागेश्वर निवासी कंटगी जिला बालाघाट ( उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
9	एचसीएम. 6704/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्री श्याम राव राऊत आ. उमराव निवासी कंटगी जिला बालाघाट (पुत्र के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
10	एचसीएम. 6705/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्रीमती शोभा आ. स्व. श्री दिलीप निवासी कंटगी जिला बालाघाट (जीवन यापन हेतु )	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
11	एचसीएम. 6706/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्री मेखराम मराखरे निवासी. खैरलांजी जिला बालाघाट (पुत्र की डूबने से मृत्यु होने से )	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
12	एचसीएम. 6707/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्री रविन्द्र कुमार आ. श्री श्रीराम निवासी कंटगी जिला बालाघाट (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
13	एचसीएम. 6708/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्री सीताराम आ. भैय्यालाल दुबे निवासी कंटगी जिला बालाघाट (हार्निया के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
14	एचसीएम. 6709/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्री भैय्यालाल आ. रतनलाल पांचे निवासी कंटगी जिला बालाघाट (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
15	एचसीएम. 6710/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्री हरीश आ. भैय्यालाल पटेल निवासी कंटगी जिला बालाघाट (अल्सर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
16	एचसीएम. 6711/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्री भुवनलाल आ. नत्थूलाल निवासी कंटगी जिला बालाघाट (आंखों के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
17	एचसीएम. 6712/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्री सदाशिव आ. गनपत निवासी कंटगी जिला बालाघाट (हृदय के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
18	एचसीएम. 6713/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1121	श्री तुलसीदास आ. नत्थू निवासी कंटगी जिला बालाघाट (जबड़े के कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 1,46,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,46,000/- (रूपये एक लाख छियालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.

प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-465/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक /08/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- बालाघाट (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-465/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 17/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-खरगौन/बड़वानी/मुरैना  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 7,10,000/- (रूपये सात लाख दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	सी.एम.एस 24106/08 दिनांक 26.08.08 मुख्यमंत्री घोषणा क्रमांक-2285 दिनांक 14.07.2007 आर-1122(ए)	कलेक्टर खरगौन (ग्राम लोहारी में मुस्लिम समुदाय हेतु जमात खाना का निर्माण किये जाने हेतु)	रूपये-5,00,000/- (पांच लाख) (नियमों को शिथिल करते हुए)
2	एचसीएम- /08 दिनांक 29.08.08 आर-1122(बी)	कलेक्टर-बड़वानी मध्यप्रदेश (माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 30.09.2007 को बड़वानी जिले में की गई घोषणा क्रमांक-3338,3346 एवं 3401 के परिपालन में संबंधित अनुदानग्रहिताओं को क्रमशः रूपये -1,10,000/-, रूपये-10,000/- एवं रूपये-10,000/- की तत्कालिक सहायता के रूप में इलाज हेतु भुगतान की गई कुल राशि रूपये- 1,30,000/- की राशि का समायोजन हेतु)	रूपये-1,30,000/- (पांच लाख)

3	एचसीएम-7396 / 08 दिनांक 05.09.08 आर-1122(सी)	<b>कलेक्टर-मुरैना मध्यप्रदेश</b> माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वेच्छानुदान मद से दिनांक 01.09. 2008 को मध्यरात्रि में मंसूरपुरा जिला-मुरैना में हुई डकैती एवं हत्याकाण्ड में निम्नानुसार अंकित पीड़ित व्यक्तियों को स्वीकृत की गई आर्थिक सहायता- 1-श्रीमती माया बेवा रामचरन कुशवाह (घायल)  2. श्री शारदा बेवा श्री रामनिवास कुशवाह निवासी-मंसूरपुरा (घायल होने से)  3-श्री रामकिशोर पुत्र राम निवास निवासी मंसूरपुरा, (घायल होने से)  4-श्री रंजीत पुत्र रामनिवास कुशवाह निवासी-मंसूरपुरा (घायल होने से)	रुपये-50,000 / - (पचास हजार)  रुपये-10,000 / - (दस हजार)  रुपये-10,000 / - (दस हजार)  रुपये-10,000 / - (दस हजार)
<b>योग:-</b>			<b>रुपये 7,10,000 / -</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 7,10,000 / - (रूपये सात लाख दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 17/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-465/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- खरगौन/बड़वानी/मुरैना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-466/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 17/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-सीहोर/रायसेन/भोपाल/हरदा/भिण्ड/छतरपुर,  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि 8,79,500/- (रूपये आठ लाख उन्चासी हजार पांच सौ ) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 7030/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1123	संचालक, चिरायु अस्पताल, 6, मालीपुरा भोपाल श्री साहब सिंह कोटवार निवासी ग्राम खोहा तह. बुधनी जिला सीहोर (पुत्री आशा के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 7031/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1123	संचालक, पुष्कर जनरल हॉस्पिटल प्लॉट न. 2 वृदावन गार्डन के सामने श्रीराम कालोनी होशंगाबाद रोड भोपाल श्री अशोक कुमार आ. श्री हमीर सिंह नि. ग्राम मनकापुर तह. बरेली जिला रायसेन ( उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
3	एचसीएम. 7032/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1123	संचालक, पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्रा0 लिमिटेड 6 मानवीय नगर भोपाल श्री रामेश्वर आ. श्री हुकम सिंह चौहान नि. ग्राम सत्रामऊ तह. बुधनी जिला सीहोर ( उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 7033/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1123	संचालक, चिरायु अस्पताल, 6, मालीपुरा भोपाल श्री सौरभ चौहान आ. श्री सुरेश कुमार चौहान नि. ग्राम गूगलवाड़ा तह. बरेली जिला रायसेन ( उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)



5	एचसीएम. 7034 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1123	संचालक, चिरायु अस्पताल, 6, मालीपुरा भोपाल श्री महेन्द्र सिंह आ. श्री हनमत सिंह निवासी ग्राम बांसगेहन तह. बुधनी जिला सीहोर (पुत्र राकेश के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
6	एचसीएम. 7035 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1123	संचालक, चिरायु अस्पताल, 6, मालीपुरा भोपाल श्री नेमसिंह चौहान आ. श्री छब्बीलाल नि. ग्राम डोबी, तह बुधनी जिला सीहोर ( पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
7	एचसीएम. 7036 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1123	संचालक भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रायसेन बायपास रोड भोपाल श्रीमती रीमा सावले पत्नि श्री बलवंत सावले नि. ग्राम मकोडिया (नीनौर) तह. बुधनी जिला सीहोर ( उपचार हेतु)	रूपये 40,000 / - (चालीस हजार)
8	एचसीएम. 7037 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1123	संचालक पीपुल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साईंस एंड रिसर्च सेंटर भोपाल श्री राजकुमार आ. श्री मन्तूलाल नि. ग्राम बकतरा तह. बुधनी जिला सीहोर ( उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
9	एचसीएम. 7038 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1123	संचालक , चिरायु अस्पताल 6 मालीपुरा भोपाल सुश्री शैलजा पुत्री श्री शैलेन्द्र गुरु नि. ग्राम बारना तह. बुधनी जिला सीहोर ( उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
10	एचसीएम. 7039 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1123	श्री मनोहर सिंह आ. श्री बाबूलाल युदवंशी नि. ग्राम सगानिया, पो. सलकनपुर तह. बुधनी जिला सीहोर ( उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
11	एचसीएम. 7029 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1124	अधीक्षक, गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हमीदिया अस्पताल भोपाल श्रीमती शकीला बी पत्नी श्री सलीम शाह निवासी म.न. 25 फकीरपुरा छावनी भोपाल (उपचार हेतु)	रूपये 29,500 / - (उन्तीस हजार पांच सौ) नियमों को शिथिल करते हुए
12	एचसीएम. 7040 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1125	अध्यक्ष नार्मदीय ब्रम्हण समा, टिमरनी जिला हरदा (सामुदायिक भवन निर्माण हेतु)	रूपये 2,00,000 / - (दो लाख) नियमों को शिथिल करते हुए
13	एचसीएम. 7054 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1126	संचालक नर्मदा ट्रामा सेंटर प्रा. लि. ई. 3/23 अरोरा कालोनी भोपाल म.प्र. श्रीमती हेमा पिल्लई पत्नी श्री सनल कुमार पिल्लई नि. मु. व पो. ईटखेड़ी (सुल्तानपुर) जिला रायसेन	रूपये 1,00,000 / - (एक लाख)

14	एचसीएम. 7055 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1127	संचालक भोपाल मेमोरियल एंड रिसर्च सेंटर बैरसिया रोड भोपाल म.प्र. श्रीमती शारदा बाई पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण मालवीय निवासी ग्राम बांसापुर तह बुधनी जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 1,00,000 / - (एक लाख)
15	एचसीएम. 7056 / 08 दिनांक 29.08.08 आर. 1128	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान, निवासी नबादा जिला भिंड (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 30,000 / - (तीस हजार)
16	एचसीएम. 7057 / 08 दिनांक 29.08.08 आर. 1128	संचालक, ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल इंदौर श्रीमती बैजंती बाई पत्नी श्री जीवन सिंह राजपूत निवासी ग्राम गोपालपुरा तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 45,000 / - (पैंतालीस हजार)
17	एचसीएम. 7058 / 08 दिनांक 29.08.08 आर. 1128	श्री मोहन राय निवासी ग्राम वीरपुरा नौगांव जिला छतरपुर (तीन बच्चों की आकस्मिक मृत्यु होने पर)	रूपये 50,000 / - (पचास हजार)
18	एचसीएम. 7059 / 08 दिनांक 29.08.08 आर. 1129	कलेक्टर जिला भोपाल श्री रामलाल सेन, निवासी सर्वेन्ट क्वार्टर ई 1/166 अरेरा कालोनी भोपाल (पुत्री रीता सेन, के कान के उपचार हेतु)	रूपये 2,00,000 / - (दो लाख)
		योग:-	रूपये 8,79,500 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 8,79,500 / - (रूपये आठ लाख उन्चासी हजार पांच सौ ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-466/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 17/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर/रायसेन भोपाल/हरदा/भिण्ड/छतरपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-473/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 17/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-छिन्दवाड़ा/उज्जैन/सतना/रीवा/भोपाल/दमोह  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि 66,000/- (रूपये छियासठ हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 7011/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1130	श्री रामस्वरूप लोधी नि. ग्राम बोरीमाल तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा (उपचार हेतु)	रूपये 1,000/- (एक हजार)
2	एचसीएम. 7013/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1130	श्री भंवरलाल आ. श्री बेरूलाल नि. ग्राम मकला तह. महिदपुर जिला उज्जैन (उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
3	एचसीएम. 7017/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1130	श्री अजय सेन आ. श्री कालूचरण सेन निवासी सराय मोहल्ला वार्ड न. 16 मैहर जिला सतना (बहन कु. पूनम की आंख के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 7019/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1130	संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ईदगाह हिल्स भोपाल कु. रश्मि वर्मा पुत्री श्रीमती रामलली वर्मा नि. उपरहरी जिला रीवा ( माताजी के उपचार हेतु )	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)

5	एचसीएम. 7023/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1130	संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ईदगाह हिल्स भोपाल श्री शरद द्विवेदी आ. श्री चन्द्रभान द्विवेदी निवासी एम.आई.सी -2 दर्वेश रेसीडेंसी राजहर्ष कालोनी नयापुरा कोलार रोड जिला भोपाल ( कैंसर के उपचार हेतु )	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
6	एचसीएम. 7025/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1130	श्री तरवर सिंह आ. श्री सुखलाल निवासी ग्राम मारुतलाल तहसील दमोह जिला दमोह ( पुत्र के उपचार हेतु )	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
		योग:-	रूपये 66,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 66,000/- (रूपये छियासठ हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-473/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 17/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- छिन्दवाड़ा/उज्जैन/सतना/रीवा/भोपाल/  
दमोह (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि  
आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि  
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन  
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-474/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 17/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-सीहोर/होशंगाबाद/रायसेन  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि 1,15,000/- (रूपये एक लाख पंद्रह हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6998/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1131	संचालक, चरक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर जहांगीराबाद भोपाल श्री राम शर्मा आ. श्री हरप्रसाद शर्मा निवासी ग्राम सरदार नगर तह. बुधनी जिला सीहोर (माताजी श्रीमती अजुद्दी बाई उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 7000/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1131	संचालक, भंडारी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर श्री सुनील जाट आ. स्व श्री मांगीलाल जाट नि. ग्राम बाईबोड़ी तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (माताजी श्रीमती गीताबाई के उपचारहेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
3	एचसीएम. 7001/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1131	संचालक, स्वामी विवेकानंद रिजनल स्पाइन सेंटर भोपाल श्री ओमवती बाई पत्नी श्री भारत सिंह नि. ग्राम बरखेड़ा खरेट जिला सीहोर ( उपचार हेतु )	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)

4	एचसीएम. 7002/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1131	संचालक, चिरायु अस्पताल 6 मालीपुरा भोपाल श्रीमती श्यामबाई पत्नी श्री साहब सिंह नि. ग्राम खोहा तह. बुधनी जिला सीहोर ( उपचार हेतु )	रूपये 10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम. 7005/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1131	श्री चुन्नीलाल तिवारी नि. एयरटेल टॉवर के पास पिपरिया रोड जिला होशंगाबाद ( उपचार हेतु )	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार)
6	एचसीएम. 7006/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1131	संचालक कृष्णा हॉस्पिटल चिकलौद रोड जहांगीराबाद भोपाल श्री रमेश चौहान आ. श्री जमनाप्रसाद चौहान नि. ग्राम मालझिर वि.ख. बाड़ी जिला रायसेन ( उपचार हेतु )	रूपये 10,000/- (दस हजार)
7	एचसीएम. 7008/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1131	संचालक, पालीवाल हॉस्पिटल बैरसिया रोड भोपाल श्री कमल सिंह आ. श्री प्रेमनारायण अहिरवार नि. ग्राम भारकच्छकलां तह. बरेली जिला रायसेन ( उपचार हेतु )	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
योग:-			रूपये 1,15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 1,15,000/- (रूपये एक लाख पंद्रह हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।



5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 17/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-474/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर/होशंगाबाद/रायसेन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
-:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-474/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 17/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-सीहोर/होशंगाबाद/रायसेन  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि 1,15,000/- (रूपये एक लाख पंद्रह हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6998/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1131	संचालक, चरक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर जहांगीराबाद भोपाल श्री राम शर्मा आ. श्री हरप्रसाद शर्मा निवासी ग्राम सरदार नगर तह. बुधनी जिला सीहोर (माताजी श्रीमती अजुद्दी बाई उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 7000/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1131	संचालक, भंडारी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर श्री सुनील जाट आ. स्व श्री मांगीलाल जाट नि. ग्राम बाईबोड़ी तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (माताजी श्रीमती गीताबाई के उपचारहेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
3	एचसीएम. 7001/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1131	संचालक, स्वामी विवेकानंद रिजनल स्पाइन सेंटर भोपाल श्री ओमवती बाई पत्नी श्री भारत सिंह नि. ग्राम बरखेड़ा खरेट जिला सीहोर ( उपचार हेतु )	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)

4	एचसीएम. 7002/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1131	संचालक, चिरायु अस्पताल 6 मालीपुरा भोपाल श्रीमती श्यामबाई पत्नी श्री साहब सिंह नि. ग्राम खोहा तह. बुधनी जिला सीहोर ( उपचार हेतु )	रूपये 10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम. 7005/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1131	श्री चुन्नीलाल तिवारी नि. एयरटेल टॉवर के पास पिपरिया रोड जिला होशंगाबाद ( उपचार हेतु )	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार)
6	एचसीएम. 7006/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1131	संचालक कृष्णा हॉस्पिटल चिकलौद रोड जहांगीराबाद भोपाल श्री रमेश चौहान आ. श्री जमनाप्रसाद चौहान नि. ग्राम मालझिर वि.ख. बाड़ी जिला रायसेन ( उपचार हेतु )	रूपये 10,000/- (दस हजार)
7	एचसीएम. 7008/08 दिनांक 25.08.08 आर. 1131	संचालक, पालीवाल हॉस्पिटल बैरसिया रोड भोपाल श्री कमल सिंह आ. श्री प्रेमनारायण अहिरवार नि. ग्राम भारकच्छकलां तह. बरेली जिला रायसेन ( उपचार हेतु )	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
		योग:-	रूपये 1,15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 1,15,000/- (रूपये एक लाख पंद्रह हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-474/2008/एक (1)

17/09/2008 प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर/होशंगाबाद/रायसेन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-475/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-सीहोर/रायसेन/भोपाल  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि 11,25,000/- (रूपये ग्यारह लाख पच्चीस हजार ) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6824/08 दिनांक 27.08.08 आर. 1132	संचालक, भोपाल मेमोरियल एंड रिसर्च सेंटर बैरसिया रोड भोपाल श्रीमती शारदा बाई पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण मालवीय निवासी ग्राम बांसापुर तह. बुधनी जिला सीहोर ( उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
2	एचसीएम. 6825/08 दिनांक 27.08.08 आर. 1133	संचालक, चिरायु हेल्थ एंड मेडीकेयर प्रा.लि 6 मालीपुरा भोपाल श्री आर. के. मित्तल आ. श्री प्रभुदयाल मित्तल निवासी मुख्य रोड, औबेदुल्लागंज जिला रायसेन (कार्डियक सर्जरी के उपचार हेतु )	रूपये 75,000/- (पिच्छत्तर हजार)
3	एचसीएम. 6826/08 दिनांक 27.08.08 आर. 1134	उत्कल समाज झरनेश्वर रोड नार्थ टी. टी.नगर जिला भोपाल (जगन्नाथ मंदिर हेतु स्वचलित आरती यंत्र एवं अन्य सहायक उपकरण क्रय करने हेतु)	रूपये 1,00,000/- (एक लाख) (नियमो को शिथिल करते हुए)
4	एचसीएम. 6827/08 दिनांक 27.08.08 आर. 1135	श्रीराम जानकी मंदिर ग्राम कोसमी ग्राम पंचायत सियागेहन जिला सीहोर ( सामुदायिक भवन निर्माण कर्य हेतु )	रूपये 2,00,000/- (दो लाख) (नियमो को शिथिल करते हुए)

5	एचसीएम. 6828 / 08 दिनांक 27.08.08 आर. 1136	अध्यक्ष धाकड़ (नागर) समाज औबेदुल्लागंज जिला रायसेन (भवन निर्माण हेतु)	रूपये 5,00,000 / - (पांच लाख) (नियमो को शिथिल करते हुए)
6	एचसीएम. 6829 / 08 दिनांक 27.08.08 आर. 1137	संचालक रेडक्रास सोसयटी जिला छतरपुर श्रीमती कविता पत्नी श्री सतेन्द्र दुबे निवासी नरसिंहगढ़ पुरवा, जिला छतरपुर ( पुत्र रुद्रेश को ग्रोथहारमोन के बीमारी के उपचार हेतु )	रूपये 1,00,000 / - (एक लाख)
7	एचसीएम. 6830 / 08 दिनांक 27.08.08 आर. 1138	रोगी कल्याण समिति जे.पी.हॉस्पिटल भोपाल श्रीमती अमिता गौड़ पति श्री ओमप्रकाश गौड़ निवासी 4 / 21 छत्रसाल नगर फेस-2 जिला भोपाल (पति के गुर्दे के उपचार हेतु )	रूपये 1,00,000 / - (एक लाख)
		योग:-	रूपये 11,25,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 11,25,000 / - (रूपये ग्यारह लाख पच्चीस हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुरें )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-475/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 08/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर/रायसेन/भोपाल (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7- 483/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-भोपाल  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 3,81,000/- (रूपये तीन लाख इक्यासी हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम 7933/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती कमला चन्देल पत्नी स्व. श्री श्यामला चन्देल म. नं. 101 सुदामा नगर जिला भोपाल (स्त्री रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम 7936/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री संतोष पाराशर आ. स्व. श्री बृजमोहन पाराशर ग्राम कुराना तह. हुजूर जिला भोपाल (बड़े भाई श्री मुकेश के घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
3	एचसीएम 7937/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती देवन्ती गिरी पत्नी श्री हरेराम गोस्वामी खेलकूद छात्रावास के पास भीमनगर जिला भोपाल (पति के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
4	एचसीएम 7940/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री कमल सिंह ग्राम बागमुगालिया 16 एकड़ में झुग्गियां जिला भोपाल (पुत्र आकाश की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)



5	एचसीएम 7942/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती कौशल्या बाई पत्नी श्री तुकाराम झुग्गी नं. 2391/1 पलाश होटल के पीछे बाणगंगा जिला भोपाल (स्वयं के उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार)
6	एचसीएम 7944/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री विजय सिंह आ. श्री रामदीन झुग्गी नं. 192, इन्द्रा नगर 12 नं. बस स्टाप अरेरा कालोनी जिला भोपाल (पुत्री श्रीमती रानी बाई के जल जाने से उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
7	एचसीएम 7947/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	संचालक हजेला हास्पिटल भोपाल श्रीमती संध्या पति श्री सतीश 187, आराधना नगर, कोटरा सुल्तानाबाद जिला भोपाल (नाक की हड्डी एवं अस्थमा रोग के उपचार हेतु)	रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार) <b>नियमों को शिथिल कर</b>
8	एचसीएम 7951/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री राम सिंह पन्द्राम हेड कुक, राजभवन 24/22, क्वाटर जिला भोपाल (पुत्र के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रुपये 10,000/- (दस हजार) <b>नियमों को शिथिल कर</b>
9	एचसीएम 7954/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री सुरेश कुमार ठाकुर म.नं.-203 कोटरा सुल्तानाबाद जिला भोपाल (पुत्री कु. रूपकमल के पैर के उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार)
10	एचसीएम 7957/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री गजराज सिंह लोधी झुग्गी नं. 19 छत्रपति शिवाजी कालोनी बाल्मिकी रोड चूनाभट्टी जिला भोपाल (पत्नी श्रीमती राम बाई के टी. बी. रोग के उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
11	एचसीएम 7960/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री निलय श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण श्रीवास्तव एफ-110/7, शिवाजी नगर जिला भोपाल (पेट के उपचार हेतु)	रुपये 10,000/- (दस हजार)
12	एचसीएम 7962/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री प्रेमनारायण पिता श्री लालाराम म. नं. 101 वार्ड नं. 15 न्यूशांति कुंज कालोनी बैरसिया जिला भोपाल (पुत्री के पेट में गठान के उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
13	एचसीएम 7964/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री बृज बिहारी नामदेव बैंक कालोनी 28 जहांगीराबाद जिला भोपाल (पत्नी श्रीमती सरिता नामदेव के जल जाने से उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)

14	एचसीएम 7969/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री अनिल सक्सेना पिता श्री ओम प्रकाश सक्सेना जे.-57, ईडब्ल्यू.एस. हाउसिंग बोर्ड कालोनी जनता क्वाटर टीला जमालपुरा <b>जिला भोपाल</b> (पिताजी के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रुपये 10,000/- (दस हजार)
15	एचसीएम 7971/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती बसंती सेन पत्नी श्री रामकिशोर सेन शाहपुरा मस्जिद के पास प्यारे मियां के मकान में <b>जिला भोपाल</b> (पति की आंखों के उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
16	एचसीएम 7976/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती कड़वी बाई पत्नी श्री मानिक वार्ड नं. 52 सरस्वती नगर शाहपुरा 12 नं. स्टाप के आगे <b>जिला भोपाल</b> (पेट में सूजन के उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार)
17	एचसीएम 7978/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती मीरा बाई पत्नी स्व. श्री पंचम म. नं. 1528 शंकराचार्य नगर बजरिया थाने के पीछे <b>जिला भोपाल</b> (पुत्र की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रुपये 3,000/- (तीन हजार)
18	एचसीएम 7984/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री बरसन साहू पुत्र स्व. श्री साहनी साहू कृष्णा नगर 12 नं. बस स्टाप <b>जिला भोपाल</b> (लकवा रोग के उपचार हेतु)	रुपये 2,000/- (दो हजार)
19	एचसीएम 7987/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री मुकेश सेन पुत्र स्व. श्री वृन्दावन सेन झुग्गी नं. 92 अर्जुन नगर पंचायत आफिस के पीछे 1250 <b>जिला भोपाल</b> (रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
20	एचसीएम 7990/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री विजय कुमार म. नं. 4811 बी ब्लाक शारदा मंदिर के पास, नारियल खेड़ा <b>जिला भोपाल</b> (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
21	एचसीएम 7995/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री डी. एम. परदेशी सी-60, आम्रविहार कालोनी फेस नं.-3 नयापुरा कोलार रोड़ <b>जिला भोपाल</b> (पत्नी के अस्थिमा रोग के उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार)
22	एचसीएम 7998/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री इमाम उददीन पुत्र श्री नजरुदीन म. नं. 10 हिना स्टोर के पास पुतलीघर <b>जिला भोपाल</b> (अस्थिमा रोग के उपचार हेतु)	रुपये 2,000/- (दो हजार)

23	एचसीएम 8002/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री गोरेलाल पुत्र स्व. श्री लालाराम मीणा ग्राम लालूखेड़ी पो. जमुसर तह. बैरसिया <b>जिला भोपाल</b> (लकवा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
24	एचसीएम 8016/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री गोकुलदास बैरागी ग्राम बैरागढ़ चीचली कोलार रोड़ <b>जिला भोपाल</b> (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
25	एचसीएम 8020/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री गौरी शंकर पिता श्री तुलसीराम झुग्गी नं.-135 वार्ड क्रमांक 48 1250 के पास अर्जुन नगर भोपाल (गले में गठान के उपचार हेतु)	रूपये 3000/- (तीन हजार)
26	एचसीएम 8023/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री जतीन बोरकर पिता श्री नन्दकिशोर बोरकर म.नं.-88 वार्ड नं-30 माता मंदिर के नीचे, सुदाना नगर भोपाल (बवासिर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
27	एचसीएम 8027/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती किरण विश्वकर्मा पत्नी स्व. श्री पवन विश्वकर्मा कारगिल कालोनी वार्ड नं.18 <b>जिला भोपाल</b> (स्वयं के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार) पूर्व में स्वीकृत राशि जो आहरित नहीं की जासकी (आदेश क्रमांक 656 दिनांक 27.3.08)
28	एचसीएम 8030/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती रफीका बी पत्नी स्व. श्री अजीज़ 195 इन्द्रा नगर टीला जमालपुरा <b>जिला भोपाल</b> (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 3000/- (तीन हजार)
29	एचसीएम 8033/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री घनश्याम बेरवा आ. स्व. श्री गरीबदास बेरवा 12 नं. स्टाप इन्द्रा नगर <b>जिला भोपाल</b> (भाई विक्रम प्रसाद बेरवा के जल जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
30	एचसीएम 8035/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री धनराज सिंह ठाकुर आ. श्री के. एस. ठाकुर जनता म.नं.-331 कोटरा सुल्तानाबाद <b>जिला भोपाल</b> (पत्नी श्रीमती संध्या सिंह के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

31	एचसीएम 8038 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री अब्दुल अजीज़ खान म. नं. 28 पिंडरान गली घोड़ा नक्कास <b>जिला भोपाल</b> (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
32	एचसीएम 8069 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री भैयालाल साहू आ. श्री बाबूलाल साहू ग्राम पठानी बरखेड़ा म. नं. 60 शंकर नगर <b>जिला भोपाल</b> (पत्नी के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
33	एचसीएम 8074 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती गीता रावत पत्नी श्री आर. एस. रावत आई 26 / 39, नार्थ टी. टी. नगर जिला भोपाल (पेट एवं पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
34	एचसीएम 8075 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री सतीश कुमार नेहरे आ. श्री मनोहर मीरा म. नं.10, पी. सी. नगर <b>जिला भोपाल</b> (जल जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
35	एचसीएम 8077 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री हीरानंद सोभानी बी-न्यू / 25 म. नं. 439 बाबा रामदास दरबार के पास संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ <b>जिला भोपाल</b> (पुत्र मोहित के गंभीर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
36	एचसीएम 8080 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री नारायण दास साहू आ. स्व. श्री अनोखीलाल साहू म. नं. 10 नीलम कालोनी जहांगीराबाद वार्ड नं. 38 <b>जिला भोपाल</b> (पुत्र रोमी साहू के पोस्ट पोलियो के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
37	एचसीएम 8083 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री संजय करोसिया आ. श्री उमेद करोसिया झुग्गी नं. 6 नया बसेरा गुरु बाल्मिकी नगर कोटरा सुल्तानाबाद <b>जिला भोपाल</b> (पुत्र शिवा के मस्तिष्क रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
38	एचसीएम 8085 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री झुत्तनदास प्रजापति झुग्गी न. 581 ग्राम दामखेड़ा सर्वधर्म कोलार रोड़ <b>जिला भोपाल</b> (पुत्र कोमलदास एवं सुरेन्द्रदास के मांस क्षय की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 20,000 / - (बीस हजार)

39	एचसीएम 8090 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती शकुन्तला कौल पत्नी श्री रामलाल कौल झुग्गी नं. 7/3, वार्ड नं. 35 पी. डब्ल्यू.डी स्टोर के सामने वल्लभ नगर <b>जिला भोपाल</b> (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
40	एचसीएम 8091 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री राकेश कुमार निगम म. नं. 53 शब्बन चौराहा जहांगीराबाद <b>जिला भोपाल</b> (गंभीर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार)
41	एचसीएम 8094 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती सुशीला पति श्री रवि मेश्राम म. नं. 56, वार्ड नं. 30 सुदामा नगर जिला भोपाल (पेट एवं स्त्री रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार)
42	एचसीएम 8095 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री दीनाराम मेश्राम आ. श्री लटारू मेश्राम म. म. नं. 88, वार्ड नं. 30 सुदामा नगर जिला भोपाल (सीने में दर्द के उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार)
43	एचसीएम 8098 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री स्मिता पाटिल पति श्री आकाश पाटिल म. नं. 198, वार्ड नं. 30 सुदामा नगर जिला भोपाल (अस्थमा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार)
44	एचसीएम 8100 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती सुखिया बाई पटेल पति श्री रामेश्वर पटेल झुग्गी नं. 205 अर्जुन नगर 1250 <b>जिला भोपाल</b> (गुर्दे के उपचार हेतु)	रूपये 8,000 / - (आठ हजार)
45	एचसीएम 8103 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री अशोक कुमार प्रजापति म. नं. 34 एम.आई.जी. गौतम नगर गोविन्दपुरा <b>जिला भोपाल</b> (गंभीर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार)
46	एचसीएम 8105 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री शेषमणि पटेल आ. स्व. श्री रामकिशोर पटेल झुग्गी नं. 1616 वार्ड नं. 48 अर्जुन नगर <b>जिला भोपाल</b> (पुत्री कु. शिंकू के पेट एवं हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
47	एचसीएम 8108 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री अमरपाल सोनी आ. श्री बिहारीलाल सोनी झुग्गी नं. 413 वल्लभ नगर जिला भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 / - (पन्द्रह हजार)

48	एचसीएम 7934 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती रजनी राठौर पत्नी श्री संजय सिंह राठौर एस.-291 नेहरू नगर <b>जिला भोपाल</b> (टी. बी. रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
49	एचसीएम 7939 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री शिवसागर पुत्र श्री सूर्या ई.डब्ल्यू.एस. 23 / 1 ओल्ड सुभाष नगर <b>जिला भोपाल</b> (पुत्र की विकलांगिता के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
50	एचसीएम 7943 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री हरि प्रसाद साहू पिता श्री हरनाथ सिंह म. नं. 96, न्यू शांति कुंज बैरसिया जीजी किराना स्टोर वार्ड नं. 15 तह. बैरसिया <b>जिला भोपाल</b> (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 2,000 / - (दो हजार)
51	एचसीएम 7946 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती दुर्गा मोतियानी बी-8 / 103, बैरागढ़ <b>जिला भोपाल</b> (पुत्र भगवानदास मोतियानी के गैंगरीन के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
52	एचसीएम 7956 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती शारदा बाई पत्नी स्व. श्री राजेश कुमार थाने के सामने सरदार पटेल स्कूल रोड के पास झुग्गी मिसरोद होशंगाबाद रोड एवं हाई स्कूल के सामने मनोहर पाटीदार के गोदाम के पास वार्ड नं. 53 <b>जिला भोपाल</b> (टी. बी. रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
53	एचसीएम 7965 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती ममता पाण्डे पति श्री बी. पी. पाण्डे नि.श्रे.लि. म. प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्या. <b>जिला भोपाल</b> (पति के ब्लड कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 / - (पन्द्रह हजार)
54	एचसीएम 7970 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री लखनलाल आ. श्री राम ग्राम हताईखेड़ी फन्दा कला ग्राम पंचायत बोरखेड़ी तह. हुजूर <b>जिला भोपाल</b> (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 / - (पन्द्रह हजार)
55	एचसीएम 7974 / 08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्री तरुण कुमार धनेरिया पिता श्री दुर्गा प्रसाद प्लॉट नं. 7 पंचशील नगर वार्ड नं. 49 <b>जिला भोपाल</b> (पिताजी के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)

56	एचसीएम 7985/08 दिनांक 12.09.08 आर. 1121-ए	श्रीमती अस्मा बेगम पति श्री वाहिद खां 178, बिस्मिल्ला कालोनी ऐशबाग जिला <b>भोपाल</b> (हृदय एवं शुगर की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		<b>योग:-</b>	<b>रूपये 3,81,000/-</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,81,000/- (रूपये तीन लाख इक्यासी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 483/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।

9/778

5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग



मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-भोपाल/ग्वालियर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 97,000/- (रूपये सन्तान्नवे हज़ार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6831/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1140	श्रीमती विमलाबाई म.नं.-40 दुर्गा नगर जिला-भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6832/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1140	श्री देवेश दुबे म.नं.-3/4 गली नं.-3 सौरभ कालोनी चांदबड़ भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 6833/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1140	श्री गया प्रसाद शर्मा आ. श्री गेंदालाल शर्मा आई 112/23, के पीछे झुग्गी नं. 50 शिवाजी नगर जिला भोपाल (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
4	एचसीएम. 6834/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1141 मा. राज्यमंत्री श्री नारायनसिंह कुशवाह	श्री कुलदीप सिंह कोरी हुजरात चौराहा लशकर, जिला ग्वालियर (टी. बी. रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
5	एचसीएम. 6835/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1141 मा. राज्यमंत्री श्री नारायनसिंह कुशवाह	श्री सरदार सिंह पुत्र श्री टीकाराम सिंह ग्राम रायरू जिला ग्वालियर (टी. बी. रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

6	एचसीएम. 6836 / 08 दिनांक 28.08.08 <b>आर. 1141</b> मा. विधायक श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री हरभजन जगजीवन नगर कुम्हारपुरा के पास मुरार <b>जिला ग्वालियर</b> (पत्नी की जांघ के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
7	एचसीएम. 6837 / 08 दिनांक 28.08.08 <b>आर. 1141</b> मा. मंत्री श्री जयंत मलैया	श्रीमती मंजू पति श्री राजेश जाटव शिवनगर कुम्हारपुरा वार्ड नं. 21, मुरार <b>जिला ग्वालियर</b> (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000 / - (पन्द्रह हजार)
8	एचसीएम. 6838 / 08 दिनांक 28.08.08 <b>आर. 1141</b> मा. राज्यमंत्री श्री ना.प्र. कबीरपंथी	श्री बृजकिशोर वर्मा आ. श्री हल्केराम आरामिल कोरी समाज दफ्तर के पास बिरला नगर <b>जिला ग्वालियर</b> (माताजी के कमर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
9	एचसीएम. 6839 / 08 दिनांक 28.08.08 <b>आर. 1141</b> मा.सांसद श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री डरू प्रसाद कोरी म. नं. 97 अशोक कालोनी नदीपार टाल मुरार <b>जिला ग्वालियर</b> (पुत्र की मंदबुद्धि के उपचार हेतु)	रूपये 8,000 / - (आठ हजार)
10	एचसीएम. 6840 / 08 दिनांक 28.08.08 <b>आर. 1141</b> मा. राज्यमंत्री श्री नारायनसिंह कुशवाह	श्रीमती वनीता सोनी पति स्व. श्री उमेश सोनी जगनभैया की गली के सामने माधवगंज लश्कर <b>जिला ग्वालियर</b> (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
11	एचसीएम. 6841 / 08 दिनांक 28.08.08 <b>आर. 1141</b> मा. मंत्री श्री जयंत मलैया	1. श्रीमती कमला पति श्री भागीरथ वर्मा न्यू रेल्वे कालोनी झंडाधारी हनुमान गली लोको के पास तानसेन रोड <b>जिला</b> <b>ग्वालियर</b> (पति के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
	एचसीएम. 6842 / 08 दिनांक 28.08.08 <b>आर. 1141</b> मा. मंत्री श्री जयंत मलैया	2. श्री भागीरथ पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद न्यू रेल्वे कालोनी झंडाधारी हनुमान गली लोको के पास तानसेन रोड <b>जिला</b> <b>ग्वालियर</b> (पुत्री रिंकी के पैरों के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
12	एचसीएम. 6843 / 08 दिनांक 28.08.08 <b>आर. 1141</b> मा. राज्यमंत्री श्री नारायनसिंह कुशवाह	श्रीमती मीराबाई कुशवाह पत्नी स्व. श्री राजू कुशवाह ग्राम वीरपुर बांध सिकन्दर कम्पू <b>जिला ग्वालियर</b> (भरण पोषण हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार)
13	एचसीएम. 6844 / 08 दिनांक 28.08.08 <b>आर. 1141</b> मा. राज्यमंत्री श्री नारायनसिंह कुशवाह	श्री भगवान कुशवाह पुत्र स्व. श्री नन्दराम कुशवाह ग्राम गुढा शेरों वाली माता के पास लश्कर <b>जिला ग्वालियर</b> (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)

14	एचसीएम. 6846/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1141 मा. राज्यमंत्री श्री नारायनसिंह कुशवाह	श्रीमती भूरी देवी पत्नी श्री रामभजन सिंह न्यु विवेक नगर पी एण्ड टी कालोनी के पास थाटीपुर मुरार जिला ग्वालियर (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
		कुल योग-	रूपये 97,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 97,000 /- (रूपये सन्तान्नवें हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल/ग्वालियर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-दतिया  
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6849/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1142 मा. संसद सदस्य डॉ. रामलखन सिंह	श्री नवाब सिंह खगार सेंधरी जिला दतिया (पुत्री कुमारी वन्दना आंखो के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 6849/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1142	श्री लखन सिंह आ श्री रामचरण रावत ग्राम पल्ली जिला दतिया (कैसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 30,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 30,000/- (रूपये तीस हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- दतिया (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला- रायसेन  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,07,000/- (रूपये एक लाख सात हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6855/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1143 मा. मंत्री डॉ. गौरीशंकर शैजवार	श्री विश्राम सिंह आ. श्री गुलाब सिंह ग्राम पाटीमानक चौक तह. गैरतगंज जिला रायसेन (घातक बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6857/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1143	श्री गुलाब सिंह आ. श्री कुन्नुलाल ग्राम गूगलवाड़ा जिला रायसेन (पैर के फ्रेक्चर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6860/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1143	श्री लखन सिंह आ. स्व. श्री गंगाराम ग्राम पंचायत शरार पोस्ट दीवानगंज जिला रायसेन (पेट एवं हड्डी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
4	एचसीएम. 6863/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1143	श्रीमती कपूरिया बाई पत्नी श्री रामचरन दंदाी ग्राम गूगलवाड़ा वि. ख. बाड़ी जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
5	एचसीएम. 6866/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1143	श्री प्रेमसिंह ग्राम किनगी थाना व तहसील बरेली जिला रायसेन (गैंगरीन के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

6	एचसीएम. 6869 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1143	श्रीमती ममताबाई पत्नी श्री धर्मेन्द्र ग्राम शरार पो.दीवानगंज जिला रायसेन (पेट रोग के उपचार हेतु)	रूपये 2,000 / - (दो हजार)
7	एचसीएम. 6872 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1143 मा. मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	सुश्री मीना जैन पार्षद औबेदुल्लागंज जिला रायसेन (बड़े भाई श्री विनोद कुमार जैन के ब्रेन हेमरेज के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
8	एचसीएम. 6877 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1143 मा. मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा	श्रीमती सुनीता शाक्या पति श्री हरिराम शाक्या मोहल्ला नरेपुरा जिला रायसेन (पति के आंख के उपचार हेतु)	रूपये 3,000 / - (तीन हजार)
9	एचसीएम. 6882 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1143 मा. सांसद श्री रामपाल सिंह	श्री अनिल कुमार वर्मा आ. स्व. श्री मनोहरलाल वर्मा सिनेमा रोड छोला बाजार बरेली जिला रायसेन (माताजी श्रीमती शांतिबाई के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
10	एचसीएम. 6886 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1143	श्री बहादुरसिंह धामड़िया गूगलवाड़ा विकास खण्ड बाड़ी जिला रायसेन (पुत्र अमित की डूबने से मृत्यु हो जाने से सहायता) पूर्व में एच.सी.एम. / 2073 / 08 दिनांक 1.4.2008.द्वारा स्वीकृत राशि को निरस्त करते हुए	रूपये 50,000 / - (पचास हजार)
11	एचसीएम. 6887 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1143	श्री रामसिंह पिता श्री बाबूलाल ऊंटिया कला तह. बरेली जिला रायसेन (पुत्र राजकुमार की मृत्यु हो जाने से सहायता )	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
<b>योग:-</b>			<b>रूपये 1,07,000 / -</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,07,000 / - (रूपये एक लाख सात हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।



4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला-रायसेन (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रॉजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे ।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे । **सर्वर में फीड करावे ।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित** .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-सीहोर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 41,000/- (रूपये इकतालीस हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6889/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1144	श्री अर्जुन सिंह परमार आ.श्री शिवनाथ सिंह ग्राम इटावा खुर्द तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (पुत्र के दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 6892/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1144	श्रीमती कस्तूरीबाई शर्मा पति श्री धनीराम शर्मा ग्राम सरदारनगर तह. बुदनी जिला सीहोर (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
3	एचसीएम. 6893/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1144	श्री कृष्ण कुमार शर्मा पिताश्री प्यारेलाल शर्मा ग्राम सरदार नगर तह. बुदनी जिला सीहोर (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
4	एचसीएम. 6898/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1144	श्री राजपाल चौहान आ. श्री शंकर लाल सेठ ग्राम मछवाई पों. डोबी तह. बुदनी जिला सीहोर (लीवर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
5	एचसीएम. 6901/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1144	श्री गुलाबसिंह आ.श्री लालता प्रसाद ग्राम सागपुर तह. बुदनी जिला सीहोर (पुत्र धर्मेन्द्र चौहान के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 41,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 41,000/- (रूपये इकतालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहे हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-विदिशा  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,72,000/- (रूपये एक लाख बहत्तर हजार ) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6904/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	श्रीमती कृष्णा बाई पुत्री श्री व्दारका प्रसाद ग्राम देवखजूरी जिला विदिशा (पुत्री कु. रूही शर्मा के उपचार हेतु) पूर्व में श्री सुरेश शर्मा के नाम से स्वीकृत राशि को निरस्त करते हुए	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 6905/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	श्री हरलाल पुत्र श्री हरनाम लोधी ग्राम हरदूखेड़ी तह.गंजबासौदा जिला विदिशा (आखों के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
3	एचसीएम. 6906/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री धर्मन्द्र ग्राम वीलाढाना तह. बंजबासौदा जिला विदिशा (मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
4	एचसीएम. 6908/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल ग्राम वीलाढाना तह. बंजबासौदा जिला विदिशा (लकवा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
5	एचसीएम. 6909/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	श्री सुज्जू पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह ग्राम रजौदा तह. नटेरन जिला विदिशा (पथरी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)

6	एचसीएम. 6910 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	श्री वीरेन्द्र सिंह दांगी आ.श्री कमलसिंह दांगी ग्राम महा गौर तह. गंजबासौदा <b>जिला विदिशा</b> (कैसर रोग के उपचार हेतु)	रुपये 15,000 / - (पन्द्रह हजार)
7	एचसीएम. 6912 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	श्री ज्ञान सिंह आ. श्री हीरालाल ग्राम भीलाखेड़ी <b>जिला विदिशा</b> (पुत्री राजकुमारी के आंखों के उपचार हेतु)	रुपये 15,000 / - (पन्द्रह हजार)
8	एचसीएम. 6926 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	श्री गोंपालकृष्ण शर्मा ग्राम हिनोटिया तह. नटेरन <b>जिला विदिशा</b> (कूल्हे के उपचार हेतु)	रुपये 10,000 / - (दस हजार)
9	एचसीएम. 6927 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	श्रीमती धर्मपति बाई पत्नी स्व. श्री लाल सिंह ग्राम कांसी तह. सिरोंज <b>जिला विदिशा</b> (कूल्हे की हड्डी के उपचार हेतु)	रुपये 15,000 / - (पन्द्रह हजार)
10	एचसीएम. 6928 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री बाबूलाल ग्राम सुनपुरा <b>जिला विदिशा</b> (गले के कैसर रोग के उपचार हेतु)	रुपये 15,000 / - (पन्द्रह हजार)
11	एचसीएम. 6930 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	1. श्री भंवरलाल यादव आ.श्री नन्दकिशोर यादव ग्राम कोलुआ धामनोद तह. ग्यारसपुर <b>जिला विदिशा</b> (पुत्र अभिषेक यादव की डुबने से मृत्यु हो जाने से सहायता)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार)
	एचसीएम. 6932 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	2. श्री नारायण सिंह यादव आ. श्री राजाराम यादव ग्राम कोलुआ धामनोद तह. ग्यारसपुर <b>जिला विदिशा</b> (पुत्र शिवम यादव की डुबने से मृत्यु हो जाने से सहायता)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार)
	एचसीएम. 6934 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	3. श्री सरदार यादव आ. श्री मानसिंह यादव ग्राम कोलुआ धामनोद तह. ग्यारसपुर <b>जिला विदिशा</b> (पुत्र शिशुपाल यादव की डुबने से मृत्यु हो जाने से सहायता)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार)
	एचसीएम. 6936 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	4. श्री नर्बदा प्रसाद यादव आ. श्री जयराम यादव ग्राम कोलुआ धामनोद तह. ग्यारसपुर <b>जिला विदिशा</b> (पुत्र भूरा उर्फ धर्मेन्द्र यादव की डुबने से मृत्यु हो जाने से सहायता)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार)
12	एचसीएम. 6974 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	श्री रामकृष्ण कश्यप गोपाल गली तह. सिरोंज <b>जिला विदिशा</b> (उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (पांच हजार)

13	एचसीएम. 6845 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	श्री परमानंद केवट लक्ष्मीनारायण मंदिर विद्यार्थी पथ सिरोंज जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
14	एचसीएम. 6847 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	1. श्री नारायण सिंह यादव ग्राम ओराखेड़ी तह.सिरोंज जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
	एचसीएम. 6848 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	2. श्री बाबूलाल शर्मा ग्राम कालादेव तह. लटेरी जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
15	एचसीएम. 6850 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	श्री कोमल चौकसे लटेरी जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
16	एचसीएम. 6851 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	श्री अमोल सिंह जाटव ग्राम मलसीपुर तह. सिरोंज जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
17	एचसीएम. 6853 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	1. श्री मंगल सिंह अहिरवार राणापुर पचकुईया तह. सिरोंज जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
	एचसीएम. 6856 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1145	2. श्री बनवारी बैरागी पुत्र श्री के.डी. बैरागी वार्ड नं. 3, सुभाष नगर सिरोंज जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 1,72,000 / -

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 1,72,000 / - (रूपये एक लाख बहत्तर हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहे हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- विदिशा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-इन्दौर,  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6858/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1146 मा. राज्यमंत्री सुश्री निर्मला भूरिया	श्री मदनमोहन गौड़ 2308 लुनियापुरा महु जिला इन्दौर (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 6861/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1146 मा. मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय	श्री शिवकुमार गोयल एल. आय. जी. 11/2 नन्दानगर मेन रोड जिला इन्दौर (पुत्र विकास के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
3	एचसीएम. 6864/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1146	श्री मुकेश शर्मा पिता श्री बाबूलाल शर्मा 76-सी, वन्दना नगर जिला इन्दौर (पुत्री आयुषी शर्मा के बधिरता के कारण उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम. 6867/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1146	श्री निलेश आ. श्री नारायण इन्द्रा ग्राम सिमरोल तह. महु जिला इन्दौर (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)



5	एचसीएम. 6870/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1146 मा. मंत्री श्री कमल पटेल	संचालक कोठारी सर्जिकल पैथालाजी सेन्टर आनन्द बाजार इन्दौर श्री रूपचन्दजी चौहान बी-11 सेलस टेक्स कालोनी, गुमाश्ता नगर इन्दौर (पत्नी श्रीमती सुमनबाई के लेफ्ट ब्रेस्ट लूप के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
6	एचसीएम. 6864/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1146 मा. सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन	श्री नंदकिशोर जाट 1007 नयापुरा राऊ जिला इन्दौर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 1,00,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- इन्दौर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रैजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला- देवास  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार ) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6875/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1147	श्री मिश्रीलाल पिता श्री दुलीचंद नाईवाल ग्राम बरोठा फाटा देवरी जिला देवास (पुत्र एवं पुत्रवधु की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- देवास (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
-:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-खरगौन  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 14,000/- (रूपये चौदह हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6878/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1148	श्री गिरधारी पिता श्री कालू ग्राम साला तह. बड़वाहा जिला खरगौन (चर्म रोग के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
2	एचसीएम. 6884/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1148	श्री श्याम पिता श्री बद्रीप्रसाद सेन वार्ड क्र. 12 बुन्देला गली सनावद जिला खरगौन (पैर में सड़न के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 14,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 14,000/- (रूपये चौदह हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- खरगौन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-शाजापुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,13,000/- (रूपये एक लाख तेरह हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6891/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1149	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री जसमत सिंह राजपूत मेहरखेड़ी तह. शुजालपुर जिला शाजापुर (पथरी के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
2	एचसीएम. 6894/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1149	श्री श्रीमती शांता बाई पति श्री तुलसीराम राजपूत मेहरखेड़ी तह. शुजालपुर जिला शाजापुर (ट्यूमर के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
3	एचसीएम. 6899/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1149	श्री प्रहलाद सिंह आ. श्री माधौ सिंह ग्राम फुलेन तह. शुजालपुर जिला शाजापुर (मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
4	एचसीएम. 6903/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1149	श्रीमती ललतादेवी पति श्री रमेश चन्द्र ग्राम किलोरा तह. गुलाना जिला शाजापुर (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
5	एचसीएम. 6907/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1149	श्रीमती शान्ती बाई पत्नी श्री लालसिंह ग्राम लटूरी गुजर तह.सुसनेर जिला शाजापुर (खून की कमी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

6	एचसीएम. 6913/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1149	श्री अजब सिंह पिता श्री मेहताब सिंह ग्राम टिकरिया ग्राम पंचायत जसवाड़ा ब्लाक मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर (पैर के उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
7	एचसीएम. 6942/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1149	श्री रमेश चन्द्र आ. श्री अमरसिंह मालवीय ग्राम भैसायागढ़ा तह. कालापीपल जिला शाजापुर (हाथ में फेक्चर के उपचार हेतु)	रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
8	एचसीएम. 6943/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1149	श्रीमती शांतिबाई पति श्री बट्टीलाल मालाकार अशोक मार्ग नलखेड़ा जिला शाजापुर (ब्लड प्रेशर के उपचार हेतु)	रुपये 4,000/- (चार हजार)
9	एचसीएम. 6946/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1149	कु. भावना तिवारी पिता श्री राधेश्याम तिवारी सुसनेर जिला शाजापुर (माताजी श्रीमती रामकन्या के ब्लडप्रेसर के उपचार हेतु)	रुपये 4,000/- (चार हजार)
10	एचसीएम. 6948/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1149	कु. संगीता पिता श्री रामेशवर प्रसाद सुसनेर जिला शाजापुर (माताजी श्रीमती रामजानकी के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रुपये 4,000/- (चार हजार)
11	एचसीएम. 6952/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1149	श्री रामेश्वर शर्मा पिता श्री बंशीलाल जी शर्मा 64, माता सुसनेर जिला शाजापुर (बड़े भाई श्री भवानी शंकर शर्मा के हृदय वाल्व के उपचार हेतु)	रुपये 4,000/- (चार हजार)
12	एचसीएम. 6955/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1149	श्री योगीशंकर पाटीदार आ. श्री भोजराज पाटीदार महात्मा गांधी मार्ग शुजालपुर मण्डी जिला शाजापुर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रुपये 50,000/- (पचास हजार) पूर्व में आदेश क्रमांक 340 दिनांक 1.11. 2007.को निरस्त करते हुए
		योग:-	रुपये 1,13,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 1,13,000/- (रुपये एक लाख तेरह हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।



4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-शाजापुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-होशंगाबाद  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 8,000/- (रूपये आठ हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6958/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1150	श्री सुनील गुप्ता पिता श्री पन्नालाल गुप्ता आठवीं लार्डन इटारसी जिला होशंगाबाद (पिताजी के फेफड़ों के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
		योग:-	रूपये 8,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 8,000/- (रूपये आठ हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

2/789

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- होशंगाबाद(मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-रीवा  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,13,000/- (रूपये एक लाख तेरह हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6964/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1151	श्रीमती प्रतिमा पाण्डेय पतिश्री रमांशकर पाण्डेय ग्राम बहेरा नानकार पो. देवरी सेंगरान वि.ख. नई गढ़ी तह. मऊगंज जिला रीवा (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6968/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1151	श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी पिता श्री चन्द्रमणि प्रसाद तिवारी ग्राम पोस्ट तिवनी तह. सिरमौर जिला रीवा (हेपेटाइटिस ई एवं पीलिया रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 6970/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1151	श्री गया प्रसाद पाण्डेय पिता स्व. श्री चन्द्रभान राम पाण्डेय ग्राम बैसा तह. हुजूर जिला रीवा (पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी पाण्डेय के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 6975/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1151	श्री यदुवंशमणि पाण्डेय ग्राम देवखर थाना अतरैला जिला रीवा (हृदय रोग के उपचार हेत)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)

5	एचसीएम. 6978 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1151	श्री रावेन्द्रशर्मा ग्राम सिगडी <b>जिला रीवा</b> (माताजी श्रीमती केशरीबाई की कैंसर रोग से मृत्यु हो जाने के कारण सहायता)	रूपये 50,000 /- (पचास हजार) <b>कलेक्टर रीवा को प्रतिपूर्ति हेतु</b>
6	एचसीएम. 6854 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1151	<b>संचालक रीवा मेडीकल कालेज</b> <b>रीवा</b> श्रीमती सुमित्री देवी कोल वार्ड क्रमांक 31, सदस्य जिला पंचायत रीवा <b>जिला रीवा</b> (गर्भाशय के उपचार हेतु)	रूपये 30,000 /- (तीस हजार)
<b>योग:-</b>			<b>रूपये 1,13,000 /-</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,13,000/- (रूपये एक लाख तेरह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- रीवा (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-सतना  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,30,000/- (रूपये एक लाख तीस हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6859/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1152	श्रीमती सरोज पाण्डेय पतिश्री राजभान पाण्डेय ग्राम ताला तह. अमरपाटन जिला सतना (पुत्री लक्ष्मी पाण्डेय के जल जाने से उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 6862/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1152	संचालक सी.एच.एल.अपोलो हास्पिटल इन्दौर श्री आत्मानंद मिश्रा ग्राम पोस्ट सगौनी जिला सतना (हृदय रोग के उपचार हेतु) (पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 86 दिनांक 12 जनवरी 2007, जो कि भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल के नाम से देय था, को निरस्त करते हुए)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)
3	एचसीएम. 6865/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1152	संचालक सी. एच.एल.अपोलो हास्पिटल इन्दौर कु. यशी सिंह पुत्री श्री शैलेन्द्र सिंह रिछहरी जिला सतना (हृदय में छेद के उपचार हेतु)	रूपये 75,000/- (पचहत्तर हजार)
		योग:-	रूपये 1,30,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 1,30,000/- (रूपये एक लाख तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहे हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सतना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग



मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला- बड़वानी  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6868/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1153	श्रीमती कमरुननिशा पत्नी श्री जब्बार शाह पानवाडी मोहल्ला डाक्या फल्या जिला बड़वानी (गैंगरीन की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

2/791

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- बड़वानी (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला- सागर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 80,000/- (रूपये अस्सी हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6871/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1154	श्रीमती रामाबाई पत्नी श्री नाथूराम लखेरा बीना जिला सागर (पति के रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 6874/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1154	श्री राकेश आ. श्री गुलई अहिरवार वार्ड नं.4 रामनगरी रहली जिला सागर (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6876/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1154	श्री कीमत राय आ. श्री सेऊमल गाधी वार्ड बीना जिला सागर (पत्नी श्रीमती राजकुमारी के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
4	एचसीएम. 6879/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1154	श्री मनोज शाडिल्य, अधिवक्ता देवरी जिला सागर (कूल्हे के जोड़ों के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 6880/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1154	श्री सचिन स्वामी पिता श्री अशोक कुमार स्वामी सुभाष वार्ड देवरी जिला सागर (पिताजी के दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

6	एचसीएम. 6881 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1154	श्रीमती संतोष रानी शास्त्री वार्ड देवरी <b>जिला सागर</b> (पैरों के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
7	एचसीएम. 6883 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1154	श्री कामता प्रसाद पटेल ग्राम बरखेरा सिकन्दर तह. रहली <b>जिला सागर</b> (पुत्री के लकवा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
8	एचसीएम. 6885 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1154	श्री प्रहलाद पिता श्री तिजई रजक गांधी वार्ड देवरी <b>जिला सागर</b> (पुत्र के आंखों के उपचार हेतु)	रूपये 5,000 / - (पांच हजार)
9	एचसीएम. 6888 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1154	श्री नन्हे लाल काछी पिता श्री रघुवर काछी ग्राम पटना बुजुर्ग तह. गढ़ाकोटा <b>जिला सागर</b> (स्वयं के मूत्राशय के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 / - (दस हजार)
<b>योग:-</b>			<b>रूपये 80,000 / -</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 80,000 / - (रूपये अस्सी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहे हैं है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सागर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

कलेक्टर,  
जिला- सिंगरौली  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6890/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1155	श्री रामबूज केवल पिपरा झांपी पो. पोंडी नौगई जिला सिंगरौली (पत्नी श्रीमती सुशीला की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सिंगरौली (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-छतरपुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 18,000/- (रूपये अठारह हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6895/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1156	श्रीमती नीलम त्रिपाठी नया पन्ना नाका चंद्रशेखर आजाद चौक जिला छतरपुर (बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
2	एचसीएम. 6896/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1156 मा. मंत्री श्री बाबूलाल गौर	श्री मो. शमीम राईन वार्ड क्रमांक 26 बड़ी कुंज रेहटी महल रोड़ जिला छतरपुर (पत्नी श्रीमती बिस्समिल्ला बी के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 18,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 18,000/- (रूपये अठारह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।



4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- छतरपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-छिंदवाड़ा  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 8,000/- (रूपये आठ हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6897/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1157	श्री चिरकुट राव थेटे पों-मारुड तह. पाण्डुर्णा जिला -छिन्दवाड़ा (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
		योग:-	रूपये 8,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये रूपये 8,000/- (रूपये आठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-बुरहानपुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 13,000/- (रूपये तेरह हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6900/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1158	श्रीमती सुशीला पत्नी श्री ईश्वर कैथवस ग्राम झिरी जिला बुरहानपुर (स्त्री रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
2	एचसीएम. 6902/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1158	श्री तुलसीराम दामू ग्राम बड़झिरी जिला बुरहानपुर (दोनो पैर टूट जाने से उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 13,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 13,000/- (रूपये तेरह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला- खण्डवा  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 3,000/- (रूपये तीन हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6949/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1157	श्रीमती सुकृति बाई पत्नी स्व. श्री सुन्दरलाल भण्डारिया रोड जिला खण्डवा (चर्म रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
योग:-			रूपये 3,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,000/- (रूपये तीन हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- खंडवा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
-:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-टीकमगढ़  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 68,000/- (रूपये अडसठ हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6953/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1160	श्रीमती मालती अहिरवार पत्नी स्व. श्री लक्ष्मण अहिरवार मवई जिला टीकमगढ़ (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 2,000/- (दो हजार)
2	एचसीएम. 6956/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1160	श्री भागीरथ अहिरवार तनय श्री गुमान अहिरवार देवरी नायक तह. निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (आंत की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 6959/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1160	श्री पन्ना सिंह परिहार ग्राम कंचनपुरा तह. पृथ्वीपुरा जिला टीकमगढ़ (पत्नी के स्त्री रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 6961/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1160	श्री भूरा वंशकार ग्राम तुहरगुंवा वि. ख. जतारा जिला टीकमगढ़ (पत्नी के स्त्री रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 6963/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1160	श्री उत्तम आ. श्री बाबू आदिवासी ग्राम मऊचुंगी जिला टीकमगढ़ (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
6	एचसीएम. 6965/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1160	श्री जानकी प्रसाद केवट तनय श्री रामदास केवट ग्राम धजरई जिला टीकमगढ़ (मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)



7	एचसीएम. 6967/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1160	श्री उपेन्द्र कुमार द्विवेदी ग्राम रतवास तह. पलेरा जिला टीकमगढ़ (दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
8	एचसीएम. 6971/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1160	श्रीमती सरोज प्रजापति पत्नी स्व. श्री कैलाश प्रजापति ग्राम छिदारी तह. बलदेवगढ़ जिला टीकमगढ़ (दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
9	एचसीएम. 6973/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1160	श्री नाथूराम अहिरवार ग्राम सिमरा खास जिला टीकमगढ़ (पिता की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
10	एचसीएम. 6979/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1160	श्रीमती आभा जैन ग्राम पो. बरेठी तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ (पति श्री पवन कुमार जैन के हृदय रोग के उपचार हेतु )	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 68,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 68,000/- (रूपये अड़सठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-नीमच  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6981/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1161	श्री नवलसिंह ग्राम सोजवास जिला नीमच (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-नीमच (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-श्योपुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 41,000/- (रूपये इकतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6983/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1162 एचसीएम. 6984/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1162 एचसीएम. 6985/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1162	1. श्री सुधीर नट ब्लाक कालोनी के पीछे विजयपुर जिला श्योपुर (उपचार हेतु) 2. श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री नरेन्द्र शर्मा ग्राम गसवानी जिला श्योपुर (उपचार हेतु) 3. श्री बृजेश कुमार मित्तल आ. श्री रामगोपाल मित्तल विजयपुर जिला श्योपुर (उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार) रूपये 3,000/- (तीन हजार) रूपये 3,000/- (तीन हजार)
2.	एचसीएम. 6986/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1162	श्री लाखन सिंह पुत्र श्री रामभजन रावत विजयपुर जिला श्योपुर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
3.	एचसीएम. 6987/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1162	श्री राजेन्द्र पुत्र श्री रोशन लाल गर्ग राम मोहल्ला वार्ड नं. 9 तह. विजयपुर जिला श्योपुर (मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
4	एचसीएम. 6988/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1162	श्री देवेन्द्र गुप्ता श्री बनवारी लाल गुप्ता खजांची गली पोस्ट आफिस के पास तह. विजयपुर जिला श्योपुर (कूल्हे के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)

5	एचसीएम. 6989/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1162	श्रीमती सुभद्रा देवी पत्नी स्व. श्री राधेश्याम गुप्ता नेहरू बाजार तह. विजयपुर जिला श्योपुर (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रुपये 41,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 41,000/- (रुपये इकतालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-482 /2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- श्योपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-शिवपुरी  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6990/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1163	श्री गजेन्द्र सोनी करैरा जिला शिवपुरी (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
	एचसीएम. 6991/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1163	श्री हरिशंकर शर्मा 73/2, गांधी नगर जिला शिवपुरी (स्वयं के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 30,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-शिवपुरी (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग



मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
-:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7-482 / 2008 / एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

कलेक्टर,  
जिला- राजगढ़  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 33,000/- (रूपये तैतीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6992 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1164	श्री राधेश्याम पिता श्री सिधूलाल ग्राम कोलूखेड़ा तह. सारंगपुर जिला राजगढ़ (जीवन यापन हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
2.	एचसीएम. 6993 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1164	श्री लक्ष्मीचंद सेन आ.श्री रामसिंह सेन ग्राम वार्ड नं. 1 ब्यावरा जिला राजगढ़ (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
3	एचसीएम. 6994 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1164	कु. शीला पिता श्री राधेश्याम दांगी ग्राम दौलाज तह. खिलचीपुर जिला राजगढ़ (पैर में फ्रेक्चर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 6995 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1164	श्री भंवरलाल पिता श्री मनीराम ग्राम बड़बेली बिहार तह. नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (पत्नी की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 6996 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1164	श्री शिवप्रसाद आ. श्री जगन्नाथ ग्राम कुरावर मण्डी तह. नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (गंभीर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
6	एचसीएम. 6997 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1164	श्री बने सिंह पिता श्री मोतीलाल दांगी ग्राम नाटाराम तह. खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जीवन यापन हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
		योग:-	रूपये 33,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 33,000/- (रूपये तैतीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- राजगढ़ (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

कलेक्टर,  
जिला- गुना  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6999/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1165	श्री नारायण प्रसाद शर्मा इन्द्रा कालोनी वार्ड नं. 2 कुम्भराज जिला-गुना (भाई मांगीलाल के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 7003/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1165	श्री निरपत सिंह पुत्र श्री मथुरा लाल परेवा तह. राघौगढ़ थाना जामनेर पो. टोडरा जिला गुना (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 20,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- गुना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे । सर्वर में फीड करावे ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला- अशोकनगर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 94,000/- (रूपये चौरानबे हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 7007/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1166	दिनांक 27 फरवरी 2008 को चंदेरी अशोकनगर रोड पर ग्राम पिपरोद में सड़क दुर्घटना में मृतकों एवं घायलों को सहायता	रूपये 94,000/- (चौरानबे हजार) कलेक्टर अशोकनगर को प्रतिपूर्ति हेतु
		योग:-	रूपये 94,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 94,000/- (रूपये चौरानबे हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-अशोकनगर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे । सर्वर में फीड करावे ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-482 / 2008 / एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

कलेक्टर,  
जिला- पन्ना  
मध्यप्रदेश

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 15,000/- (रूपये पंद्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 7007/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1167	श्रीमती अर्चना साहू पति श्री मस्तराम साहू ग्राम पोस्ट हरद्वारी तह. गुनौर जिला पन्ना (ब्रेन ट्यूमर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पंद्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-पन्ना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग



मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

कलेक्टर,  
जिला- शहडोल  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 15,000/- (रूपये पंद्रह हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 7010/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1168	श्री बाल्मीकि प्रसाद गुप्ता आ.श्री कालोराम ग्राम कर्की ब्यौहारी जिला शहडोल (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
		योग:-	रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पंद्रह हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- शहडोल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-कटनी  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 7012/08 दिनांक 28.08.08 एचसीएम. 7015/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1169 मा. राज्यमंत्री श्री मोती कश्यप	श्री तीरथ प्रसाद तिवारी आ.श्री सुदर्शन प्रसाद तिवारी ग्राम खलवारा (कैमोर) तह. विजयराघवगढ़ जिला कटनी (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-कटनी (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें ।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें । सर्वर में फीड करावें ।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-जबलपुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 7018/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1170	श्रीमती अनिता गोंटिया वनवासी चेतना आश्रम गीताधाम जिलहरीघाट जिला जबलपुर (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
		योग:-	रूपये 20,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- जबलपुर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित** .....
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

कलेक्टर,  
जिला- मंदसौर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 7021/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1171 मा. मंत्री श्री जगदीश देवड़ा	श्री कमलचंद्र पिता श्री चांदमल जैन ग्राम जाटकाखेड़ा ग्राम पंचायत भैसोदा तह. सुवासरा जिला मंदसौर (हृदय रोग के उपचार हेतु )	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 7024/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1171 मा. मंत्री श्री जगदीश देवड़ा	कु. इन्द्राबाई पिता श्री कन्हैयालालजी ग्राम रहीमगढ़ तह. सीतामऊ जिला मंदसौर (गंभीर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- मंदसौर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग



मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 482/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला- दमोह  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 83,000/- (रूपये तिरयासी हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 7027/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1172 मा. राज्यमंत्री श्री गंगाराम पटेल	श्री चकेश बड़कुल ग्राम पटेरा एवं तहसील पटेरा जिला दमोह (पुत्र चित्रांश के अन्डर स्टेण्डेट रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 7028/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1172	श्रीमती वर्षा यादव पति श्री रामजी यादव खमरिया सेन्दूखेड़ा जिला दमोह (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)

3	एचसीएम. 6911/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1172	1. श्री भगवान सिंह आ.श्री नत्थू सिंह ग्राम बादीपुरा जनपद तेन्दूखेड़ा जिला दमोह (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 6914/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1172	2. श्रीमती राधा लोधी पति श्री उजयार सिंह ग्राम बादीपुरा जनपद तेन्दूखेड़ा जिला दमोह (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 6915/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1172	3. श्री महाराज सिंह आ. श्री करन सिंह हिनौती जनपद तेदूखेड़ा जिला दमोह (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
	एचसीएम. 6916/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1172	4. श्री गुलाब सिंह राजपूत नगर पंचायत तेदूखेड़ा जिला दमोह (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
	एचसीएम. 6917/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1172	5. नवीन सिंह आ. श्री लखनसिंह ग्राम बादीपुरा जनपद तेन्दूखेड़ा जिला दमोह (पेट के आपरेशन हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 6918/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1172	6. श्री बाबूलाल आ. श्री मत्थू सेन बादीपुरा जनपद तेदूखेड़ा जिला दमोह (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 6919/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1172	7. श्री डेलन सिंह आ. श्री बल्देव सिंह हिनौती जनपद तेदूखेड़ा जिला दमोह (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
	एचसीएम. 6920/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1172	8. श्री हल्लू आ. श्री मूलचंद यादव सिंग्रामपुर जनपद जबेरा जिला दमोह (आंख के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 6921/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1172	9. श्री हल्ले सींग आ. श्री हरीसींग आदिवासी सुहेला जनपद दमोह जिला दमोह (आंख के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
	एचसीएम. 6922/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1172 मा. विधायक श्री दशरथ सिंह लोधी	10. श्री विनय कुमार आ. श्री खेमचंद जैन तेदूखेड़ा जिला दमोह (लकवा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

एचसीएम. 6923/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1172	11. श्रीमती वर्षायादव पत्नी श्री रामजी यादव तेदूखेड़ा जिला दमोह (गंभीर बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
एचसीएम. 6924/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1172 मा. विधायक श्री दशरथ सिंह लोधी	12. श्री सुभाष जैन आ.श्री खेमचंद जैन हरई तेदूखेड़ा जिला दमोह (आंख के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
	योग:-	रूपये 83,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 83,000/- (रूपये तिरयासी हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-दमोह (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन  
इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर  
को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि  
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन  
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-उज्जैन  
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 21,000/- (रूपये इक्कीस हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 6925/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1173 मा.संसद सदस्य डां. सत्यनारायण जटिया	श्री लक्ष्मणदास भाटिया 301 अलखधाम नगर कालोनी जिला उज्जैन (विकलांगता के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
2	एचसीएम. 6931/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1173 मा. विधायक श्री दिलीपसिंह गुर्जर	श्रीमती धापूबाई पत्नी स्व.श्रीभंवरलाल ग्राम पिपलिया डाबी तह. नागदा जिला उज्जैन (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 6933/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1173 मा. विधायक श्री दिलीपसिंह गुर्जर	श्रीमती शांतिदंवी रघुवंशी पत्नी स्व.श्री बाबूसिंह जी रघुवंशी जी-215, बिरला ग्राम नगर नागदा जिला उज्जैन (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
4	एचसीएम. 6929/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1173 मा.संसद सदस्य डां. सत्यनारायण जटिया	श्री जाफर हुसैन आ. श्री अब्दुल गनी 46 महावीर मार्ग हम्मालवाड़ी उज्जैन (पुत्र शहजाद की पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 21,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 21,000/- (रूपये इक्कीस हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहे हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- उज्जैन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन्-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

कलेक्टर,  
जिला-मुरैना  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार राशि रूपये 40,000/- (रूपये चालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
4	एचसीएम. 6935/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1174 मा. विधायक श्री बंशीलाल जाटव	श्री जितेन्द्र आ. श्री मुरारीलाल ग्राम जोधाराम की गढ़िया तह. पोरसा जिला मुरैना (पैर के आपरेशन हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 6937/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1174 मा. विधायक श्री बंशीलाल जाटव	श्री उमेश पिता श्री जसराम ग्राम रामनगर गुलाब का पुरा तह. अम्बाह जिला मुरैना (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
6	एचसीएम. 6938/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1174 मा. विधायक श्री मेहरबानसिंह रावत	श्री संतोष रावत आ. श्री कांशीराम रावत झुण्डपुरा सबलगढ़ जिला मुरैना (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
7	एचसीएम. 6939/08 दिनांक 28.08.08 आर. 1174 मा. विधायक श्री गजराज सिंह	श्री वीरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री कृष्ण कांत शर्मा ग्राम सुमावली तह. जौरा जिला मुरैना (माताजी श्रीमती शीला के सिर में चोट के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

8	एचसीएम. 6940 / 08 दिनांक 28.08.08 आर. 1174 मा. राज्यमंत्री श्री नारायनसिंह कुशवाह	श्रीमती राधा देवी पत्नी स्व. श्री केशवसिंह तोमर ग्राम कौंथरखुर्द पोरसा जिला मुरैना (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000 /- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 40,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 40,000 /- (रूपये चालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग



पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-482/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 18/09/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-मुरैना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन  
इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर  
को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि  
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन  
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग